कोई भी पीछे न छूटे

leaving no one behind

आदिवासी जनों के लिए व्यावहारिक पुस्तिका

एशिया इन्डीजिनस पीप्ल्स पैक्ट

कोई भी पीछे न छूटे

आदिवासी जनों के लिए व्यावहारिक पुस्तिका

एशिया इन्डीजिनस पीपुल्स पैक्ट (AIPP)

LEAVING NO ONE BEHIND
Practical Guide for Indigenous Peoples

©Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) Foundation, 2017

The contents of this publication may be reproduced and distributed for non-commercial purposes provided that consent of AIPP is acquired and the authors are acknowledged as the source.

Writers:
Birgitte Feiring, Louise Nolle, Joan Carling and Patricia Wattimena

Publisher (in English)
Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP Foundation
112 Moo 1, Tambon Sanphranate, Amphur Sansai
Chiang Mai 50210 THAILAND
Tel: +66(0)53 343 539
Website: www.aippnet.org

Publisher (in Hindi)
Inter State Adivasi Women's Network (ISAWN), India (March 2021)
Email: isawn.india@gmail.com

Supported by:
International Work Group for Indigenous Affairs

IWGIA

Printing (English): AIPP Printing Press Co. Ltd.
Printing (Hindi): Bosco Society for Printing & Graphic Training, Okhla Road, New Delhi - 110 025

विषय सूची

संक्षेपीकरण ii

अभिस्वीकृति iii

भूमिका 1

1. सतत विकास पर पृष्ठभूमि 3

1.1 मानवाधिकार 4

1.2 पर्यावरणीय स्थिरता 5

1.3 मानव विकास 8

1.4 2030 एजेंडा के तहत आदिवासी जनों की भागीदारी 10

2. सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा की सामान्य विशेषताएँ 13

2.1 सार्वभौमिक एजेंडा 14

2.2 कोई भी पीछे न छूटे 14

2.3 2030 के एजेंडा में आदिवासी जनों का विशिष्ट उल्लेख 17

3. 17 सतत विकास के लक्ष्य 18

3.1 आदिवासी जनों के लिए लक्ष्यों की प्रासंगिकता 18

3.2 आदिवासी जनों के अधिकारों पर सतत विकास का निर्माण 27

4. संकेतक और आँकड़े 31

4.1 वैश्विक संकेतकों की प्रासंगिकता 32

4.2 पूरक राष्ट्रीय संकेतक 33

4.3 राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालयों के आंकड़ों में अन्तराल और क्षमताएँ 34

4.4 आदिवासी जनों के द्वारा आंकड़ा का संचयन 36

5. फॉलो अप और समीक्षा 37

5.1 अनुवर्ती और समीक्षा तंत्र के सिद्धान्त 38

5.2 राष्ट्रीय अनुवर्ती और समीक्षा प्रक्रियाएँ 42

5.3 क्षेत्रीय अनुवर्ती और समीक्षा 44

5.4 वैश्विक प्रक्रिया 49

सन्दर्भ और अन्य पाठ्य सामग्री 52

अनुसंलग्नक 53

संक्षेपीकरण

एआईपीपी : एशिया इंडिजीनस पीपुल्स पैक्ट

एपी–आरसीईएम : एशिया–पैसिफिक रीजनल सीएसओ इंगेजमेंट मैकेनिज्म

एमरीप : आदिवासी जनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ तंत्र

एस्केप : एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग

एफपीआईसी : स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति

एफयूआर : फॉलो अप और समीक्षा

एचएलपीएफ : उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच

एचआरबीए : मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण

आइपीएमजी : आदिवासी जनों के प्रमुख समूह

एमडीजी : मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स

एमओआई : कार्यान्वयन के साधन

एनएसओ : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

एसडीजी : सतत विकास लक्ष्य

यूएनड्रिप : आदिवासी जनों के अधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र (यूएनड्रिप)

उनपीएफआइआइ : आदिवासी जनों के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के स्थायी मंच

वीएनआर : स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा

डब्ल्यूसीआइपी : आदिवासी जनों के विश्व सम्मेलन

अभिस्वीकृति

इस व्यावहारिक मार्गदर्शिका का मुख्य उद्देश्य है, 2030 एजेंडा के बारे में आदिवासियों को कुछ बुनियादी जानकारी प्रदान करना, जो सतत विकास के बारे में सरल और आसान तरीके से समझ पैदा कर सके। यह व्यावहारिक मार्गदर्शिका आदिवासियों को ठोस मार्गदर्शन देगा, जिससे वह राष्ट्रीय स्तर से वैश्विक स्तर तक 2030 के एजेंडे के साथ अपने आपको जोड़ सकें।

इस प्रकाशन का उद्देश्य Birgitte Feiring, Louise Nolle, Joan Carling और Patricia Wattimena को याद किए बिना पूरा नहीं होगा, जिन्होंने इस महत्त्वपूर्ण दस्तावेज को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। इसी तरह ए०आई०पी०पी० सचिवालय टीम ने इस व्यावहारिक मार्गदर्शिका को अन्तिम रूप देने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए मैं पूरी टीम के प्रति कृतज्ञतापूर्ण आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इसके साथ ही ए०आई०पी०पी० की तरफ से आई०डब्ल्यू०जी०आई०ए० (International Work Group for Indigenous Affairs) को भी उनके निरंतर और उदार सहायता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी बदौलत यह प्रकाशन संभव हो सका है।

यह व्यावहारिक मार्गदर्शिका दुनिया भर के 370 मिलियन आदिवासियों को समर्पित है, जिनका जीवन आज दांव पर है, आने वाले समय में उनका अस्तित्व और अधिक खतरे में पड़ेगा, यदि 2030 एजेंडा का क्रियान्वयन सतत विकास के लिए आदिवासियों के अधिकारों को साकार करने की भावना से नहीं होगा, जैसा कि आदिवासियों के अधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र (यूएनड्रिप) में निहित है।

हम आशा करते हैं कि यह व्यावहारिक मार्गदर्शिका सभी हितधारकों के प्रयासों को पूर्ण कर सकती है। इसके साथ-साथ आदिवासियों के बीच जागरूकता बढ़ाने में विशेष कर आदिवासी महिलाओं, युवाओं और विकलांग जनों के सशक्तिकरण में एशिया और सारी दुनिया में महत्त्वपूर्ण योगदान देगा

गाम अवंग्शी शिमरेय
महासचिव
एशिया इन्डीजिनस पीप्ल्स पैक्ट

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
17 GOALS TO TRANSFORM OUR WORLD
1 NO POVERTY
2 ZERO HUNGER
3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING
4 QUALITY EDUCATION
5 GENDER EQUALITY
6 CLEAN WATER AND SANITATION
7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE
10 REDUCED INEQUALITIES
11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES
12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
13 CLIMATE ACTION
14 LIFE BELOW WATER
15 LIFE ON LAND
16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

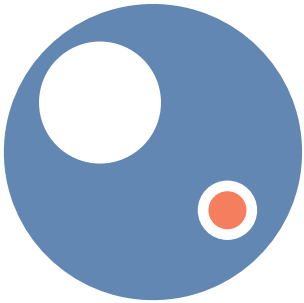

परिचय

आदिवासियों का जल, जंगल और जमीन से बहुत मजबूत सांस्कृतिक लगाव है, यह उनकी अस्मिता, संस्कृति और जीविका का आधार है। अपनी विविध जीवनशैली और ज्ञान दर्शन के साथ स्थायी संसाधन प्रबंधन और संरक्षण प्रथाओं के माध्यम से आदिवासी जन सतत विकास में योगदान देते हैं। हालांकि, ऐतिहासिक भेदभाव के कारण आदिवासियों ने अपनी जमीन खो दी, जिससे प्राकृतिक संसाधनों, शिक्षा और स्वास्थ्य, राजनैतिक सहभागिता, न्याय और अन्य बुनियादी अधिकारों तक उनके पहुँच को सीमित कर दिया गया। इसलिए अकसर उनकी गिनती सबसे गरीब और सबसे अधिक हाशिये पर पड़े लोगों के बीच होती है।

इस संदर्भ में, आदिवासी जन आत्मसम्मान, स्वीकृति और स्व-निर्धारित विकास के लिए जमीन, क्षेत्रों और संसाधानों पर अपने सामूहिक अधिकारों की खोज में रहते हैं। सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त समाज सेवा जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार और जीविका के अवसरों, तकनीक और संरचनाओं के प्रति आदिवासी जनों की स्व-निर्धारित विकास की आकांक्षाओं का अभिन्न अंग है।

वर्ष 2015 में दुनिया भर के नेताओं ने **सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा** को अपनाया। यह एजेंडा **17 सतत विकास के लक्ष्यों** (एस डी जी) को अपने में समाहित किए हुए है। इसमें 169 संबंधित लक्ष्य भी शामिल हैं। 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करना है।

2030 एजेंडा भविष्य के लिए एक महत्त्वकांक्षी दृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है। यह इस बात पर जोर देते हैं कि **कोई भी पीछे न छूटे** यह एक परिवर्तनकारी एजेंडा है, जो सभी स्तरों पर बदलाव की आवश्यकता महसूस करता है, ताकि सभी देशों और सभी लोगों के लिए एक वास्तविकता बन सके।

अन्तिम परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि इस एजेंडा को राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर कैसे लागू किया जाए। यदि इसके कार्यान्वयन से आदिवासी जनों को अपने अधिकारों की प्राप्ति में अपना योगदान मिलता है, जैसा **आदिवासी जनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र** में निहित किया गया है, तो यह आदिवासी जनों के खिलाफ हो रहे भेदभाव को दूर करने में सहायक होगा। इसके विपरीत यदि एजेंडा को सफल बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा और आदिवासी जनों की आकांक्षाओं और अधिकारों को अनदेखा किया जाएगा तो यह फिर से आदिवासी जनों को हाशिए पर डाल सकता है, जो उनके कल्याण को क्षति पहुँचाएगा।

आदिवासी जनों के द्वारा सामना की जानेवाली चुनौतियों पर यदि 2030 एजेंडा को ध्यान देना है, तो तीन प्रमुख पहलुओं पर विचार करना होगा :

- आदिवासी जनों को मुख्यधारा के विकास के **प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षित रखना** होगा, जो उनके अधिकारों और कल्याण को क्षति पहुँचा सकते हैं।
- सामान्य विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों में आदिवासियों की **पूरी सहभागिता और लाभ मिलना** चाहिए। इसके साथ ही उस पर उनका पूरा अधिकार होना चाहिए।
- आदिवासी जनों के **स्व-निर्धारित विकास** के सामूहिक अधिकार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

यह व्यावहारिक मार्गदर्शिका सतत विकास के लक्ष्यों पर आधारित है। जिसे 2030 तक पूरा करना है। इसकी पृष्ठभूमि और लोगों के अधिकारों, आकांक्षाओ और इनके द्वारा प्रदान किये जाने वाले अवसरों और चुनौतियों के बारे में आदिवासियों को जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा व्यावहारिक मार्गदर्शिका यह जानकारी देती है कि आदिवासी लोग किस प्रकार सतत विकास प्रक्रियाओं में शामिल हो सकते हैं, ताकि आत्मनिर्भर विकास के अपने अधिकारों को हासिल कर सकेंगे और सभी के लिए सतत विकास की उपलब्धि में योगदान दे सकें।

साथ ही मार्गदर्शिका सतत विकास से जुड़े अन्य प्रकाशनों और सामग्रियों के संदर्भ में अन्य स्त्रोत भी उपलब्ध कराता है, ताकि सतत विकास और आदिवासियों से संबंधित विशेष मुद्दों के विषय में आगे अध्ययन किया जा सके।

1. सतत विकास की पृष्ठभूमि

सतत विकास शब्द का प्रयोग 1987 में पहली बार 'आवर कॉमन फ्यूचर' नामक रिपोर्ट में किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि *"भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्त्तमान की जरूरतों को पूरा करना है।"*

अत: सतत विकास इस बात को स्वीकार करता है कि इस भूमण्डल में मानवीय क्रियाओं के लिए **पर्यावरणीय सीमाएं** हैं और सतत विकास को **पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक आयामों** को पूर्णरूपेण अपने में सम्मिलित करना है, जिससे हमारे सार्वजनिक भविष्य को सुनिश्चित किया जा सके। इन तीन आयामों को **सतत विकास के तीन स्तंभों** की तरह माना जाता है।

यह आयाम आदिवासी जनों के विकास के सम्पूर्ण दृश्य को प्रतिबिम्बित करते हैं, जो हमेशा मानवाधिकार के समस्त ढाँचे के अन्तर्गत सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरणीय सीमाओं/ संरक्षण पर जोर देते हैं। इसलिए मानव अधिकारों, पर्यावरणीय स्थिरता और मानव विकास के बारे में चर्चा की गई है और आदिवासियों के स्थायी विकास ने हमारी वर्तमान समझ में योगदान दिया है, जैसा कि निम्नलिखित उपवर्गों में संक्षेप में वर्णित है।

---

[1] Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development (the Brundtland Commission), para. 27: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf

1.1 मानवाधिकार

ऐतिहासिक तौर पर आदिवासी जनों ने हाशिए पर रखे जाने की अपनी स्थिति पर काबू पाने और अपनी जमीन, क्षेत्रों और संसाधनों के लिए अपने निर्णय के साथ सामूहिक अधिकारों को बनाये रखने के लिए उपनिवेशीकरण और राष्ट्र निर्माण जैसी ताकतों से संघर्ष किया है। सन् 1960 के दशक से आदिवासी जनों ने अपने सामूहिक अधिकारों की मान्यता के लिए वकालत शुरू की और इस संघर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिससे उनके सामूहिक अधिकारों की मान्यता प्राप्ति के लिए पैरवी की जा सके। मानवाधिकार ढांचे के अन्तर्गत आदिवासी जनों के संघर्ष ने बहुत बड़े परिणाम लाए हैं, जो निम्नलिखित हैं

- वर्ष 2000 में **आदिवासी जनों के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के स्थायी मंच** की स्थापना (UN Permanent Forum on Indigenous Issues - UNPFII)
- वर्ष 2001 में **आदिवासी जनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष रॅपॉर्टियर** (UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples - UNSRRIP) की स्थापना।
- वर्ष 2007 में **आदिवासी जनों के अधिकारों पर विशेषज्ञ तंत्र** (Expert Mechanism on Rights of Indigenous Peoples - EMRIP) की स्थापना।
- वर्ष 2007 में **आदिवासी जनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र** (UN Declaration on Rights of Indigenous Peoples - UNDRIP) को अपनाना।
- वर्ष 2004 में UNDRIP के राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन के लिए **आदिवासी जनों के संयुक्त राष्ट्र के विश्व सम्मेलन** (World Conference of Indigenous Peoples - WCIP) के परिणाम का दस्तावेजीकरण।

वर्ष 2007 में UNDRIP को अपनाने के बाद सरकारों और आदिवासियों के पास एक **सार्वभौमिक और व्यापक ढांचा** है, जो सतत विकास के तीन आयामों के अन्तर्गत आदिवासी जनों के अधिकारों को पारिभाषित करता है। उसके अलावे UNPFII, EMRIP और Special Rapporteur, यू॰एन॰ के विशिष्ट तंत्र हैं, जो मार्गदर्शन करते हैं और आदिवासी जनों के अधिकारों और सतत विकास की प्रगति के लिए निगरानी करते हैं। इसके साथ ही **मानव अधिकारों की निगरानी करने वाले तंत्र** (Human Rights Monitoring Mechanism), जैसे की Universal Periodic Review, The Treaty

Monitoring Bodies और विशेष कार्यविधि के साथ में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की पर्यवेक्षी समितियाँ आदिवासी जनों के अधिकारों की निगरानी रखते हैं और उनके अधिकारों का बड़ी तेजी से पैरवी कर रही हैं। इसका अर्थ यह है कि इस तरह की संस्थाएँ और कार्य विधियों आदि के अधिकारों के अनुसार विकास के प्रयासों की निगरानी और मार्गदर्शन के लिए एक बड़ी क्षमता का निर्माण करते हैं।

इसी तरह से WCIP सरकारों की प्रतिबद्धता सतत विकास में प्रमुख योगदान देती है। यह सभी आदिवासी जनों के विकास और मानवाधिकार के अधिकारों की प्रासंगिकता और महत्त्व को पुष्ट करते हैं। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को सतत विकास के संदर्भ में आदिवासी जनों का ध्यान मुख्यधारा में लाने का एक जनादेश और एक दायित्व प्रदान करती है।

1.2 पर्यावरणीय स्थिरता

सन् 1992 में ब्राज़ील के रियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन (Earth Summit) में ही सतत विकास की अवधारणा पर विचार विमर्श किया गया था। प्रारम्भ से ही सतत विकास में आदिवासी जन सक्रियतापूर्वक भाग ले रहे थे और वह इसमें मुख्य सहभागी थे। वर्ष 1992 में आदिवासी जन शिखर सम्मेलन में जमा हुए और उन्होंने **कारी-ओका घोषणा** और **इन्डीजिनस पीपल्स अर्थ चार्टर** को अपनाया, जो पृथ्वी के साथ आदिवासी जनों के विशिष्ट संबंध पर विशेष जोर देता है।

कारी-ओका घोषणा कहता है :

"हम सदियों से वंचित, आत्मसात और नरसंहार के बावजूद समूह के रूप में अपने अधिकारों को बनाये रखा है। हम अपने जल, जमीन, क्षेत्र और हमारे सारे संसाधनों के - जो धरती के ऊपर और धरती के नीचे हैं, अहस्तान्तरणीय अधिकार को बनाये रखे हैं। इसे हमारी भावी पीढ़ी को हस्तान्तरित करने की हमारी जिम्मेदारी के दावे को हम बनाये रखते हैं। हम अपनी जमीन से बेदखल नहीं किए जा सकते। हम आदिवासी लोग हमारी जमीन और पर्यावरण के जीवन चक्र से जुड़े हुए हैं। हम आदिवासी जन अपने पूर्वजों के पदचिन्हों पर भविष्य की ओर बढ़ते हैं।" (कारी-ओका घोषणा के पूरे मूलपाठ के लिए देखें: http://www.dialoguebetweennations.com/IR/english/KariOcaKimberley/KOEarthCharter.html)

वर्ष 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन का समापन **जैविक विविधता सम्मेलन** (CBD), **यूएन फ्रेमवर्क कोन्वेन्शन टू कॉम्बेट कलाईमेंट चेंज** और **यूएन कोन्वेन्शन टू कोम्बैट डेजरटिफिकेशन**[2], और साथ में **एजेंडा 21**[3] के अधिग्रहण के साथ सम्पन्न हुआ।

एजेंडा 21 ने अपने पूरे **अध्याय 26** को समर्पित किया है, जिसमें *"आदिवासी जनों और उनके समुदायों की भूमिका को मान्यता देने और उन्हें मजबूत करने के लिए समर्पित है। इसमें आदिवासियों के जमीन के साथ प्राकृतिक सम्पदाओं और पर्यावरण, सम्पूर्ण परम्परागत वैज्ञानिक ज्ञान के साथ आदिवासी जनों के ऐतिहासिक संबंध को मान्यता दी गई है।"*

इससे यह निष्कर्ष निकला कि : *"प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, सतत विकास और आदिवासी जनों के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और भौतिक कल्याण के बीच अन्तर संबंध को जानने के लिए राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय प्रयासों के साथ सतत विकास के लिए आदिवासी जनों और उनके समुदायों की भूमिका को मान्यता प्रदान करना, समायोजित करना, बढ़ावा देना और मजबूती प्रदान करना चाहिए।"*[4]

एजेंडा 21 ने सिविल सोसाइटी के नौ **'प्रमुख समूहों'** को भी चिन्हित किया है, जिनकी नियुक्ति एजेंडा[5] पांच के '*प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए महत्त्वपूर्ण*' है। आदिवासी जन इन प्रमुख समूहों के बीच एक समूह का गठन करते हैं। एक प्रमुख समूह के रूप में आदिवासी जनों की मान्यता ने उनको विचार-विमर्श और सतत विकास से संबंधित प्रक्रियाओं में निरंतर सहभागिता प्रदान की है, जिसमें एजेंडा 2030 को अपनाने का विचार-विमर्श शामिल है।

---

[2] See the convention here: http://www2.unccd.int/convention/about-convention

[3] Agenda 21: UN Conference on Environment and Development, 1992: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf

[4] Ibid: para. 26.1

[5] Ibid: para. 23.1

आदिवासी जन के लिए सतत विनियोजन और पैरवी

आदिवासी जनों का प्रमुख समूह (The Indigenous Peoples Major Group-IPMG) सतत विकास से संबंधित वैश्विक और कुछ प्रान्तीय प्रक्रियाओं में भी क्रियाशील रूप से भाग लेता है। IPMG विभिन्न क्षेत्रों के आदिवासी कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों से बना होता है।

जैव विविधता पर अन्तरराष्ट्रीय आदिवासी मंच (The International Indigenous Forum on Biodiversity-IIFB) जैव विविधता पर हुए सम्मेलन की प्रक्रियाओं का पालन करता है। विशेषकर पारम्परिक ज्ञान, नवीनीकरण और प्रथाओं के बारे में सम्मेलन के अनुच्छेद 8(j) से संबंधित कार्य को अनुच्छेद 10(c) पर जैविक संसाधनों के प्रथागत प्रयोग का अनुगमन करती है। (अधिक जानकारी के लिए इन्डीजिनस पोर्टल देखें: hhtp://iibf.indigenousportal.com)

जलवायु परिवर्तन पर आदिवासी जनों का अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन (The International Indigenous Peoples Forum on Climate Change-IIPFCC) जलवायु परिवर्तन पर यू एन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) के तहत प्रक्रियाओं में समन्वय और सतत विनियोजन का एक मंच है। (IIPFCC) के विषय में अधिक जानकारी के लिए देखें : http:// www.iipfcc.org)

ऊपर उल्लिखित वैश्विक मंच आदिवासी जनों के लिए व्यापक अन्तर-क्षेत्रीय गठजोड़ है, जो वैश्विक स्तर पर, अन्तरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर आदिवासी संगठनों की आवाज, मामलों, प्राथमिकताओं और प्रस्ताव को पहुँचाते हैं। यह गठबंधन अपर्याप्त संसाधनों, सांस्कृतिक और भाषाई बाधाओं, अवरोधों के बावजूद संगठनात्मक और तकनीकी सीमाओं के जटिल अन्तरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं और एजेंडा को प्रभावित करने और सहयोग देने में बहुत प्रभावशाली हैं।

1.3 मानव विकास

वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आठ सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (Millennium Development Goals-MDGs) को अपनाया। MDGs को वर्ष 2015 तक विकासशील देशों में हासिल कर लिया जाना चाहिए था।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ठोस और समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करके, इनके लिए संसाधन और राजनैतिक समर्थन संघटित करके MDGs ने कई **महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ** पायी हैं। जैसे कि :-

- अत्यन्त गरीबी में गिरावट (प्रतिदिन 1.25 डॉलर से कम आय में जीविका चलाने वाले लोगों के रूप में मापा जाता है)
- कुपोषित, अल्पपोषित लोगों के अनुपात में गिरावट ।
- लड़कियों के नामांकन में बढ़ोत्तरी के कारण प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में लिंग समानता अधिक समतुल्यता की ओर बढ़ा है।
- मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार।
- पेय जल की सुलभता में सुधार।
- भूमि और समुद्र में संरक्षित क्षेत्रों में वृद्धि।

MDGs में आदिवासी जनों से संबंधित कई **चुनौतियाँ और अंतराल** भी थे।

- MDGs को सार्वजनिक परामर्श और नागरिक समाज तथा आदिवासी जनों की भागीदारी के बिना परिभाषित किया गया था।
- पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समदृष्टि की तुलना में आर्थिक विकास पर अधिक बल दिया गया था।

- किसी भी लक्ष्य या संकेतक में आदिवासी जनों का उल्लेख नहीं किया गया था।
- MDGs ने विकास के रूझानों और गरीबी के संरचनात्मक कारणों को संकलित नहीं किया है, जो आदिवासी जनों के जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे जमीन के अधिकार से संबंधित मामले।
- MDGs का केवल विकासशील देशों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया था, इस प्रकार विकसित देशों के हाशिए पर पड़े आदिवासी जनों को अनदेखा किया गया था।
- MDGs प्राप्त करने की रणनीतियों में आदिवासी जनों की प्राथमिकताओं और अधिकारों को प्रतिबिम्बित नहीं करती है।
- अधिकांश देशों में आदिवासी लोग MDGs से संबंधित गतिविधियों के कार्यान्वयन और पुनरावलोकन में सम्मिलित नहीं थे।

इसके परिणामस्वरूप आदिवासी जन को अनुपातिक रूप से लाभ नहीं हुआ, जिसके कारण आबादी के आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच की दूरी समाप्त नहीं हो सकी।[6]

वियतनामः MDGs के कार्यान्वयन में वियतनाम ने सामान्य तौर पर महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं, लेकिन आदिवासी जन (जिन्हें नृजातीय अल्पसंख्यक के नाम से जाना जाता हैं) वे अब भी पीछे रह गए हैं। वे देश की जनसंख्या का 14 प्रतिशत हैं, परन्तु देश की 56 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा के नीचे है। आदिवासी जनों की औसत आय सामान्य जनों की औसत आय का मात्र 16 प्रतिशत है। आदिवासी जनों के लिए बुनियादी सेवाएँ जैसे स्वास्थ्य सेवा, साफ पानी, शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण से बाल-मृत्यु-दर और कमवजन वाले बच्चों की संख्या कुल जनसंख्या से दुगुनी है।

---

[6] State of the World's Indigenous Peoples, UNPFII, 2009, p. 41

[7] Chapter on Vietnam in the Indigenous World, IWGIA 2016

[8] UNDP (2015): Improve ethnic minority lives and narrow development gap:http://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/presscenter/articles/2015/01/29/improve-ethnic-minority-lives-and-narrow-development-gap.html

कुल मिलाकर मानवाधिकार, प्रजातंत्र और सुशासन MDGs का एकीकृत हिस्सा नहीं थे। सामान्य तौर से असमानता और पक्षपात पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया गया, जिसके कारण बहुत सारे आदिवासी जन इसका दंश झेल रहे थे। इस बात को लेकर MDGs की आलोचना की गई थी कि उन्होंने आदिवासी जनों के दृष्टिकोण और विकास के उनके संदर्भों और आकांक्षाओं को सम्मिलित नहीं किया था।

आदिवासी संगठनों, सिविल सोसाइटी और यूएन एजेन्सियों के अनेक अध्ययन और वक्तव्य दिखलाते हैं कि MDGs से संबंधित कार्यक्रमों, गतिविधियों के डिजाइन के कार्यान्वयन और निगरानी और क्रियाकलापों में आदिवासी जनों की पूरी और प्रभावशाली सहभागिता की आवश्यकता है।[9]

सतत विकास के लिए आदिवासी जनों सहित ऐसे लोग जो सबसे अधिक पिछड़े हुए हैं, उन तक MDGs के पहुंच पाने में विफलता जैसी महत्त्वपूर्ण बात देखी गई। जिसके बाद आदिवासियों के लिए 2030 एजेंडा के बारे में विचार विमर्श किया गया।

1.4 2030 एजेंडे के साथ आदिवासी जनों की भागीदारी

MDGs की अवधि समाप्ति होने के वर्षों पूर्व, "वर्ष 2015 के बाद का विकास ढांचा" के लिए वैश्विक दृष्टि को परिभाषित करने के लिए यूएन ने व्यापक और सबको साथ लेकर चलने वाली सलाहकार प्रक्रियाओं की अगुवाई की थी। 2030 एजेंडा का अन्तिम विचार–विमर्श नौ प्रमुख समूहों और अन्य संबंधित (प्रासंगिक) हितधारियों की सहभागिता से विशेष अन्तरशासकीय खुला कार्यसमूह में हुआ। आदिवासी जनों का प्रमुख समूह (The Indigenous Peoples Major Group-IPMG) वैश्विक परामर्श प्रक्रियाओं में सक्रियतापूर्वक शामिल था।

आदिवासी जनों का प्रमुख समूह (IMPG) ने संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में आदिवासी जनों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की सहभागिता को सुविधाजनक बनाया और राष्ट्रों के अन्य प्रमुख समूहों को भागीदारी का अवसर दिया और उनके साथ विचार विमर्श किया। आदिवासी जनों को प्रमुख समूह (IMPG) ने आदिवासी

[9] Indigenous Peoples and the MDGs, UNPFII: https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/focus-areas/post-2015-agenda/the-sustainable-development-goals-sdgs-and-indigenous/mdgs.html

जनों की प्राथमिकताओं और अधिकारों, को शामिल करने की वकालत की थी, जिसमें जमीन के अधिकार, पारम्परिक रोजगार (व्यवसाय), **स्वतंत्र, पूर्व और सूचित स्वीकृति** (Free, Prior and Informed Consent-FPIC), समुचित शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, भेदभाव, भागीदारी, सहभागिता के लिए जिम्मेदार संगठनों को न्याय तक पहुँच बनाए रखने के लिए पैरवी किया था।

2030 एजेंडा में संबोधित किए जानेवाले प्रमुख क्षेत्रों को अल्टा दस्तावेज में पहचान किया गया:

जून 2013 में नार्वे के अल्टा में **आदिवासी जनों का विश्व सम्मेलन (World Conference on Indigenous Peoples-WCIP)** आयोजित किया गया था। यहां दुनिया के कोने-कोने से आदिवासी जनों को एक साथ लाया गया और **अल्टा आउटकम डोक्युमेन्ट** को अपनाया, जिसके प्रमुख संदेश शामिल हैं, जिसे आदिवासी जन यूएन **वर्ल्ड कॉन्फरेन्स ऑन इन्डीजिनस पीपल्स** (WCIP) के समक्ष लाना चाहते थे। अल्टा आउटकम डोक्युमेन्ट विकास के लिए आदिवासी जनों की प्राथमिकताओं को प्रतिबिम्बित करता है, जो भूमि, क्षेत्र और संसाधनों पर अधिकार, के साथ आदिवासी जनों की **स्वतंत्रता, पूर्व और सूचित स्वीकृति (FPIC)** के अधिकारों पर आधारित है। यह दस्तावेज विकास के लिए सीमा शुल्क विश्वास प्रणालियों, मूल्यों, भाषाओं, संस्कृतियों और पारम्परिक ज्ञान के महत्त्व को दोहराता है। यह भी अनुशंसा करता है कि अधिकारों, संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों को वर्ष 2015 के बाद वाले विकास एजेंडा में शामिल किया जाना चाहिए ।

सितम्बर 2014 को **आदिवासी जनों का विश्व सम्मेलन (World Conference on Indigenous Peoples-WCIP)** सम्पन्न हुआ। WCIP आउटकम डोक्युमेन्ट का रिजल्ट अल्टा डोक्युमेन्ट और WCIP के विचार-विमर्श पर आधारित था, जैसा कि यह 2030 एजेंडा के ठीक एक वर्ष पूर्व अपनाया गया था। आदिवासी जनों के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए यह प्रमुख तत्त्वों की प्रतिबद्धताओं को पहचान कराता है।

सितम्बर 2015 में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को अन्ततः अपनाया गया और MDGs को निरन्तर मात्र में विस्तार देना नहीं था, बल्कि एक अपूर्वयोजित विस्तृत और महत्त्वाकांक्षी विकास एजेंडा है, जो इन सबको एक साथ लाता है :

- मानवीय आर्थिक और सामाजिक विकास के तत्त्वों को जो MDGs और अन्य अन्तरराष्ट्रीय समझौतों में प्रतिबिम्बित होते थे, उदाहरणार्थ शिक्षा और स्वास्थ्य का क्षेत्र शामिल था।

- वर्ष 1992 के पृथ्वी सम्मेलन (Earth Summit) से उत्पन्न होने वाले तत्त्व थे, जिसमें जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता और मरूस्थलीकरण पर सम्मेलनों के तहत किए गए समझौते भी आते हैं।

- मानवाधिकार क्षेत्र से आनेवाले तत्त्व है, समावेश, समानता, महिलाओं के अधिकार और सहभागी और जवाबदेह शासन पर ध्यान देना भी शामिल है।

विगत तीन दशकों से अधिक समय तक स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तरों पर सतत विकास के लिए वैश्विक दृश्य को रूप देने में आदिवासी जनों ने निरन्तर भागीदारी (sustained engagement) निभाकर महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसको अब 2030 एजेंडा में शामिल किया गया है।

2. सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा की सामान्य विशेषताएँ

विश्व के नेताओं ने सितम्बर 2015 को सतत विकास[10] के लिए 2030 एजेंडा को सर्वसम्मति से अपनाया। 2030 एजेंडा निम्नलिखित मुख्य तत्त्वों को शामिल किए हुए है :

- **17 सतत विकास के लक्ष्य** (SDGs) और 169 संबंधित लक्ष्य जिन्हें 2030 तक पूरा किया जाना चाहिए।
- **कार्यान्वयन के साधन** (Means of Implementation-MoL) जो लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक संसाधन और साझेदारी है।
- **फोलो अप और समीक्षा** (Follow-Up and Review-FUR) – जो प्रक्रियाएँ और तंत्र के क्रियान्वयन की निगरानी और मार्गदर्शन करेंगी।
- **232 वैश्विक संकेतक** जिसका प्रयोग प्रगति को मापने के लिए किया जाएगा।

2030 एजेंडा

- यह एक **परामर्श प्रक्रिया** (Consultative Process) का परिणाम है, जो बहुपक्षीय कूटनीति और बहु-हितधारक भागीदारी के संदर्भ में लम्बाई, जटिलता और समावेशिता में अभूतपूर्व था।
- यह **बहुत व्यापक** (Comprehensive) है। क्योंकि इसमें सतत विकास के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक आयामों को शामिल किया गया है।
- यह **सार्वभौमिक** (Universal) है। क्योंकि इसे 2030 तक सभी देशों को हासिल करना है ।
- यह पूरी तरह से **मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा** (Universal

[10] http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

Declaration of Human Rights) और अन्य अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधिपत्रों पर आधारित है।

- यह पुष्टि करता है कि 17 SDGs सभी को **मानवाधिकार का अनुभव** करना चाहता है ।
- यह **किसी को भी पीछे नहीं छोड़ने** (Leaving no one behind) और **जो अत्यंत पीछे हैं, उन्हें आगे लाने की** प्रतिज्ञा करता है, इस प्रकार आधारभूत मानवाधिकार के भेदभाव रहित और समानता के बुनियादी सिद्धान्तों को प्रतिबिम्बित करता है।

उपरोक्त सारी विशेषताएँ इसे एक संभावित **परिवर्तनकारी** (transformative) एजेंडा बनाती है, जो आदिवासी जनों के अधिकारों की प्राप्ति में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

2.1 एक सार्वभौमिक एजेंडा

SDGs सार्वभौमिक हैं, जिसका अर्थ यह है कि उन्हें सभी देशों के द्वारा लागू किया जाना है (चाहे वे विकसित हों या विकासशील)। यह महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, यदि किसी एक देश में कुछ होता है, तो उसका प्रभाव अन्य देशों में देखने को मिलता है। एक बार केवल जलवायु परिवर्तन के बारे में सोचें जो औद्योगिक समाज के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, लेकिन उसका परिणाम कई मामलों में प्रत्यक्ष रूप से उन लोगों पर पड़ता है, जो अपनी जीविका सीधे प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त करते हैं। परन्तु सार्वभौमिकता का अर्थ यह भी है कि SDGs के हर समूहों और क्षेत्रों में प्राप्त किया जाए। इसलिए वे आदिवासी जनों को वे जहाँ कहीं भी हों, संबोधित करते हुए एक ढांचा प्रदान करते हैं। यह बहुत महत्त्वपूर्ण है, उदाहरण के तौर पर अमीर देशों में आदिवासी जन छोटे–छोटे समूहों में गरीबी में जी रहे हैं।

2.2 किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना

2030 एजेंडा किसी को पीछे नहीं छोड़ने का वादा करती है, जो मानवाधिकार के **समानता और भेदभाव रहित** सिद्धान्तों का प्रतिबिम्ब है। यह सिद्धान्त UNDRIP सहित सभी मानवाधिकार उपकरणों में निहित हैं।

गैर-भेदभाव का अर्थ है कि आदिवासी जनों के शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर बिना किसी भेदभाव के वही अधिकार है, जैसे अन्य सभी नागरिकों का है। उनके समुदाय के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए अपनी संस्कृति और भाषा के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने और पारम्परिक औषधियों और चिकित्सा पद्धति को बनाये रखने का अधिकार है। गैर-भेदभाव का सिद्धान्त आदिवासी जनों के लिए **सामूहिक** रूप से लागू होता है और व्यक्तियों पर भी लागू होता है। जिसमें **पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता** को सुनिश्चित करना शामिल है।

समानता और भेदभाव रहित का सिद्धान्त सम्पूर्ण SDGs में विभिन्न प्रकार से प्रतिलक्षित हैं : उदाहरण के लिए

- अनेक लक्ष्य और उद्देश्य इस बात पर जोर देते हैं कि इसे **सभी लोग** प्राप्त करें। उदाहरण के लिए - लक्ष्य 1.1 का लक्ष्य है, **सब जगह सब लोगों** की अत्यंत गरीबी का उन्मूलन किया जाए।

- बहुत सारे लक्ष्य और उद्देश्य विशेष समूहों या अधिकार धारकों का ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देते हैं । उदाहरण के लिए : लक्ष्य 2.3 में कृषि से संबंधित उत्पादन और लघु खाद्य-सामग्री उत्पादकों की आय शामिल है। लक्ष्य 4.5 में शिक्षा के लिए समान पहुँच, **विशेष रूप से आदिवासी जनों** को ध्यान में रखते हुए उल्लेख किया गया है।

लक्ष्य 2.3: *वर्ष 2030 तक कृषि उत्पादकता और लघु खाद्य उत्पादकों को, विशेष कर महिलाओं, **आदिवासी जनों**, किसानों, चरवाहों और मछुआरों के परिवारों की आय, अन्य उत्पाद संसाधनों और निवेश, ज्ञान, वित्तीय सेवा, बाजार और मूल्य संवर्धन और गैर-कृषि रोजगार के अवसरों को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।*

लक्ष्य 4.5: *वर्ष 2030 तक शिक्षा में लैंगिक असमानता को समाप्त करना और कमजोर लोगों के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के हर स्तर पर समान रूप से पहुँच को सुनिश्चित करना, जिसमें विकलांग व्यक्ति, **आदिवासी जन** और कमजोर परिस्थिति में जीने वाले बच्चे शामिल हैं।*

दो लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से भेदभाव और असमानता को इंगित करते हैं ।

- लक्ष्य 5 का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों के प्रति होनेवाले हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना है । आदिवासी महिलाओं और लड़कियों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि ये तीन स्तरों पर भेदभाव का दंश झेलती हैं। पहला एक महिला होने का, दूसरा आदिवासी होने का और तीसरा गरीब होने का ।
- लक्ष्य 10 राष्ट्रों के बीच और उनके भीतर की असमानता को कम करना है।

लक्ष्य 10: यह एक प्रगतिशील लक्ष्य है, जो आदिवासी जनों के लिए समानता प्राप्त करने के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। इसके दो आशाजनक लक्ष्य हैं:

लक्ष्य 10.2: *वर्ष 2030 तक सभी नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समावेश के साथ उम्र, लिंग, विकलांगता, जाति, नृजाति, वंश, धर्म या आर्थिक या दूसरे सामाजिक प्रतिष्ठा का ध्यान किए बिना सशक्त करना तथा इसे बढ़ावा देना।*

लक्ष्य 10.3: *समान अवसर सुनिश्चित करना और परिणाम की असमानता को कम करना और भेदभाव रखने वाले नियमों, नीतियों और प्रथाओं को दूर करना और सही विधान वाले नीतियों और उससे संबंधित क्रियातंत्रों को बढ़ावा देना शामिल है।*

समानता और भेदभाव रहित पर विशेष जोर देने से SDGs आदिवासी जनों, आदिवासी महिलाओं, युवाओं और विकलांग आदिवासी जनों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, यदि इसे सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्यान्वित किया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य और अन्य विकास में संलग्न साझेदार वर्तमान में आदिवासी जनों को हाशिए पर ढकेले जाने और उनके साथ होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए **विशेष पैमाना** विकसित करें। इस तरह के उपायों को आदिवासी जनों की पूरी और प्रभावशाली सहभागिता के साथ विकसित किए जाने चाहिए और यह आदिवासी जनों की आकांक्षाओं और अधिकारों के अनुसार बनाया जाना चाहिए, जैसा कि UNDRIP में निहित है।

2.3 2030 के एजेंडा में आदिवासी जनों का विशिष्ट उल्लेख

2030 एजेंडा सामान्य रूप से असमानताओं और किसी को भी पीछे न छोड़ने पर केंद्रित है। परन्तु अनेक खण्डों में यह विशेष रूप से आदिवासी जनों का उल्लेख भी करती है।

अतिसंवेदनशील समूह और सशक्तिकरण को लेकर कहना है कि:

अतिसंवेदनशील लोगों का सशक्तिकरण होना चाहिए। वे लोग जिनकी आवश्यकताएं एजेंडा में परिलक्षित होती है, उनमें सभी बच्चे, युवा, विकलांग, एच आई वी/एड्स से ग्रस्त, बुजुर्ग, आदिवासी जन, शरणार्थी और आन्तरिक रूप से विस्थापित और प्रवासी शामिल हैं। (पैरा-23)

शिक्षा के बारे में इसमें उल्लेख है:-

जो लोग अति संवेदनशील परिस्तिथियों में अपनी आजीवन चला रहे हैं, उन्हें सीखने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें ऐसे सभी लोगों को लिंग, उम्र, जाति या नृजाति, विकलांग, प्रवासी, आदिवासी जनों, बच्चे और युवा आदि को ज्ञान और कुशल प्राप्त करने में सहायक होगा, उन्हें समाज में पूरी तरह सहभागी होने एवं अवसरों का लाभ उठाने की जरुरत है। (पैरा-25)

राष्ट्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय प्रगति' की समीक्षा एवं आवश्यकता के विषय में यह बताता है कि:

"हम सदस्य राष्ट्रों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर विकास का नियमित और समावेशी समीक्षा करें, जो राष्ट्र के द्वारा संचालित और प्रोत्साहित हैं। ऐसी समीक्षा राष्ट्रीय परिस्थितियों, नीतियों और प्राथमिकताओं के अनुसार आदिवासी जनों, सिविल सोसाइटी, निजी क्षेत्र और अन्य हितधारकों को सहयोग के लिए आकर्षित करना चाहिए।" (पैरा-79)

वास्तव में, 2030 एजेंडा में आदिवासी जनों के नाम का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। यह सतत विकास के लिए उनके महत्त्व को रेखांकित करता है, जहाँ उनका उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। वहाँ वे अव्यक्त रूप से एजेंडा की सर्वव्यापकता से जुड़े हुए हैं। इसमें किसी को पीछे न छोड़ने पर बल दिया गया है।

3. सतत विकास के 17 लक्ष्य

17 लक्ष्य हैं:

3.1 आदिवासी जनों के लिए लक्ष्यों की प्रासंगिकता

SDGs में सभी मुद्दे समाहित है, जिन्हें आज दुनिया को संबोधित करने की आवश्यकता है: जिसमें गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, शहर, जलवायु परिवर्तन, न्याय तक पहुंच, अर्थव्यवस्था भागीदारी आदि। वे सतत विकास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों को संबोधित करते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि एक को दूसरे के बिना हासिल नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर यदि आदिवासी जनों की पहुँच शिक्षा तक नहीं है, तो वह रोजगार भी प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि दुनिया जलवायु परिवर्तन का सामना सफलतापूर्वक नहीं करती है और जल प्रदूषण को नहीं रोकती है तो

यह समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण नहीं कर सकती है और स्थायी खाद्य उत्पादन सुनिश्चित नहीं कर सकती है।

इसके साथ-साथ SDGs **सुसंगत और व्यापक विकास एजेंडा** का निर्माण करती है, जो पेचीदा और चुनौती भरा है, लेकिन यह बहुत आवश्यक भी है। कुछ हद तक यह आदिवासी जनों के विकास की सम्पूर्ण दृष्टि को प्रतिबिम्बित करती है। अगर इसे प्राथमिकता दी जाए तो अधिकतम SDGs में आदिवासी जनों की परिस्थितियों और विकास संबंधी प्राथमिकताओं को लेकर संबद्धता है। इसलिए आदिवासी जनों को सभी लक्ष्यों और उद्देश्यों की समीक्षा करनी चाहिए, जो उनकी विशिष्टता में सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। नीचे दी गई सूची सम्पूर्ण नहीं है, लेकिन आदिवासी जनों के लिए वर्तमान प्रासंगिक लक्ष्यों का उदाहरण प्रस्तुत हैं :

लक्ष्य	
लक्ष्य	आदिवासी जनों की प्राथमिकता
लक्ष्य 1 : गरीबी उन्मुलन **दुनिया की सारी आबादी का पांच प्रतिशत हिस्सा आदिवासी जनों का है, उनमें से 15 प्रतिशत अत्यन्त गरीबी में जी रहे हैं। SDG 1 का उद्देश्य है, सब जगह गरीबी को हर पैमाने में कम करना। इसलिए अधिकांश आदिवासी जनों के लिए यह प्राथमिकता है, उन सबों को लेते हुए जो अमीर देशों में छोटे-छोटे समूह बनाकर जीवन जी रहे हैं।**	
1.2 गरीबी को हर पैमाने में कम करना।	अनेक आदिवासी जनों ने गरीबी और कल्याण की अपनी परिभाषा विकसित की है, जिसमें ऐसे मामलों को सम्मिलित किया है, जो भूमि और क्षेत्रों, से संबंधित मुद्दे स्वशासन और सांस्कृतिक अखंडता शामिल है।
1.4 आर्थिक संसाधनों पर समान अधिकार, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर मालिकाना नियंत्रण।	आदिवासी जनों के जमीन, इलाकों और संसाधनों पर सामूहिक अधिकार को मान्यता मिले और ऐसी परियोजनाओं को जो उनके जमीन और संसाधनों को प्रभावित करती हैं, उनको स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति देने या वापस लेने के अधिकार का सम्मान हो।

2. भूखमरी को खत्म करना **आदिवासी जन बहुत छोटे पैमाने में भोज्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं। SDG2 का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण आहार प्राप्त करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। यह आदिवासी जनों के टिकाऊ व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने का एक अवसर है, जो उनकी जमीन, क्षेत्रों और संसाधनों की मान्यता पर आधारित है।**	
2.3 और 2.4. – कृषि उत्पादकता और लघु खाद्यान्न उत्पादकों की आय को दोगुना करना, जिसमें भूमि का सुरक्षित और समान पहुँच शामिल है, इसके साथ लचीली कृषि प्रथाओं को लागू करना जो परिस्थिति तंत्र को बनाए रखने में मदद करती है ।	आदिवासी जनों के जमीन, क्षेत्रों और संसाधनों, सामूहिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करना। आदिवासी जनों के पारम्परिक व्यवसाय और स्थायी जीविका के लिए पशुपालन, झूम कृषि और वन प्रबंधन को मान्यता और समर्थन देना शामिल है ।
2.5 – बीजों की आनुवांशिकता, विविधता और आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत वितरण को बनाए रखना और पारम्परिक ज्ञान को बनाये रखना, जैसा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर समझौते हुए हैं ।	आदिवासी जनों के पारम्परिक व्यवसायों और स्थायी आजीविका, प्रथाओं आनुवांशिक संसाधनों तक पहुँच बनाने के लिए नागोया प्रोटोकॉल को आनुवंशिक संसाधनों पर लागू करने और कोन्वेन्शन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के क्रियान्वयन से होने वाले लाभ के सही और न्यायसंगत वितरण का समर्थन करता है।
3. स्वास्थ्य जीवन एवं आरोग्य **बहुत सारे आदिवासी जन खराब स्वस्थ्य से पीड़ित हैं। स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहुँच सीमित है। लेकिन उनकी पारम्परिक जड़ी बूटियों और प्रथाओं को कम आँका जाता है। SDGs 3 स्वास्थ्य जीवन को सुनिश्चित करने और सभी उम्र में आदिवासी लोगों के लिए भलाई को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है।**	
3.1 और 3.2 मातृ मृत्यु-दर और नवजात शिशुओं एवं बच्चों की मृत्यु दर को कम करना ।	पारम्पारिक स्वास्थ्य पद्धतियों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच और समर्थन को मान्यता और समर्थन प्रदान करना।

3.4 मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को प्रोत्साहन देना।	बढ़ती आत्महत्या की दर को संबोधित करना है, जो कई समुदायों के साथ-साथ आदिवासी युवाओं को प्रभावित करते हैं ।
3.8 वैश्विक स्वास्थ्य विस्तार और सबके लिए सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और सस्ती अनिवार्य दवाओं और टीकाओं तक पहुँच बनाना।	आदिवासी समुदायों में स्वास्थ्य कवरेज को फैलाना और बिना किसी भेदभाव के अनिवार्य दवाओं और टीकाओं की उपलब्धि को सुनिश्चित करना।
4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा **औपचारिक शिक्षा प्रणाली में आदिवासियों को विशेष कर महिलाओं और बालिकाओं को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। एक ही समय में आदिवासी भाषाएं और उनके ज्ञान को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में परिलक्षित नहीं किया जाता है। SDGs 4 समावेशी, न्यायसंगत (उचित) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का एक अवसर देती है और आदिवासी युवाओं, बच्चों, पुरुषों और महिलाओं के साथ-साथ विकलांग आदिवासी जनों को सीखने और बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करना है ।**	
4.1, 4.2 और 4.3 प्रासंगिक और प्रभावकारी शिक्षण परिणामों के लिए अग्रणी शिक्षा के सभी स्तरों तक समान पहुँच बनाना है ।	आदिवासी बच्चों और युवाओं, विशेष कर लड़कियों के लिए शिक्षा के सभी स्तरों तक समान पहुँच सुनिश्चित करना। आदिवासी जनों को शिक्षा के परिणाम की प्रासंगिकता को सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक सुधार को पुनर्गठन करना ।
4.7 सतत विकास के लिए ज्ञान और कौशल, जिसमें स्थायी जीवन शैली, मानवाधिकार, लैंगिक समानता, सांस्कृतिक विविधता की सराहना और सतत विकास के लिए संस्कृति के योगदान शामिल है।	औपचारिक पाठ्यक्रम में आदिवासी जनों के ज्ञान, संस्कृति और भाषाओं का समावेश एवं समाज के गैर आदिवासी क्षेत्रों को भी साथ में शामिल करना है।

लक्ष्य 5. लैंगिक समानता आदिवासी महिलाओं और लड़कियों को बहुधा तीन स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। लिंग के आधार पर, सामाजिक स्थिति के कारण और जातीयता के आधार पर उन्हें ट्रिपल भेदभाव का सामना करना पड़ता हैं। SDGs 5 में लैंगिक समानता और सशक्तिकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रामाणिक और प्रासंगिक लक्ष्यों का सेट शामिल है। यह आदिवासी महिलाओं और लड़कियों के प्रति भेदभाव को दूर करने का एक अवसर है।	
5.1, 5.2 और 5.3 महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव और हिंसा के अलावा अवैध व्यापार और हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना है।	भेदभाव, हिंसा और हानिकारक प्रथाओं से निपटने के लिए विशेष उपाय और आदिवासी महिलाओं की पूर्ण भागीदारी के साथ विकसित और कार्यान्वित करना है।
5.a. महिलाओं को समान अधिकार देने और भूमि पर स्वामित्व और नियंत्रण का हक दिलाने के लिए सुधाार लाना।	विधायी/नीतिगत सुधाार,आदिवासी महिलाओं के संगठनों को क्षमता निर्माण और सहयोग प्रदान करना तथा बाधाओं को दूर करने और महिलाओं के भूमि अधिकार सुनिश्चित करना।
6. शुद्ध जल और स्वच्छता जल एक दुर्लभ संसाधन बनता जा रहा है, जिसे आदिवासी जनों के अधिकारों की मान्यता के बगैर अकसर निजीकरण और प्रदूषित किया जा रहा है। इसी प्रकार आदिवासी जनों के साथ पानी तक पहुँच और स्वच्छता को लेकर बहुधा भेदभाव किया जाता है। SDGs 6 का उद्देश्य सभी के लिए शुद्ध जल और स्वच्छता के सब स्थायी प्रबंधन और उपलब्धता को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए आदिवासी जनों की परिस्थितियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।	
6.b. शुद्ध जल और स्वच्छता प्रबंधन में सुधार लाने के लिए स्थानीय समुदायों की सहभागिता को मजबूती देना और प्रोत्साहित करना शामिल है।	अपनी जमीन और क्षेत्रों के अन्तर्गत जल संसाधन के लिए आदिवासी जनों के अधिकारों को मान्यता देना और उनकी प्रबंधन क्षमता को मजबूत बनाना शामिल है।

7. सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा	
विकासशील देशों में अनेक आदिवासी जन की ऊर्जा तक पहुँच नहीं है । जबकि ऊर्जा संबंधित परियोजनाओं का विस्तार अकसर यही आदिवासी जनों के जमीन, क्षेत्रों और संसाधनों पर अधिकार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। SDGs 7 का उद्देश्य सब के लिए सस्ती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवा सुनिश्चित कराना है। इसे सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपायों की आवश्यकता है। आदिवासियों के अधिकारों का सम्मान किया जाए, ताकि वे एक समान स्तर पर लाभान्वित हो सकें।	
7.2 वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में बढ़ावा देना।	यह सुनिश्चित करना कि आदिवासी जनों की जमीन और क्षेत्रों में उनकी स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा की परियोजनाओं का विस्तार उनके स्वतंत्र, पूर्व और सूचित स्वीकृति के साथ हो।
8. उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि	
बहुधा आदिवासी जन आर्थिक विकास से लाभान्वित नहीं होते, श्रम बाजार में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। वे श्रम के अधिकार के निकृष्ट उल्लंघन के शिकार होते हैं, जैसे बालश्रम, बेगारी इत्यादि। SDGs 8 का उद्देश्य समावेशी और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसके साथ सबों के लिए पूर्ण और उत्पादनकारी रोजगार और मर्यादित कार्य को बढ़ावा देना है। इसके लिए विशेष रूप से आदिवासी जनों और विशेष कर आदिवासी महिलाओं, युवाओं और विकलांगों की परिस्थिति में सुधार लाने के लिए विशेष मेहनत की आवश्यकता है।	
8.6 बेरोजगार युवाओं के अनुपात को कम करना है, जो शिक्षित, रोजगार युक्त और प्रशिक्षित नहीं हैं।	रोजगार और व्यवसायों में आदिवासी युवाओं के भेदभाव को दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रम और पहल विकसित करना।
8.7 बेगारी और बाल-श्रम को खत्म करना।	आदिवासी जनों के बीच बेगार और बाल-श्रम को कम करने के लिए विशेष कार्यक्रम और पहल विकसित करना है, जो दुनिया के अनेक क्षेत्रों में इन कुप्रथाओं के मुख्य शिकार हैं ।

10 असमानताओं में कमी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक क्षेत्रों में आदिवासी जनों के बीच राज्यों, समाज के अन्य क्षेत्रों के बीच का संबंध गहरी असमानताओं के रूप में चिन्हित है। SDG 10 का उद्देश्य देशों के बीच और भीतर ऐसी विसमताओं को कम करना है। इस प्रकार आदिवासी जनों के खिलाफ चले आ रहे क्रमबद्ध भेदभाव को दूर करने का एक अवसर मिलता है।	
10.2 और 10.3 सभी के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समावेशन को सशक्त और प्रोत्साहित करना और सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। इसके लिए परिणाम की असमानता को कम करना साथ ही भेदभावपूर्ण कानूनों, नीतियों और परम्पराओं को समाप्त करके समान अवसर को बढ़ावा देना।	व्यापक सुधार की जिम्मेदारी लेना और यह सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय कानून और नीतियाँ UNDRIP का पालन करें और ILO कॉन्वेन्शन संख्या 169 और WCIP आउटकम दस्तावेज में सम्मिलित प्रतिबद्धताओं का पूर्ण कार्यान्वयन करें।
13. जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही आदिवासी जन उन लोगों में से एक हैं, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन में सबसे कम योगदान दिया है। फिर भी वे जीवित पारिस्थितिक तंत्रों पर अपनी निर्भरता के कारण सबसे अधिक प्रभावित होते रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन पारिस्थितिक तंत्रों पर निर्भर करता है। SDG 13 का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई करने को लेकर है। उनके लचीलेपन और अनुकूली क्षमता को प्रोत्साहित करते हुए जलवायु परिवर्त्तन को कम करने में आदिवासियों के योगदान पर विशेष ध्यान देना चाहिए।	
13.1 जलवायु से संबंधित खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलेपन और अनुकूली क्षमता को मजबूती प्रदान करना ।	आदिवासी समुदायों को उनके जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन और अनुकूल क्षमता को मजबूती प्रदान करते हुए, उन्हें मजबूती प्रदान करना, जिसमें उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नामित फंड तक सीधी पहुँच शामिल है।

14. जलीय जीवन की सुरक्षा	
कुछ आदिवासी जनों के क्षेत्रों में समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं। SDG 13 का उद्देश्य सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और सागरीय संसाधनों का संरक्षण और निरन्तर उपयोग करना शामिल है। यह आदिवासी जनों के अधिकारों की मान्यता से अलग होना चाहिए। इसे स्थायी प्रबंधन प्रणालियों के लिए समर्थन प्रदान करना चाहिए।	
14b. समुद्री संसाधनों और बाजारों में छोटे पैमाने पर मछुआरों के लिए पहुँच के अवसर प्रदान करना चाहिए।	आदिवासी जनों के पारम्परिक समुद्री क्षेत्रों और जल संसाधनों के अधिकारों का सम्मान करना और उनके पारम्परिक व्यवसायों के लिए बेहतर बाजार तक पहुँच के अवसर प्रदान करना।
15. जमीन पर जीवन	
आदिवासी जनों के लिए जमीन, क्षेत्रों और संसाधनों का विशेष सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्त्व है। दुनिया के आनुवंशिक संसाधनों का अधिकांश हिस्सा आदिवासी जनों की जमीन में उपलब्ध हैं। उनकी आजीविका से जुड़ी विशिष्ट प्रथाओं और पारम्परिक पारिस्थितिक ज्ञान बहुत कम कार्बन का उत्सर्जन और टिकाऊ विकास, जैव विविधता संरक्षण, जैव-विविधता के स्थायी उपयोग और आनुवांशिक विविधता को बनाये रखने में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। SDG 15 का लक्ष्य परितंत्र के स्थायी उपयोग की रक्षा, सतत पार्थिव परितंत्र, सतत वन प्रबंधन, मरुस्थलीकरण के विरोध की सुरक्षा करने, पुनरुद्धार करने और प्रोत्साहित करने का लक्ष्य है। भूमि की पैदावार की गिरावट को रोकने और जैव-विविधता की हानि पर रोक लगाने के प्रति वचनबद्ध है। यह आदिवासी जनों के योगदान और उनके अधिकारों को मान्यता दिए बिना इसकी प्राप्ति नहीं हो सकेगी।	
15.2 सभी प्रकार के वनों का स्थायी प्रबंधन, वन-कटाई पर रोक, वनों को नष्ट करने पर रोक, निम्नकोटिकृत वनों का उद्धार और सारी दुनिया में वनरोपण और पुन:वनरोपण को बढ़ावा देना।	आदिवासी जनों की जमीन, क्षेत्रों और संसाधनों के अधिकारों को मान्यता देना और वन संसाधन के स्थायी प्रबंधन के लिए उन्हें सहायता देना।

16. शांन्ति, न्याय और सुदृढ़ संस्थाएँ आदिवासी जनों के अपने संगठन, स्वशासन प्रणाली, पारम्परिक नियम, झगड़ों का निपटारा, जमीन और संसाधनों को संचालन करने के लिए उनका अपना संस्था तंत्र है। यह बहुधा अनुमोदित नहीं हैं, जबकि बहुत सारे आदिवासी जन अपने ही राज्य में, जहाँ वे निवास करते हैं। न्याय में सहभागी होने और न्याय तक पहुँच से वंचित हैं। ऐसा भी है कि आदिवासी जन बहुधा संघर्षों के शिकार हैं। पर्यावरण के लिए काम करने वाले आदिवासियों, सक्रियतावादियों पर हमले होते रहते हैं। उन्हें जान से मार दिया जाता है। SDG 16 का उद्देश्य स्थायी विकास के लिए शांन्तिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने और कानून तक सभी की पहुँच बनाए रखने और सभी स्तरों पर प्रभावकारी, जिम्मेदार और समावेशी संस्थानों का निर्माण करना। यह आदिवासियों को न्याय, सुरक्षा, स्वशासन और स्व-निर्धारित विकास जैसे सबसे अधिक मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने का एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।	
16.3 राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर कानून के शासन को बढ़ावा देना और सबके लिए न्याय की पहुंच समान रूप से सुनिश्चित करना।	UNDRIP में आदिवासियों के अधिकारों की मान्यता के आधार पर औपचारिक न्याय क्षेत्र में न्याय पाने के लिए पहुँच को सुनिश्चित करना। इसके साथ ही उनके प्रथागत कानून संस्थाओं को मान्यता और समर्थन देना।
16.4 जन्म पंजीकरण सहित सभी के लिए कानूनी पहचान प्रदान करना।	बहुत सारे आदिवासी जनों के लिए कानूनी पहचान प्रदान करने के लिए लक्षित पहल करनी चाहिए, जिनके पास उस देश की नागरिकता प्राप्त नहीं है, जहां वे निवास करते हैं।
16.10 सूचना के लिए सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित करना और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करना।	आदिवासी मानवाधिकार और पर्यावरणीय कार्यकर्त्ताओं की सुरक्षा के लिए यथाशीघ्र कदम उठाना, जो अपनी जमीन और क्षेत्रों की प्रतिरक्षा के लिए सबसे अधिक जोखिम उठाते रहते हैं।

17. लक्ष्यों के लिए साझेदारी SDG का लक्ष्य है, SDG के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक साधनों को सुरक्षित करना, जिसमें वित्त, व्यापार, व्यवसाय, साझेदारी, आंकड़े आदि सम्मिलित हैं। अकसर आदिवासी जन पर निवेश का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे स्थायी विकास के लिए साझेदारी के क्षेत्र में छूट जाते हैं। SDG 17 आदिवासी जनों की मान्यता के आधार पर नई साझेदारी बनाने का अवसर प्रदान करता है।	
17.16 सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देना, जो बहुस्तरीय साझेदारियों द्वारा पूरक हो, जिसमें ज्ञान, विशेषज्ञता, तकनीक और आर्थिक संसाधनों को जुटाए और साझा करें।	सतत विकास हेतु, आदिवासी जनों के अधिकारों के लिए सम्मान पर आधारित सरकार, आदिवासी जन, यूएन एजेन्सियों, कम्पनियों और अन्य इच्छुक भागीदारों के बीच अभिनव साझेदारी स्थापित करना ।
17.18 आंकड़ों की उपलब्धता बढ़ाना, जो आय, लिंग, जाति, नृजाति, प्रवासी स्थिति, विकलांगता, भौगोलिक स्थिति और अन्य विशेषताएं जो राष्ट्रीय संदर्भ में प्रासंगिकता के कारण असंकलित हैं।	राष्ट्रीय आंकड़ा संचयन में किसी आदिवासी पहचानकर्त्ता को सम्मिलित करना। इसे सुनिश्चित करने के लिए सतत विकास में आदिवासी जनों के सांख्यिकी आंकड़े संकलित हों ।

3.2 आदिवासी जनों के अधिकारों पर सतत विकास का निर्माण करना

आदिवासी जनों के लिए SDGs को कैसे प्राप्त किया जाएगा, इस विषय पर विस्तृत और वैश्विक ढांचा के रूप में, 2030 एजेंडा और SDGs विस्तृत दिशानिर्देश नहीं देते हैं।

इसी तरह परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर उनके FPIC की आवश्यकता के लिए कोई स्पष्ट संदर्भ नहीं है, जो उन्हें प्रभावित करते हैं । यद्यपि कुछ SDGs जैसे आर्थिक विकास, औद्योगीकरण, ऊर्जा इत्यादि पर आदिवासी जनों के लिए नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि कार्यान्वयन में उनके अधिकारों का सम्मान न किया जाए।

UNDRIP के आधार पर, आदिवासियों का सतत विकास के लिए एक **मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण** का निर्माण करना, यह सुनिश्चित करने का तरीका है कि एसडीजी:

- समान स्तर पर आदिवासी जनों को लाभान्वित करेगा,
- वह प्रासंगिक हैं और आदिवासी लोगों का स्थायी विकास के लिए प्राथमिकताओं में योगदान करते हैं, और;
- आदिवासी जनों के अधिकारों और विकास को नकारात्मक ढंग से प्रभावित नहीं करती हैं।

इस तरह के दृष्टिकोण का निर्माण उन देशों पर होना चाहिए, जो पहले से ही आदिवासियों के अधिकारों के लिए बने हैं, जिनमें शामिल हैं: –

- UNDRIP और अन्य मानवाधिकारों के उपकरण और श्रम मानक।
- अन्तरराष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौतों में परिलक्षित प्रतिबद्धताएँ।
- WCIP के परिणाम दस्तावेजों में प्रतिबिम्बित प्रतिबद्धताएँ।

सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानवाधिकार मार्गदर्शिका :
(http://sdg.humanrights.dk/en/node/10)

SDGs के लिए मानवाधिकारों मार्गदर्शक एक बहुभाषी आँकड़ों का आधार है, जो सतत विकास के लक्ष्यों और अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकारों और श्रम मापदण्डों के बीच संबंध को दर्शाता है।

सभी प्रमुख अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन, घोषणाएं और श्रम मानदण्ड, UNDRIP सहित गाइड में सम्मिलित हैं। इसलिए आदिवासी जन एक दिशानिर्देश बनाने के लिए इस मार्गदर्शिका का प्रयोग कर सकते हैं, जो सतत विकास के लिए मानवाधिकार आधारित पद्धति UNDRIP और अन्य मुख्य मानवाधिकार के मापदण्डों पर आधारित हैं।

कुल मिलाकर मानवाधिकार मार्गदर्शिका इस बात का खुलासा करता है कि **92 प्रतिशत** SDG के लक्ष्य विशिष्ट मानवाधिकार उपकरणों और अनुच्छेदों से जोड़े जा सकते हैं। इसलिए मानवाधिकार 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शिका के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मार्गदर्शिका यह भी दिखलाता है कि लक्ष्यों के **एक तिहाई भाग** UNDRIP के विशेष प्रावधान से जुड़े हुए हैं।

UNDRIP के अनुच्छेदों और SDGs के विशिष्ट लक्ष्यों के बीच सम्बन्ध हैं, जो राष्ट्रों के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। UNDRIP के प्रावधान के अनुसार आदिवासियों और अन्य संस्थानों को SDGs के निहितार्थ के लिए रणनीतियां तैयार करने और योजनाओं को बनाने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश देता है।

लक्ष्य 3.1 का प्रयोग एक उदाहरण की तरह किया जा सकता है। यह लक्ष्य है मातृ मृत्युदर को कम करना। यह UNDRIP के अनुच्छेदों से जुड़ा हुआ है, जो **जीवन जीने का अधिकार, पारम्परिक औषधियों और स्वास्थ्य पद्धतियों और स्वास्थ्य के उच्चतम** प्राप्त मानक की प्राप्ति से संबंधित है।

लक्ष्य	UNDRIP अनुच्छेद से जुड़ाव
3.1 वर्ष 2030 तक वैश्विक मातृ मृत्युदर के अनुपात को 70 प्रति 100,000 जीवित जन्म से कम करना।	7.1 आदिवासी जनों के जीवन पर शारीरिक और मानसिक अखंडता, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार है। 24.1 आदिवासी जनों को अपने पारम्परिक दवाईयों और स्वास्थ्य प्रणाली को बनाये रखने का अधिकार है। इसके साथ ही जीवनदायी जड़ी-बूटियों, पशुओं और खनिज द्रव्यों के संरक्षण का अधिकार भी हैं। आदिवासी जनों का बिना किसी भेदभाव के साथ सभी सामाजिक और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का अधिकार है। 24.2 आदिवासी जनों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चत्तम प्राप्त मानक को उपभोग करने का समान अधिकार है। इस अधिकार की पूर्ण प्राप्ति के लिए राष्ट्र को आवश्यक कदम उठाना है।

इसलिए, जब राष्ट्रीय लक्ष्य 3.1 को प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार करते है, तो उन्हें इस बारे में सोचने की आवश्यकता है :

- आदिवासी महिलाओं की विशेष परिस्थिति।
- स्वास्थ्य के उच्चत्तम मानक को सुरक्षित प्राप्त करने के लिए इन महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक समान रूप से पहुँच कैसे हो सकती है।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि आदिवासी महिलाओं को दी जानेवाली स्वास्थ्य सेवा के साथ पारम्परिक औषधियाँ और स्वास्थ्य पद्धतियाँ को कैसे जोड़ा जा सके।

परिशिष्ट लक्ष्यों, निशानों और UNDRIP के परिच्छेदों एवं उनके बीच के पूरे संबंध को समूह के रूप में दर्शाता है।

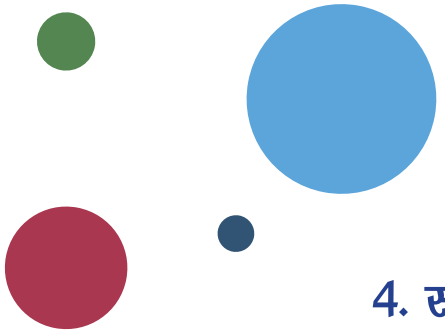

4. संकेतक और आँकड़े

आदिवासी जनों के लिए समस्या यह है कि वह सरकारी आंकड़ों में बहुधा अदृश्य होते हैं। इस प्रकार से अधिकांश देशों में महत्त्वपूर्ण आंकड़ों में अन्तर रहता है, जिसे भरना जरूरी है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाए की आदिवासी जन पीछे न छूट जाएं।

SDGs की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सांख्यिकी आयोग ने 232 वैश्विक संकेतकों को अपनाया है, जिससे SDGs की निगरानी किया जा सके। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSOs) इन संकेतकों के आधार पर आंकड़े जमा करें और यू॰एन॰ महासचिव के सहयोग से वार्षिक रिपोट तैयार करेंगे, जो वैश्विक संकेतक ढांचे पर आधारित होगा।

आदिवासी जनों के लिए लाभदायक सूचनाएँ उत्पन्न करने के लिए इन वैश्विक संकेतकों के प्रयोग की संभावना तीन कारणों पर निर्भर करती हैं :

- आदिवासी जनों के अधिकारों और विकास के लिए वैश्विक संकेतकों की **प्रासंगिकता**।
- वैश्विक संकेतकों के आधार पर वास्तव में आंकड़ा जमा करने की NSOs की **सामान्य क्षमता**।
- **NSOs की क्षमता** या तो :
  - (i) आदिवासी जनों के आंकड़ों को अलग करना।
  - (ii) आदिवासी जनों की परिस्थितियों के अनुसार विशेष आंकड़ा जमा करना।

[11] The first Sustainable Development Goals Report was presented to the High Level Political Forum in the summer of 2016. See the full report: http://unstats.un.org/sdgs/report/2016/The Sustainable Development Goals Report 2016.pdf

वास्तव में पर्याप्त आंकड़े उत्पन्न करने में वैश्विक संकेतकों के उपयोग की क्षमता विभिन्न देशों एवं प्रान्तों में बहुत भिन्न होती है। इसलिए आदिवासी जनों को आंकड़ों के अंतराल का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। इन रिक्तियों को भरने के लिए रणनीति विकसित करने की जरूरत है। इसके साथ-साथ **पूरक राष्ट्रीय संकेतक** और **साझेदारी सम्मत आंकड़ा संचयन** विकसित करना है । इन मामलों पर निम्नलिखित अनुभाग अधिक विस्तार से बताते हैं।

4.1 वैश्विक संकेतकों की प्रासंगिकता

230 वैश्विक संकेतकों में से कोई भी आदिवासी जनों पर विशेष रूप से केन्द्रित या निगरानी का उल्लेख नहीं है। यह एक स्पष्ट कमजोरी है, जो आदिवासी जनों की परिस्थितियों को खोज निकालने के लिए कठिन हो जाता है, इसके साथ ही सीधे तौर पर संकेतकों का उपयोग करना कठिन हो जाता है।

इसके होते हुए भी वैश्विक संकेतकों की **मानवाधिकारों की प्रासंगिकता** के सामान्य विश्लेषण से यह प्राप्त होता है कि वैश्विक संकेतकों का लगभग आधा हिस्सा सीधे तौर पर आदिवासी जनों के अधिकारों सहित मानवाधिकार, प्रासंगिक, आंकड़े उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या समूह और अन्य की तुलना में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुँच, मानवाधिकार के समर्थकों की हत्या के मामले, सार्वजनिक संस्थाओं में पदों का वितरण आदि, इसमें सम्मिलित है।[12]

इसका तात्पर्य यह होता है कि वैश्विक संकेतकों के अनुसार आदिवासी जनों के लिए एसडीजी के तहत सामान्य मानवाधिकार पहलुओं की निगरानी की जा सकती है। यदि इसके लिए अलग से डेटा एकत्र किया जाता हो तब।

ऐसा होने पर भी वैश्विक संकेतक आदिवासी जनों के मानवाधिकारों के विशिष्टताओं को नहीं पकड़ सकता हैं, उदाहरण के लिए आदिवासी भाषाओं में शिक्षण या जमीन, क्षेत्रों और संसाधनों से संबंधित सामूहिक अधिकार। अतः आदिवासी जनों की विशेष परिस्थितियों को पकड़ के लिए अतिरिक्त राष्ट्रीय संकेतकों की आवश्यकता है।

[12] For a full list of indicators and assessment of their relevance see DIHR report on human rights in FUR: http://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/may_17_follow-up_and_review_sdg_docx.pdf

4.2 पूरक राष्ट्रीय संकेतक

2030 एजेंडा वैश्विक संकेतक को राष्ट्रीय संकेतक से पूर्ण करने की आवश्यकता को दर्शाता है। ऐसे संकेतकों को उन मुद्दों को आँकना चाहिए, जो किसी विशेष रूप से दिए गये देश के लिए प्रासंगिक हैं। इसका प्रयोग आदिवासी जनों के लिए विशेष महत्त्व रखने वाले मुद्दों को सुलझाने के लिए किया जा सकता है।

मानवाधिकारों के लिए संयुक राष्ट्र संघ के उच्चायुक्त की सिफारिश है कि **मानवाधिकार संकेतक** तीन आयामों को मापते हैं :-

यह मानवाधिकार के लिए राष्ट्रों की **प्रतिबद्धता** है, उदाहरण के लिए अन्तरराष्ट्रीय समझौतों के अनुसमर्थन के द्वारा और राष्ट्रीय कानूनों और नीतियों के अंगीकरण के द्वारा ऐसे संकेतकों को **संरचनात्मक संकेतक** कहते हैं।

यह मानवाधिकारों के परिणामों तक पहुँचने के लिए राष्ट्रों का **प्रयास** है। उदाहरण के लिए बजट के आवंटन, प्रशिक्षण, संगठनों की स्थापना आदि। ऐसे संकेतकों को **प्रक्रिया संकेतक** कहा जाता है ।

यह सभी जन समूहों के लिए वास्तविक रूप से **मानवाधिकारों का उपभोग** करने का एक जरिया है, उदाहरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनैतिक सहभागिता आदि। ऐसे संकेतकों को **परिणाम संकेतक** कहा जाता है।

अधिकतर वैश्विक संकेतक **परिणाम** के मूल्यांकन पर ध्यान केन्द्रित करते हैं, जबकि कुछ वैश्विक संकेतक राष्ट्र की प्रतिबद्धता और प्रत्याशित परिणाम तक पहुँचने की कोशिशों को मापते हैं ।

लक्ष्य की प्राप्ति हो पायी है या नहीं, इसे अंततः मापने के लिए परिणाम संकेतक अत्यधिक प्रासंगिक हैं। लेकिन प्रायः यह परिणाम जटिल मिश्रित प्रक्रियाओं के निष्कर्ष होते हैं, जो समय के साथ-साथ बहुत धीरे से बदलते हैं। इसलिए परिणाम संकेतक से राष्ट्रों के लक्ष्यों और निशानों को प्राप्त करने की **तत्काल निष्ठा और कोशिशों** को मापने की **सीमित क्षमता** होती है।

उदाहरण के लिए, संकेतक 4.1.1 बच्चों और युवाओं के अनुपात को मापना, जो पढ़ने और गणित में दक्षता हासिल करते हैं। यह संकेतक **शिक्षा संबंधी**

परिणाम को मापता है और आदिवासी बच्चों और युवाओं के लिए प्रासंगिक है, यदि असंकलित आंकड़ा जमा किया जाता है। लेकिन संकेतक राष्ट्र की प्रतिबद्धता और आदिवासियों के खिलाफ भेदभाव को दूर करने के प्रयास के बारे कुछ नहीं कहता है। तब राष्ट्रीय संरचनात्मक और प्रक्रिया संकेतकों के साथ वैश्विक परिणाम संकेतकों को पूरक करने के लिए प्रासंगिक होगा।

यह मापने के लिए की क्या राष्ट्रीय कानून और पाठ्यक्रम आदिवासी भाषाओं में शिक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षकों को द्विभाषी प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें आदिवासी स्कूलों में बहाल किया जाता है। इसका मापन करने के लिए वैश्विक परिणाम संकेतकों को **राष्ट्रीय संरचनात्मक और प्रणाली संकेतकों** से पूर्ण करना प्रासंगिक हो सकता है।

4.3 राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालयों के आंकड़ों में अंतराल और क्षमताएँ

वैश्विक संकेतक तीन स्तरीय प्रणाली में वर्गीकृत किए गए हैं :

- ❍ वैचारिक रूप से स्पष्ट
- ❍ सुव्यवस्थित विधि-तंत्र और मानक स्तर
- ❍ नियमित रूप से देशों के द्वारा उत्पादित किया जाता है।[13]

टियर 1 में वैश्विक संकेतकों के केवल **36 प्रतिशत** वर्गीकृत हैं।

इसका अर्थ यह है कि वैश्विक संकेतकों का अधिकांश हिस्सा (टियर 2 और टियर 3) पर अधिक काम करना चाहिए, लेकिन NSOs इस संकेतकों के अनुसार आंकड़े एकत्रित नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से **आंकड़ों में लंम्बा अंतराल** है। NSOs को आंकड़े एकत्र करने से पहले **अतिरिक्त समय और पर्याप्त संसाधनों** की जरूरत होगी।[14]

---

[13] See Official Tier classification of indicators: http://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-04/Tier Classification of SDG Indicators Updated 23-09-16.pdf

[14] For a more detailed analysis, see DIHR report on Data and Human Rights: http://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/dokumenter/ud-givelser/sdg/data_report_2016.pdf

इसके साथ-साथ बहुत से वैश्विक संकेतक आदिवासी जनों के लिए केवल प्रासंगिक मात्र हैं, यदि NSOs **असंकलित आंकड़े** जमा करें। अधिकांश NSOs असंकलित आंकड़े जमा कर सकते हैं, जो लिंग और उम्र पर आधारित हो, परन्तु दुर्भाग्यवश कहना पड़ता है कि यह आदिवासी विशिष्टता (Identity) जातीयता पर आधारित होता है। यदि आंकड़े असंकलित नहीं हैं, तो आदिवासी जनों की स्थिति राष्ट्रीय अनुपात में छिप जाएगी।

राष्ट्रीय जनगणना और घरेलू गणना (household) में एक आदिवासी पहचान कर्त्ता को शामिल करके असंकलन किया जाता है।

2030 एजेंडा सभी को असमानताओं की निगरानी करने के लिए एक मुख्य दृष्टिकोण के रूप में इस बात को सुनिश्चित करने के लिए की कोई पीछे नहीं छूटे आंकड़ों को संकलन पर जोर देती है। वैश्विक संकेतकों का ढांचा बतलाता है कि आंकड़े लिंग, उम्र, जाति, नृजातीयता, प्रवासी स्थिति, विकलांगता और भौगोलिक स्थिति के अनुसार असंकलित है। यह इस बात को भी स्वीकार करती है कि NSOs की असंकलित आंकड़े की क्षमता को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसलिए लक्ष्य 17.18 स्पष्ट रूप से NSOs की क्षमता को मजबूत करने का लक्ष्य है।

लक्ष्य 17.18 : वर्ष 2030 तक विकासशील देशों के लिए क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं, जिसके अन्तर्गत सबसे कम विकसित राष्ट्रों और छोटे-छोटे विकासशील देश सम्मिलित हैं, ऐसे राष्ट्र क्षमता निर्माण को बढ़ाना चाहती है। जिस कारण अर्थपूर्ण ढंग से, आय, लिंग, उम्र, जाति, जातीयता, प्रवासी स्थिति, विकलांगता, भौगोलिक स्थिति और राष्ट्रीय संदर्भों में अन्य प्रासंगिक विशेषताओं के द्वारा उच्च विशेषता सहित, समय पर और विश्वसनीय असंकलित आंकड़े की उपलब्धता बढ़ाना चाहती है।

आदिवासी जनों को NSOs के साथ भागीदारी करनी चाहिए। आदिवासी जनों के लिए आंकड़े, निगरानी और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य 17.18 को कार्यान्वयन करने की लिए वकालत करनी चाहिए।

4.4 आदिवासी जनों के द्वारा आंकड़ा संचयन

आंकड़ा अंतराल को दूर करने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए कि आदिवासी जन अदृश्य और पीछे नहीं छोड़ा जा रहा है, वे स्वयं ही आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं। कई अन्य सहयोगी के साथ AIPP द्वारा पहल किया गया है कि आदिवासी दिशा निर्देश (The Indigenous Navigator) एक **समुदाय आधारित निगरानी और सूचना प्रणाली** है। यह आदिवासी जनों के लिए आंकड़े जमा करने के लिए और अपने अधिकारों और विकास की निगरानी करने के साथ ही आंकड़ों के बारे में राष्ट्रीय, प्रान्तीय और वैश्विक समीक्षा प्रक्रियाओं में प्रतिवेदन जमा करने के लिए उपकरण प्रदान करता है।

आदिवासी दिशा निर्देशक का प्रयोग निम्नलिखित प्रक्रियाओं का निगरानी के लिए प्रयोग किया जा सकता है :-

- आदिवासी जनों के अधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र (यूएनड्रिप) के क्रियान्वयन।
- आदिवासी जनों पर विश्व सम्मेलन(WCIP) के परिणाम
- SDGs के आवश्यक पहलु

आदिवासी दिशा निर्देशक निम्नलिखित **उपकरण और संसाधन** उपलब्ध कराता है :

- UNDRIP, SDGs और आदिवासी जनों पर हुए विश्व सम्मेलन के परिणामों को मापने के लिए विस्तृत संकेतक ढांचा।
- समुदाय और राष्ट्रीय स्तरों पर आंकड़ा जमा करने के लिए प्रश्नावली।
- सभी प्रान्तों, राज्यों और समुदायों के आरपार की परिस्थितियों का त्वरित आकलन और तुलना करने के लिए एक आदिवासी जनों की सामुदायिक सूची और एक आदिवासी जनों का राष्ट्रीय सूची।
- एक तुलनात्मक मापदण्ड जो UNDRIP और अन्य मानवाधिकार उपकरणों के बीच के संबंध को दर्शाता है।
- देशों और समुदायों में आंकड़ों और उपकरणों को साझा करने के लिए एक आंकड़ों का पोर्टल (प्रवेश द्वार)।

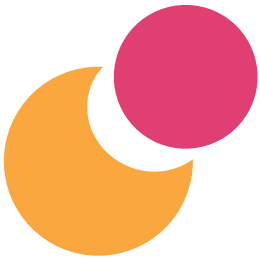

5. फोलो अप और समीक्षा

2030 एजेंडा में **फोलो अप और समीक्षा** तंत्रों (Follow Up and Review: FUR) का वर्णन किया गया है, जो लक्ष्यों के कार्यान्वयन में प्रगति को **मापना और मार्गदर्शक** रूप में करना चाहिए। FUR तंत्र प्रक्रिया तीन स्तरों पर कार्य करेगी :

- **राष्ट्रीय स्तर** पर राष्ट्रों को 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना विकसित करनी चाहिए और हितधारियों और आदिवासी जनों के योगदान में प्रगति का नियमित रूप से आन्तरिक समीक्षा का संचालन करना होगा।
- **क्षेत्रीय स्तर** पर, FUR राष्ट्रीय स्तर की समीक्षाओं पर आधारित होगा। इसके साथ ही वैश्विक स्तर की समीक्षा में योगदान देगा। क्षेत्रीय रुझानों की पहचान करने और विशेष क्षेत्रीय चुनौतियों को संबोधित करने के साथ ही सीमा–पार के मुद्दों सहित विशिष्ट क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने पर इसका ध्यान केन्द्रित होगा।
- **वैश्विक स्तर** पर फोलो अप और समीक्षा मुख्य रूप से **उच्च स्तरीय राजनैतिक फोरम** (HLPF) के माध्यम से सम्पन्न होगा, जिसकी बैठक प्रति वर्ष न्यूयार्क में होती है। HLPF में देश **स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा** (Voluntary National Reviews-VNRs) के अपने स्वैच्छिक लक्ष्यों की प्राप्ति में आ रही प्रगति और चुनौतियों की समीक्षा में भाग ले सकते हैं।

FUR तंत्र स्वैच्छिक है। इसका नेतृत्व देशों के द्वारा होता है। HLPF को रिपोर्टिंग करना भी स्वैच्छिक है। स्वतंत्र समीक्षा के लिए कोई प्रत्यक्ष सिफारिश नहीं है या किसी राज्य की प्रत्यक्ष अनुशंसा की जरूरत नहीं है। इसलिए तुलनात्मक दृष्टिकोण से इसकी क्रियाविधियाँ कमजोर हैं, लेकिन इस तंत्र को मजबूत बनाया जा सकता हैं, यदि आदिवासी जन FUR को सक्रिय रूप से योगदान दें। मानवाधिकार प्रणाली की सिफारिशों का प्रयोग करते हुए, संयुक्त राष्ट्र के विशेष सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (UN Special UPR) और आदिवासियों के विशेष अधिकार के लिए संयुक्त

राष्ट्र के रपोटियर के मध्यम से FUR को मजबूत करने और SDG का राष्ट्रीय कार्यान्वयन के मार्गदर्शन के लिए आदिवासी लोग योगदान दे सकते हैं.

फोलो अप और समीक्षा क्रियाविधि अब भी रूप ले रही है ।

2030 एजेंडा की योजना बनाने, कार्यान्वयन और समीक्षा की प्रक्रिया एक देश से दूसरे देश और एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में अलग-अलग होगी। इसके लिए दिशा निर्देशन और कार्यप्रणालियाँ अब तक पूरी तरह विकसित नहीं हुई हैं। इन प्रक्रियाओं में सभी स्तरों पर निरन्तर चल रहे परामर्शों में आदिवासी जन सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।

5.1 फोलो अप और समीक्षा तंत्र के सिद्धान्त

2030 एजेंडा जोर देती है कि FUR का उद्देश्य नागरिकों के प्रति **उत्तरदायित्व** को सुनिश्चित करना।[15] और एजेंडा **सिद्धान्तों** का विवरण प्रदान करना है, जो सभी स्तरों पर FUR की प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन करेगा। यह प्रक्रियाएं समावेशी, भाग लेने वाली और पारदर्शी, साथ ही साथ मानव केन्द्रित, लैगिंक संवेदनशील, मानवाधिकार का सम्मान करनेवाली प्रक्रियाएँ होनी चाहिए, समावेशी सहभागितापूर्ण और पारदर्शी होने के साथ साथ, जो अत्यंत गरीब, अत्यंत असुरक्षित और सबसे पीछे पायदान पर है, उनके ऊपर विशेष ध्यान केन्द्रित करने वाली होनी चाहिए।[16]

2030 एजेंडा स्पष्ट रूप से FUR में आदिवासी जनों के समावेश का उल्लेख करता है।

*"हम सदस्य राष्ट्रों के नागरिकों की प्रगति को राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर नियमित और समावेशी समीक्षाओं के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो राष्ट्र द्वारा संचालित और राज्य द्वारा प्रेरित है। ऐसी समीक्षाओं को **आदिवासी जनों**, सिविल सोसाइटी, निजी क्षेत्र और अन्य हितधारियों से सहयोग प्राप्त करना चाहिए, जो राष्ट्रीय परिस्थितियों, नीतियों और प्राथमिकताओं के अनुरूप हों। राष्ट्रीय संसदों के साथ-साथ अन्य संस्थाएँ भी इन प्रक्रियाओं का समर्थन कर सकता हैं."* (Transforming Our World : सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा कार्यसूची, पेरा० 79)

[15] Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development, para 73.

[16] Ibid, para 74

जब 2030 एजेंडा सिद्धान्त में वर्णित FUR सिद्धान्तों की तुलना विकास के **मानवाधिकार–आधारित दृष्टिकोण** (Human Right-Based Approach-HRBA) के सिद्धान्तों से करते हैं, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ बहुत सारी समानताएं हैं। इसलिए SDGs को कार्यान्वित करने के लिए आदिवासी जनों को मानवाधिकार–आधारित दृष्टिकोण के लिए पैरवी करनी चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए की उनके अधिकार और प्राथमिकताएं निम्नलिखित हैं।[17]

2030 कार्यसूची के फोलो अप और पुनार्वलोकन के लिए सिद्धान्त	विकास के मानवाधिकार पर आधारित दृष्टिकोण के लिए सिद्धान्त	आदिवासी जनों के लिए अवसर / प्रासंगिकता
FUR प्रक्रियाओं का लक्ष्य है नागरिकों के **जवाबदेही** को बढ़ावा देना।	**उत्तरदायित्व** : राष्ट्र और अन्य कर्त्तव्य वाहन करने वालों की जिम्मेदारी बनती है कि वह सम्मान करने, संरक्षण देने और मानवाधिकारों की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी उठाए, जहाँ ऐसा करने से चूकते हैं, वहाँ अधिकार धारियों को हरजाना खोजना चाहिए। **उत्तरदायित्व** – सूचना तक पहुँच व अधिकार धारकों की क्षमता निर्माण के अधिकार से बड़ी निकटता से जुड़ा है, जिससे वह अपने अधिकारों के लिए प्रभावशाली ढंग से दावा कर सकें।	2030 एजेंडा के क्रियान्वयन में आदिवासी जनों के प्रति राष्ट्रों को **UNDRIP और अन्य मानवाधिकार दायित्वों का सम्मान** करना चाहिए। FUR प्रक्रियाओं को आदिवासी जनों से संबंधित **आवश्यक सूचना** उत्पन्न करना चाहिए और यदि उनके साथ भेदभाव किया जाता हो या उनके अधिकारों का हनन होता हो तो **निवारण के लिए** आदिवासी जनों की प्रभावकारी पहुँच होनी चाहिए। 2030 एजेंडा की **क्षमता निर्माण** पर आदिवासी जनों की पहुँच होनी चाहिए, जिससे वह उस संदर्भ में प्रभावशाली ढंग से अपने **अधिकारों का दावा** कर सकें।

[17] Table partially reproduced from: Human Rights in the Follow-up and Review of the 2030 Agenda, Danish Institute for Human Rights, 2016: page: 16, see Human Rights in FUR: http://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/may_17_follow-up_and_review_sdg_docx.pdf

2030 कार्यसूची के फोलो अप और पुनार्वलोकन के लिए सिद्धान्त	विकास के मानवाधिकार पर आधारित दृष्टिकोण के लिए सिद्धान्त	आदिवासी जनों के लिए अवसर / प्रासंगिकता
FUR प्रक्रियाएं सभी लोगों के लिए **खुली, समावेशी और पारदर्शी** होगी और सभी संबंधित हितधारियों के द्वारा दिये गये, प्रतिवेदन को प्रोत्साहित करेगी। सदस्य राष्ट्रों को राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर प्रगति के बारे में नियमित और समावेशी समीक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस समीक्षा में, **आदिवासी जनों**, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और अन्य हिताधिकारियों के योगदान पर आधारित होनी चाहिए।	**सहभागिता** : प्रत्येक व्यक्ति और सभी लोग सक्रिय, स्वतंत्र और सार्थक सहभागिता के लिए अधिकृत हैं, जिसमें मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को साकार किया जा सके। जिससे सहयोग और विकास का हक लिया जा सके । लोगों को खुद के विकास के लिए प्रमुख अभिनेताओं के रूप में माना जाना चाहिए। विकास की प्रक्रियाओं को सशक्त बनाकर जिम्मेदार अधिकारियों को जिम्मेदारी देकर उनकी क्षमता को मजबूत किया जाना है। सहभागिता साधन और लक्ष्य दोनों है, अर्थात् सहभागिता को विकास प्रक्रियाओं और विकास परिणामों का अभिन्न भाग होना चाहिए।	आदिवासी जनों की स्व-निर्धारित विकास के अधिकारों को बनाए रखना चाहिए। इसके साथ-साथ जिस विकास की प्रक्रियाओं और परियोजनाओं से प्रभावित होने की संभावना रहती है, उसके लिए आदिवासी जनों से परामर्श, सहभागिता, और स्वतंत्रता-पूर्व-सूचित स्वीकृति (Free, Prior, Informed Consent- FPIC) के अधिकारों को उचित रीति से प्रयोग में लाना चाहिए। कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में आदिवासी की सहभागिता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, यह 2030 एजेंडा के परिणाम में भी होना चाहिए।

2030 कार्यसूची के फोलो अप और पुनार्वलोकन के लिए सिद्धान्त	विकास के मानवाधिकार पर आधारित दृष्टिकोण के लिए सिद्धान्त	आदिवासी जनों के लिए अवसर / प्रासंगिकता
FUR प्रक्रियाएं **जन केन्द्रित,** लैंगिक संवेदनशीलता, **मानवाधिकार का सम्मान** करने और **अति गरीबों, सबसे अधिक संवेदनशील और सबसे पीछे रह रहे लोगों पर ध्यान केन्द्रित** करने वाली होंगी। लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले आँकड़ों के आधार पर सूचित करेगा, जो उनके पहुँच के भीतर होगा, यह आसानी से समय पर मिलेगा और इसमें विश्वसनीयता मौजूद रहेगा। यह आँकड़ा आय, लिंग, आयु, नस्ल, जातीयता, प्रवास स्थिति, विकलांगता और भौगोलिक स्थिति के अलावा अन्य राष्ट्रीय संदर्भों में प्रासंगिक विशेषताओं पर आधारित होगा।	**समानता और भेदभाव मुक्त:** मानव होने के आधार पर सब समान हैं। वह अपने मानवाधिकार को लेकर किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना जीवन जीने के हकदार हैं: जैसे नस्ल, रंग, लिंग, नृजातीयता, उम्र, भाषा, धर्म, राजनैतिक या अन्य विचारधारा, राष्ट्रीय या सामाजिक उत्पत्ति विकलांगता, सम्पत्ति, जन्म या कोई अन्य स्थिति। सभी हितधारकों का मापन किया जाना चाहिए और ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाए, जो हाशिए पर जीने के लिए बाध्य हैं, बहिष्कृत हैं, और आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक रूप से असमानता से प्रभावित हैं। लक्षित फोकस और साथ ही साथ आंकड़ों का असंकलन करने की आवश्यकता है।	अकसर आदिवासी जन सबसे अधिक हाशिए पर जीवन जी रहे होते हैं, और वे बहिष्कृत समूहों में से होते हैं। प्रारम्भिक आधार रेखा की स्थापना और क्रमबद्ध एवं नियमित असंकलित आंकड़ों के संकलन द्वारा उनकी इस विशिष्ट परिस्थिति का दस्तावेजीकरण एवं निगरानी की जानी चाहिए।

5.2 राष्ट्रीय फोलो अप और समीक्षा प्रक्रियाएं : –

2030 एजेंडा विस्तृत विवरण नहीं देती है कि राष्ट्रों को इसे कैसे लागू करना चाहिए, इसका कार्यान्वयन और समीक्षा होनी चाहिए। साधारण तौर पर यह प्रगति की **नियमित और समावेशी समीक्षा** की माँग करता है, जो आदिवासी जनों सहित हितधारी समूहों से सहयोग प्राप्त करता है।

बहुत सारे राष्ट्र, अब तब अपने राष्ट्रीय कार्यान्वयन और समीक्षा को आकार देने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, परन्तु अनेक मामलों में सतत विकास के लिए कुछ प्रकार के **राष्ट्रीय योजना या रणनीति** के साथ ही **राष्ट्रीय रिपोर्टिंग और समीक्षा** प्रक्रिया होगी। अकसर यह प्रक्रियाएं कब और कैसे सम्पन्न होंगी, यह एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में भिन्न होगी। क्योंकि SDGs इतने सारे अलग-अलग विषयों को लेकर चलती हैं। इसे कई मंत्रालयों और संगठनों की पंक्ति में सम्बद्धता और क्रमबद्ध क्रियाविधि सुनिश्चित करने के लिए **सरकारी समन्वय** की जरूरत होगी। सरकार को इन प्रक्रियाओं में आदिवासी जनों के साथ **व्यापक भागीदारी** सुनिश्चित करनी होगी। इसके आगे सरकारी अधिकारीगण नियमित रूप से **सांख्यिकीय आंकड़े** बनायेंगे और प्रगति का पता लगाने के लिए अन्य उपलब्ध सूचनाएं प्राप्त करेंगे, जिसमें आदिवासी जन सम्मिलित हों।

राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी जनों का जुड़ाव सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे पीछे न छूटें। इस प्रकार आदिवासी जनों के लिए SDGs का ज्ञान और समझ हासिल करना महत्त्वपूर्ण है। अपनी क्षमता को बढ़ाना मजबूत करना, पैरवी पदोन्नति के लिए विनियोजन, सुरक्षा और अधिकारों की पूर्ति अपनी आकांक्षाओं और स्व-निर्धारित विकास के लिए काम करना निर्णायक है।

राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी जनों द्वारा किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं :

- राष्ट्रीय कार्यान्वयन प्रक्रिया, कार्य योजना और समीक्षा प्रक्रिया के बारे में सीखना, सतत विकास के लिए आदिवासी जनों के संगठनों की क्षमता का निर्माण करना।
- SDGs के कार्यान्वयन के लिए बहु हितधारियों के संक्षिप्त विवरण, परामर्श, समितियों, कार्यशालाओं में क्षमता निर्माण के क्रियाकलापों में सहभागी होना।
- आदिवासी जनों के संगठनों के बीच समन्वय बनाना और एकीकृत राष्ट्रीय

कार्य योजनाओं के लिए विस्तृत प्रस्तावों को आधार बनाकर SDG, UNDRIP और WCIP Outcome Doument के लक्ष्य को लागू करना है इसमें आदिवासी जनों के सतत विकास को प्राप्त करने के लिए लक्ष्यों को कैसे लागू किया जाना चाहिए, इसके बारे में सरकार को सिफारिशों के साथ रिपोर्ट तैयार कर विचारार्थ पेश करना, सरकार इसे अपने में शामिल कर सकता है।

- समर्थन और साझेदारी के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों, प्रमुख समूहों, सिविल सोसाइटी, यूएन एजेन्सीज/यूएन कन्ट्री टीम और अन्य विकास के भागीदारों के साथ पैरवी करना, कार्य करना और मैत्री बढ़ाना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आदिवासी जनों के अधिकारों और विकास की प्राथमिकताओं का समावेश हुआ है और वे राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना और समीक्षा प्रक्रिया में प्रतिबिम्बित हुए हैं ।
- राष्ट्रीय सर्वे और जनगणना में आदिवासी पहचान पर आधारित असंकलित आंकड़ों का संचयन करना और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ सहयोग सुनिश्चित करना ।
- आदिवासी जनों के अधिकारों और **नृजातीयता** पर आधारित विकास जैसे विशिष्ट पहलुओं को निगरानी करने के लिए पूरक राष्ट्रीय संकेतकों को अपनाने हेतु राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ सहयोग करना ।
- आदिवासी समुदायों के प्रगति पर निगरानी रखना और उसका रिपोर्ट तैयार करने के लिए भागीदारी समुदाय द्वारा आधारित आंकड़ों को संग्रहित करना।
- उच्च स्तरीय राजनैतिक मंच के तहत स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा को योगदान देने के लिए राष्ट्रीय परामर्श प्रक्रियाओं और रिपोर्टिंग में भाग लेना ।
- मानवाधिकारों की निगरानी करने वाले तंत्र जैसे मानवाधिकार संधि निकाय, सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा और आदिवासी जनों के अधिकारों पर विशेष रिपोर्टर के अधिकारों की टिप्पणियों और सिफारिशों की समीक्षा करें और राष्ट्रीय एसडीजी कार्यान्वयन योजनाओं को प्रभावित करने के लिए तीनों तंत्र का उपयोग करें।
- SDGs से संबंधित आदिवासी जनों के मामलों, चिंताओं और आकांक्षाओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मीडिया के माध्यम से

कार्यक्रम संचालित करना।

- आदिवासी जनों के स्व-निर्धारित विकास के समर्थन में प्रत्यारोपण के साधन (Means of Implementation) के अन्तर्गत बहु-हिस्सेदारी साझेदारी खोज निकालना और स्थापित करना। समुदाय द्वारा आरम्भ किए गए, सामाजिक उद्यम, आय उपार्जन, समुदाय के द्वारा संचालित नवीनीकरण ऊर्जा जैसे प्रत्यक्ष कार्यक्रमों और परियोजनाओं के द्वारा आदिवासी समुदायों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को बढ़ावा देना।
- पारम्परिक ज्ञान और टिकाऊ संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण पर नवाचारी (innovation) पहल, खाद्य सुरक्षा, सामुदायिक विकास आदि को लेकर आलेख तैयार करना। इसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पहल और 2030 एजेंडा के तहत स्थापित अन्य तंत्र और क्रियाविधियों और कार्यक्रमों को समर्थन और सहयोग प्रदान करना।

5.3 क्षेत्रीय फोलो अप और समीक्षा

क्षेत्रीय फोलो अप और समीक्षा राष्ट्रीय समीक्षाओं पर आधारित है। यह वैश्विक स्तर पर समीक्षा में अपना योगदान भी देता है। इसका ध्यान का केन्द्र क्षेत्रीय प्रवृत्तिओं की पहचान करने और विशिष्ट स्थानीय चुनौतियों को हल करने में है। 2030 एजेंडा क्षेत्रीय समीक्षा प्रक्रिया की विस्तृत व्याख्या नहीं देती है, परन्तु राष्ट्रों को सबसे उपयुक्त क्षेत्रीय व्यवस्था को चिन्हित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जहाँ हो सकता है, वहाँ पहले से ही विद्यमान क्षेत्रीय क्रियाविधि पर आगे काम करने को बढ़ावा देती है।

अनेक राज्यों ने **सतत विकास के लिए क्षेत्रीय मंच** स्थापित कर रखा है। ऐसे फोरम की पहली बैठक अफ्रीका, यूरोप, एशिया पेसिफिक और अरब क्षेत्रों में हो चुकी है। ***क्षेत्रीय स्तर*** पर आदिवासी जन अपने संगठनों और नेटवर्क, सिविल सोसाइटी प्लेटफार्म के माध्यम से क्षेत्रीय मंच में भाग ले सकते हैं। इसके बावजूद CSOs जो क्षेत्रीय मंच (जैसे APFSD) में भाग लेने का लक्ष्य रखते हैं, उनके लिए यूएन की मान्यता की आवश्यकता है, जो आदिवासी जनों के संगठनों और नेटवर्क के लिए एक बड़ी समस्या बन कर रह जाती है, विशेष रूप से राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर।

सतत विकास पर एशिया पेसिफिक फोरम

सतत विकास पर एशिया पेसिफिक फोरम (APFSD), संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग (UNESCAP) के तत्वावधान में सतत विकास 2030 एजेंडा के व्यापक क्षेत्रीय कार्यान्वयन को तैयार करने और बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय अंतर-सरकारी मंच है। APFSD का पहला सत्र, UNESCAP और रॉयल थाई गवर्नमेंट के साथ मिलकर 19 से 21 मई 2014 तक थाईलैंड के पटाया में आयोजित किया गया। जब सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा तैयार किया जा रहा था, APFSD का पहला अधिवेशन ने अपना ध्यान वैश्विक प्रक्रिया के लिए क्षेत्रीय आदानों को विकसित करने पर केंद्रित था, जो परिवर्तनकारी विकास एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी और समावेशी कार्यान्वयन के साधनों की पहचान करते हुए, वर्ष 2015 के आगे क्षेत्रीय प्रक्रियाओं को पारिभाषित करने में अधिक महत्व दिया था।

APFSD के पहला सत्र सिविल सोसाइटी फोरम, CSOs साझेदारों के सहयोग से UN-ESCAP के द्वारा आयोजित किया गया था, ताकि क्षेत्र के आदिवासी जनों सहित, विभिन्न संगठनों और समूहों से सिविल सोसाइटी संगठनों की पूर्ण और प्रभावशाली सहभागिता को सक्षम बनाया जा सके, जिससे वह अपनी आवाज फोरम तक पहुँचा सकें और 2030 एजेंडा के क्षेत्रीय फोलो अप और समीक्षा में अधिक प्रभावशाली सहभागिता के लिए रणनीति विकसित कर सकें। **एशिया पेसिफिक रीजनल CSO एन्गेजमेन्ट मेकानिज्म** (AP-RCEM) की स्थापना APFSD के पहले अधिवेशन के समय हुई थी। कमीशन संकल्प 70/11 में सदस्य देशों की माँग के उत्तर में एक वर्ष बाद APFSD का दूसरा अधिवेशन थाईलैंड के बैंकाक में आयोजित किया गया था। APFSD का दूसरा सत्र आगे एशिया-पेसेफिक में 2030 एजेंडा को लागू करने के लिए एक क्षेत्रीय रोड मैप के विकास के लिए आह्वान किया गया था।

अप्रैल 2017 में ESCAP ने राष्ट्रों और यूएन संगठनों, नौ प्रमुख समूहों और अन्य हितधारकों की सहभागिता से **एशिया-पेसिफिक फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेन्ट** के चार अधिवेशन का आयोजन किया गया था। APFSD का चौथा अधिवेशन 29-31 मार्च तक बैंकाक में बुलाया गया था। इसका विषय था "बदलते हुए एशिया पेसिफिक में गरीबी उन्मूलन और समृद्धि उन्नयन"। इस त्रिदिवसीय अधिवेशन में क्षेत्रीय रोड-मैप पर भी विचार-विमर्श हुआ, जिसका लक्ष्य था 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना। जुलाई 2017 में आयोजित सतत विकास पर

HLPF सत्र होने से पहले, 73वें कमीशन अधिवेशन के समय प्रान्तीय रोड-मैप को अपनाया गया था। APFSD के पिछले तीन अधिवेशनों की तरह APFSD के चौथे अधिवेशन के परिणाम आगामी HLPF अधिवेशन के समय घोषित किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, APFSD के सारे प्रपत्र, क्रियाकलापों और रूपात्मकता का चौथे अधिवेशन के दौरान आकार दिया गया था, जिसकी अनुशंसा 2016 में तीसरे अधिवेशन में किया गया था और आयोग के 72वें अधिवेशन के द्वारा अनिवार्य किया गया था।[18] APFSD के प्रपत्र और कार्यों का नवीनतम ड्राफ्ट फोरम की परिभाषा देता है। एक वार्षिक और समावेशी अन्तर सरकारी मंच, जो एशिया पेसिफिक क्षेत्र की तैयारी को सतत विकास के लिए उच्च स्तरीय राजनैतिक मंच के लिए समर्थन करता है। यह सहायक देशों के लिए विशेष कर ऐसे देशों के लिए जो 2030 एजेंडा के क्रियान्वयन की विशेष जरूरत है, यह क्षेत्रीय प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। फोरम से आशा की जाती है कि यह 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन पर एशिया पेसिफिक क्षेत्र से आगे का संदर्भ प्रदान करें और क्षेत्रीय स्तर पर फोलो अप और पुनर्समीक्षा प्रक्रिया में सहयोग दें।[19]

एशिया और पेसिफिक क्षेत्र में आदिवासी जनों AP-RCEM के माध्यम से क्षेत्रीय फोलो अप और समीक्षा में शामिल हैं, अप्रैल 2017 तक, पुरे क्षेत्र से 525 नागरिक समाज संगठन और नेटवर्क जुड़े थे। इस प्लेटफॉर्म में 17 चुनाव क्षेत्र हैं, जिसमें आदिवासी जनों के चुनाव क्षेत्र भी जुड़े हुए हैं। वर्तमान दौर में चुनाव क्षेत्र के लिए केंद्र बिन्दु के रूप में AIPP सक्रिय हैं। AIPP सक्रिय रूप से APFSD सत्र और AP-RCEM के माध्यम से प्रक्रियाओं में लगा हुआ है। वर्ष 2016 में AIPP ने एशिया क्षेत्र में 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन में आदिवासी जनों की प्राथमिकताओं पर, साथ में 2030 एजेंडा के क्रियान्वयन पर एशिया पेसिफिक क्षेत्रीय रोड मैप ड्राफ्ट पर टिप्पणियाँ और अनुशंसाओं के साथ एक सारांश पत्र जमा किया है। इसके अतिरिक्त AIPP निरन्तर APFSD में आदिवासी जनों का प्रतिनिधियों के कोटा के लिए पैरवी करने सहित CSO फोरम में आदिवासी संगठनों और नेटवर्क के उत्साह को बढ़ाने और भागीदारी सुनियोजित करने का बीड़ा उठाया है।

[18] See the Report of the Asia-Pacific Forum on Sustainable Development on its third session (E/ESCAP/72/16) para. 15 here: http://undocs.org/E/ESCAP/72/16

[19] See the latest draft of Form and Functions of the Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) here: http://www.unescap.org/sites/default/files/pre-ods/EESCAPFSD(4)INF7.pdf

AP-RCEM सिविल सोसाइटी संगठनों को क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अन्तर सरकारी प्रक्रियाओं में भाग लेने और सुने जाने के लिए सक्षम बनाता है। AP-RCEM की स्थापना के बहुत पहले सिविल सोसाइटी संगठनों ने यूएन **इकोनोमिक एण्ड सोशल कमीशन फॉर एशिया एण्ड द पेसिफिक** (ESCAP) के साथ मिलकर प्रक्रियाओं पर काम किया था, जो उन्हें SDGs के गठन और अंगीकरण के साथ क्षेत्र के फोलो अप और समीक्षा की रूपरेखा के विकास हेतु तैयार करती है।

कई प्रमुख गतिविधियाँ क्षेत्रीय फोलो अप और समीक्षा में आदिवासियों द्वारा शासित अनेक मुख्य क्रियाकलापों के साथ CSO फोरम और APFSD अधिवेशन के समय मुद्दों और चिन्ताओं को उठाने और एशिया पेसिफिक क्षेत्रों में आदिवासी जनों के बीच समन्वय को मजबूत बनाने का जिम्मा शामिल है, जैसे :

- **दूसरे चुनाव क्षेत्रों के साथ सहयोग करना** और CSO फोरम के अधिवेशन के समय कम से कम एक समानान्तर विषयगत कार्यशाला का आयोजन करना।
- CSO फोरम के अधिवेशन के दौरान उसके बाद भी विषयगत कार्य समूह परिचर्चाओं, **बैठकों और क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेना**।
- जब भी लागू हो APFASD सत्र के दौरान एक साइड इवेन्ट आयोजित करने के लिए **संयुक्त राष्ट्र संघ और सदस्य देशों के साथ सहयोग देना**।
- संबंधित सरकारी अधिकारियों और एजेन्सियों (जैसे UN-ESCAP) और अन्य मुख्य विकास अभिनेताओं (यूएन एजेन्सियों आदि) के साथ **बैठक का आयोजन करना** और आदिवासी जनों की चिंताओं पर ध्यान आकर्षित करना और प्रत्यक्ष रूप से अधिक सूचनाओं की जानकारी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग की जानकारी प्रदान करना।
- स्थानीय और राष्ट्रीय स्तरों पर दूसरे CSOs के साथ, 2030 एजेंडा के लिए कार्यों की पैरवी करने और विनियोजन और सहभागिता को अनुकूल बनाने के लिए **नेटवर्क बनाना और उन्हें मजबूत करना**।
- ऊपर में उल्लेखित की गई बैठकों से परे आदिवासी जनों को, विशेषकर क्षेत्रीय और वैश्विक स्तरों पर 2030 एजेंडा के मामलों और प्रक्रियाओं से संबंधित पूर्व जानकारी प्राप्त करना। AP-RCEM सूची सेवा (लिस्ट सर्वर) और वेबसाइट को **निरन्तर निगरानी** करने के लिए प्रोत्साहित करना।

- स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (VNR) के लिए प्रतिबद्ध देशों पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ क्षेत्रीय आदिवासी जनों के सामान्य मुद्दों और सिफारिशों को प्रतिबिंबित करने के लिए HLPF द्वारा समीक्षा की जाएगी, इन चयनित विषयों और लक्ष्यों पर प्रत्येक वर्ष एक **क्षेत्रीय विषयगत रिपोर्ट** तैयार किया जाएगा।
- स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (VNR) के अधीन रहने वाले राष्ट्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए, क्षेत्र की सीमा के भीतर राष्ट्रों में रहनेवाले आदिवासी जनों की **मुख्य मुद्दों और सिफारिशों की पहचान** करना ।
- HLPF और VNR के तहत देशों की रिपोर्ट के लिए प्रारंभिक क्षेत्रीय **विषयगत रिपोर्टों पर टिप्पणी** और जानकारी देना।
- आदिवासी जनों के मुद्दों और सिफारिशों को लेकर समर्थन जुटाने के लिए अन्य प्रमुख समूहों और नागरिक समाज संगठनों के साथ **सहयोग** करना और सामान्य स्थिति, बयानों और सिफारिशों की पहचान करना।

सतत विकास के लिए एशिया पेसिफिक क्षेत्रीय रोड-मैप

एशिया पेसिफिक क्षेत्र में 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय अधिवेशनों के परिणाम के लिए **क्षेत्रीय रोड-मैप**[20] है। रोड-मैप में किसी को भी पीछे न छोड़ने के वचन के लिए विषयगत मुद्दों पर ध्यान डाला गया है। आपदा में कमी, ऊर्जा की आपूर्ति, आधारभूत संरचना और 2030 एजेंडा से संयोजकता समेत अनेक बुनियादी मामले उजागर किए गए हैं। इसके अन्दर आंकड़ों की उपलब्धता और राष्ट्रीय सांख्यिकीय दफ्तरों के मजबूतीकरण के लिए आह्वान के बारे में सूचना समाहित है। रोड-मैप को प्रगति की समीक्षा प्रतिवर्ष विकास पर एशिया पेसिफिक फोरम में किया जाएगा। यहाँ आदिवासी जनों का जिक्र रोड-मैप में प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया है, लेकिन महिलाओं और 'आरक्षित समूहों' का जिक्र 'किसी को पीछे नहीं छोड़ना' विषय के अन्तर्गत किया गया है।

[20] See the latest draft (as of 27 March, 2017) of the Regional Roadmap for Asia-Pacific here: http://www.unescap.org/sites/default/files/pre-ods/B1700338_Report%20No.%202_Rev.%201_E_replaced%2031%20Mar%2017.pdf

5.4 वैश्विक प्रक्रिया

वैश्विक स्तर पर SDGs का फोलो अप और समीक्षा वर्ष में एक बार उच्च स्तरीय राजनैतिक मंच (HLPF) न्यूयार्क में आयोजित होता है। HLPF में कई तत्त्व शामिल हैं –

- ❍ स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (VNR) जहाँ राष्ट्र योगदान कर सकते हैं।
- ❍ SDGs के एक समूह का विषयगत ध्यान और गहराई से समीक्षा।
- ❍ कार्यान्वयन के साधनों की समीक्षा।

संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के द्वारा वैश्विक रिपोर्ट के माध्यम से HLPF को सूचना देना,जो वैश्विक संकेतकों पर आधारित सांख्यिक आंकड़े और यूएन प्रणाली द्वारा संकलित वैश्विक सतत विकास की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

HLPF का मुख्य परिणाम Ministerial Declaration होगा, जिसे नीतिगत अनुशंसाओं के सार को फोरम के दौरान सामने रखे जायेंगे और आगे की कार्यवाही के लिए मार्गदर्शन के रूप में इसे परिणत करना होगा।[21] HLPF अलग-अलग राष्ट्रों को मार्गदर्शन और अनुशंसाएँ नहीं प्रदान करेगी।

सतत विकास ज्ञान मंच में वैश्विक FUR प्रक्रिया के बारे में सभी आधिकारिक जानकारी शामिल है, जिसमें आगामी उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम (HLPF) का कार्यक्रम शामिल है। इसमें उन सभी राष्ट्रों की रिपोर्ट और जानकारी है, जो स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (NVR) से गुजर चुके हैं। इस मंच पर आदिवासी जनों के प्रमुख समूह के साथ नौ प्रमुख समूहों के बयान और जानकारी भी प्रलेखित है। (Sustainable Development Knowledge Platform : https://sustainabledevelopment.un.org/)

आदिवासी जनों के प्रमुख समूह (IPMG) के माध्यम से HLPF में भाग ले सकते हैं। IPMG सार्वजनिक विचार विमर्श में वक्तव्य प्रस्तुत करता है और साइड इवेंट्स और फोरम से जुड़े अन्य समानान्तर क्रिया-कलापों का प्रबन्ध कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC), और आदिवासी जनों

[21]http://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/may_17_follow-up_and_review_sdg_docx.pdf

के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी मंच (UNPFII) भी आदिवासी जनों के मुद्दों और स्थिति पर HLPF का विषयगत समीक्षा के लिए इनपुट दे सकता हैं।

HLPF के मुख्य तत्त्वों में से एक स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (VNR) है, जिससे हर साल कई राष्ट्र उस प्रक्रिया से गुजरते हैं। VNR राष्ट्र के उन रिपोर्टों और प्रस्तुतिकरणों पर आधारित है, जिसे प्रत्येक देश ने अधिमानत आदिवासी जनों सहित, संबंध प्रासंगिक राष्ट्रीय हितधारियों के साथ सलाह मशविरा करके तैयार किया जाता है। इस रिपोर्ट को प्रभावित करने के लिए आदिवासी जनों को अपने राष्ट्र विशेष में प्रारम्भ किए राष्ट्रीय समीक्षा में भाग लेना चाहिए।

HLPF के 2016 के अधिवेशन में आदिवासी जनों के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी मंच (UNPFII) ने विषयपरक समीक्षाओं की जानकारी दी है और इस बात पर जोर दिया है कि इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। SDGs के क्रियान्वयन में आदिवासी जन पीछे न छूट जाएं। इसी प्रकार IPMG के प्रतिनिधियों ने मुख्य सिफारिशों के साथ, राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी जनों के प्रभावकारी सहभागिता, जातीयता, प्रासंगिक निशानों और संकेतकों पर आधारित आंकड़ों का असंकलन, स्व-निर्धारित विकास के लिए आदिवासी जनों की कोशिशों और पहल को प्रोत्साहित करने में उनका सहयोग और साझेदारी के बारे में समर्थन दिया है।

44 देशों ने वर्ष 2017 के अप्रैल में VNR के लिए हस्ताक्षर किया था। जिसमें बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, नेपाल और थाईलैंड उन देशों में से हैं, जो 2017 के उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच में स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रक्रिया में शामिल हुए थे।

कुछ **मुख्य क्रियाविधियाँ** जिसे आदिवासी जन क्षेत्रीय फोलो अप और समीक्षा प्रक्रिया जिसे आदिवासी लोगों द्वारा किया जाना है। इस प्रकार है :

- प्रति वर्ष किसी विषय पर और चयनित लक्ष्यों पर एक **क्षेत्रीय विषयगत रिपोर्ट** तैयार करना। ऐसे देशों पर विशेष ध्यान केन्द्रित रखते हुए, जो HLPF में स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (VNR) के लिए प्रतिबद्ध हैं, सभी प्रान्त के आदिवासी जनों के सामान्य मुद्दों और सिफारिशों को प्रतिबिम्बित करने के लिए यह HLPF के द्वारा समीक्षा किया जाएगा।

- स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (VNR) के अन्तर्गत देशों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए, क्षेत्र के भीतर राष्ट्रों में आदिवासी जनों की **मुख्य मुद्दों और सिफारिशों** की पहचान करना।

- HLPF के लिए और VNR के तहत देशों के रिपोर्टों के लिए प्रारम्भिक **प्रान्तीय विषयगत टिप्पणियाँ और जानकारियाँ** देना।

- सामान्य स्थिति, वक्तव्यों और सिफारिशों की पहचान सहित आदिवासी जनों के मुद्दों और सिफारिशों के लिए सहायता वृद्धि करना एवं अन्य प्रमुख समूहों और सिविल सोसाइटी संगठनों का **सहयोग** करना।

- संबंधित सरकारी अधिकारियों और एजेन्सियों (जैसे UN-ESCAP) और अन्य मुख्य विकास अभिकर्त्ताओं (यूएन एजेन्सियाँ आदि) के साथ आदिवासी जनों के मुद्दों की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए **बैठकों का आयोजन** करना।

References and further reading

- Sustainable Development Goals - Indigenous Peoples in Focus, the International Labour Organization (ILO) 2016: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed emp/---ifp skills/documents/publication/ wcms 503715.pdf
- Leave no one behind - SDGs and Indigenous Peoples animation video (available in 6 different languages, including English), Asia Indigenous Peoples Pact, 2016 : http://aippnet.org/leave-no-one-behind-sdgs-and-indigenous-peoples/
- Indigenous Peoples Major Group's Position Papaer on the Proposed SDG indicators : http://www.iwgia.org/ iwgia files publications files/0724 SDG Indicators Final eb.pdf
- The Indigenous World. page 469-476, 2030 Agenda For Sustainable Development Goals, IWGIA 2016 : http://www.iwgia.org/images/stories/sections/human-rights/Iw2016/2030 Agenda for Sustainable Development Goals IW2016 web redu.pdg
- Tramsforming our World: The 2030 Agenda for sustainable Development, United Nations. 2015: https://sustainable development.un.org/post2015/transformingourworld/publication
- Indigeneous Navigator : http://www.indigenousnavigator.org/statistics/
- Indigenous Peoples and the 2030 Agenda (UNPFII) : https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/focus-areas/post-2015-agenda/the-sustainable-development-goals-sdgs-and-indigenous.html
- The Human Rights Guide to the SDGs, Danish Institute for Human Rights : http://sdg.humanrights.dk/
- Human Rights in the follow-Up and Review of the 2030 Agenda for Sustainable Development, Danish Institute for Human Rights,2016: https://www.humanrights.dk/what-we-do/sustainability/human-rights-sdgs/follow-review
- Human Rights and Data, Danish Institute for Human Rights, 2016: https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/dokumenter/ud-givelser/sdg/data report 2016.pdf
- Summary Paper on Indigenous Peoples' Priorities in implementation of the 2030 Agenda in the Asia Region : http://iva.aippnet.org/wp-content/uploads/2016/04/IPs-Regional-Priorities APFSD-2016 Final.pdf

अनुसंलग्नक

सतत विकास लक्ष्य (SDGs) और आदिवासियों के मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का घोषणापत्र (UNDRIP) के बीच संबंध

(डेनिस इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स द्वारा विकसित सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानवाधिकारों से उद्धृत अंश : (http:// sdg.humanrights.dk/en)

सतत विकास के लक्ष्य	
SDG के उद्देश्य	UNDRIP में सम्बद्ध अनुच्छेद / विवरण
लक्ष्य 1. : हर जगह और हर स्तर में गरीबी का उन्मूलन	
1.1: 2030 तक गरीबी को उसके सभी रूपों में हर जगह से समाप्त करना। वर्त्तमान में गरीबी की माप प्रति व्यक्ति प्रति दिन 1.25 डॉलर से कम में जीवन बिताने वालों के रूप में माना जाता है । **संकेतक 1.1.1.**	**20.1 :** आदिवासियों को अपनी राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों या संगठनों को बनाये रखने और विकसित करने के लिए अपनी स्वयं की आजीविका के साधनों को सुरक्षित रखने और अपने स्वयं के पारम्परिक और अन्य आर्थिक गतिविधियों में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेने का अधिकार है।
	20.2: आजीविका के साधनों और विकास से वंचित आदिवासी यथोचित, न्याययपूर्ण और उचित निवारण के हकदार हैं।
1.2: 2030 तक राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुसार उसके सभी आयामों में गरीबी में रहने वाले सभी उम्र के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के आधे अनुपात में कमी लाना। **संकेतक 1.2.1 1.2.2**	**20.1 :** आदिवासियों को अपनी राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों एवं संगठनों को बनाये रखने और विकसित करने के लिए, स्वयं की आजीविका के साधनों को सुरक्षित रखने, पारम्परिक और अन्य आर्थिक गतिविधियों में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेने का अधिकार है ।
	20.2 : जो आदिवासी अपने आजीविका के साधनों और विकास से वंचित हैं, उन्हें न्यायपूर्ण और उचित निवारण का हक हैं ।

1.3 : सभी के लिए राष्ट्रीय रूप से उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों और उपायों को लागू करना और 2030 तक गरीबी और कमजोर वर्ग के लोगों का आवश्यक विवरण तैयार करना। **संकेतक 1.3.1**	21.1: आदिवासियों को बिना किसी भेदभाव के आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार, शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण और व्यावसायिक, आवास, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है।
1.4 : 2030 तक यह सुनिश्चित करना है कि सभी पुरुषों और महिलाओं, विशेष कर गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के पास आर्थिक संसाधनों के समान अधिकार हों, साथ ही जमीन और अन्य सम्पत्तियों विरासत, प्राकृतिक संसाधनों, उपयोग के अन्य बुनियादी सेवाओं, स्वामित्व और नियंत्रण तक उनकी पहुँच हो। इसमें नई तकनीक और आर्थिक सेवाएँ, सूक्ष्म वित्तीय सहायता भी शामिल हैं।	14.2 : आदिवासियों के बच्चों को बिना किसी भेदभाव के राष्ट्र की शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।
	21.1 : आदिवासियों को बिना किसी भेदभाव के आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को सुधारने, शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण और व्यावसायिक, आवास, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है।
	21.2 : राष्ट्र अपने आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के निरंतर विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली कदम उठायेंगे। आदिवासी बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और विकलांगों के अधिकारों, विशिष्ट आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
	24.2 : आदिवासियों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम लाभ लेने का समान अधिकार है। इस अधिकार को प्रदान करने हेतु राष्ट्र आवश्यक कदम उठायेंगे ।
	26.1: आदिवासियों को जमीन, क्षेत्र और संसाधनों पर अधिकार है, जो उनके पास परम्परागत रूप से स्वामित्व एवं अधिकृत किया गया है। जिससे वह इन संसाधनों का उपयोग करेंगे ।

1. अ. : विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से कम विकसित देशों में पर्याप्त और विकास में सहयोग सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त संसाधनों की सार्थक पूर्वानुमान जरूरत के साधन प्रदान करने के लिए विकसित देशों के कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करने के लिए अपने सभी आयामों में गरीबी को समाप्त करने के लिए विभिन्न स्रोतों से संसाधनों के महत्त्वपूर्ण सहयोग सुनिश्चित करना शामिल है। **संकेतक : 1.1ए 1.2**	**39:** इस घोषणा पत्र में निहित अधिकारों के उपयोग के लिए आदिवासियों को राष्ट्रों से और अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आर्थिक और तकनीकी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है ।
1.ब. गरीबी उन्मूलन कार्यों में त्वरित निवेश का समर्थन करने के लिए लैंगिक संवेदनशील विकास रणनीतियों के आधार पर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर रणनीति की रूपरेखा तैयार करना। **संकेतक : 2.1.1**	**38 :** राष्ट्र आदिवासियों के साथ परामर्श और सहयोग करके इस घोषणा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैधानिक मापदंड सहित उपयुक्त उपाय करेंगे।
लक्ष्य 2 : भूखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और पौष्टिक आहार और स्थायी कृषि को प्रोत्साहित करना।	
2.4 : 2030 तक टिकाऊ खाद्य उत्पादन प्रणालियों को सुनिश्चित करना और कृषि संबंधी लचीली पद्धति लागू करना, जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाना है, यह पारिस्थितिक प्रणालियों को	**29.1 :** आदिवासियों को पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा तथा उनकी भूमि या क्षेत्रों और संसाधनों की उत्पादकता, क्षमता का अधिकार है। राष्ट्र बिना किसी भेदभाव के ऐसे संरक्षण के लिए आदिवासियों की सहायता करने के लिए कार्यक्रम स्थापित करेंगे और उन्हें क्रियान्वित करेंगे ।

बनाये रखने में मदद देती है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन, उग्र मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य विनाशकारी घटनाओं, के अनुकूलन की क्षमता को मजबूती देती है। इसके साथ-साथ भूमि और मिट्टी को उपजाऊ बनाकर गुणवत्तापूर्ण सुधार लाती है।	
2.5 : 2020 तक बीजों, खेती करने वाले पौधों, पालतू जानवरों और उनसे संबंधित जंगली प्रजातियों की आनुवांशिक विविधता को बनाये रखना है, जिसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर ध्वनि और प्रबंधित विविधतापूर्ण बीजों और संयंत्र का बैंक शामिल हैं। यह निष्पक्ष ओर न्यायसंगत के पहुँच को बढ़ावा देता है। जेनेटिक संसाधनों के उपयोग और उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान से होने वाले लाभों को साझा करना, जैसा कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनी है ।	**31.1 :** आदिवासियों को अपनी सांस्कृतिक विरासत, पारम्परिक ज्ञान और पारम्परिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को बनाये रखने, नियंत्रित करने और विकसित करने का अधिकार है। इसके साथ ही मानव और आनुवांशिक संसाधनों, बीज, दवाईयों, ज्ञान और उनकी विज्ञान प्रौद्योगिकियों और सांस्कृतियों की अभिव्यक्तियाँ सम्मिलित हैं। जीव और वनस्पतियों, मौखिक परम्पराओं, साहित्य, डिजाइन, पारंपरिक खेल और प्रदर्शन कला के गुणों से परिपूर्ण है। इन्हें इस तरह की सांस्कृतिक विरासत,पारंपारिक ज्ञान और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों पर अपनी बौद्धिक सम्पदा को बनाये रखने, नियंत्रित करने, संरक्षित करने और विकसित करने का अधिकार है ।
लक्ष्य 3 : स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करना और सभी उम्र के लोगों के लिए कल्याण को बढ़ावा देना।	
3.1 : 2030 तक, वैश्विक मातृ-मृत्यु दर के अनुपात 70 प्रति 100,000 जीवित जन्म से कम करना। **संकेतक : 3.1.1, 33.1.2**	**7.1 :** आदिवासियों को जीवन यापन करने, शारीरिक और मानसिक अखण्डता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है ।

	24.1 : आदिवासियों की अपनी परम्परागत दवाइयों (जड़ी-बूटियों) और अपने महत्त्वपूर्ण औषधीय पौधो, जीवनदायी जड़ी बूटियों, जानवरों और खनिज के संरक्षण सहित अपनी स्वास्थ्य प्रथाओं को बनाये रखने का अधिकार है। आदिवासियों को बिना किसी भेदभाव के सभी सामाजिक और स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है ।
	24.2 : आदिवासियों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्त मापक का लाभ लेने का समान अधिकार है। इस अधिकार को पूर्ण रूप से साकार करने और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रों को आवश्यक कदम उठाना है ।
3.2 : सभी देशों का लक्ष्य है कि 2020 तक नवजात शिशुओं और पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मृत्यु को कम करना। नवजात शिशुओं के मृत्यु दर को कम से कम मृत्यु दर पर करना है, जिसे 12 प्रति 10000 जन्म पर और कम से कम मृत्यु दर को कम से कम 25 प्रति 1000 में करना है। **संकेतक 3.2.1. 3.2.2**	**7.1** : आदिवासियों को जीवन यापन करने, शारीरिक और मानसिक अखण्डता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है ।
	24.1 : आदिवासियों की अपनी परम्परागत दवाइयों (जड़ी-बूटियों) और अपने महत्त्वपूर्ण औषधीय पौधो, जीवनदायी जड़ी बूटियों, जानवरों और खनिज के संरक्षण सहित अपनी स्वास्थ्य प्रथाओं को बनाये रखने का अधिकार है। आदिवासियों को बिना किसी भेदभाव के सभी सामाजिक और स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है ।
	24.2 : आदिवासियों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्त मापक का लाभ लेने का समान अधिकार है। इस अधिकार को पूर्ण रूप से साकार करने और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रों को आवश्यक कदम उठाना है।
3.3 : 2030 तक एड्स, टीबी, मलेरिया, और उपेक्षित उष्मकटिबंधीय रोगों और महामारियों, जल-जनित रोगों, पीलिया और अन्य संक्रामक बीमारियों को भी समाप्त करना।	**7.1** : आदिवासियों को जीवन यापन करने, शारीरिक और मानसिक अखण्डता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है ।

संकेतक : 3.3.1. 3.3.2. 3.3. 3. 3.3.4 3.3.5	**24.1** : आदिवासियों की अपनी परम्परागत दवाइयों (जड़ी-बूटियों) और अपने महत्त्वपूर्ण औषधीय पौधों, जीवनदायी जड़ी बूटियों, जानवरों और खनिज के संरक्षण सहित अपनी स्वास्थ्य प्रथाओं को बनाये रखने का अधिकार है। आदिवासियों को बिना किसी भेदभाव के सभी सामाजिक और स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है ।
	24.2 : आदिवासियों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्त मापक का लाभ लेने का समान अधिकार है। इस अधिकार को पूर्ण रूप से साकार करने और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रों को आवश्यक कदम उठाना है ।
3.4 : 2030 तक रोकथाम और इलाज के माध्यम से असंक्रामक बीमारियों से एक तिहाई असामयिक मृत्यु को कम करना और मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना । **संकेतक : 3.4.1 3.4.2**	**7.1** : आदिवासियों को जीवन यापन करने, शारीरिक और मानसिक अखण्डता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है ।
	24.1 : आदिवासियों की अपनी परम्परागत दवाइयों (जड़ी-बूटियों) और अपने महत्त्वपूर्ण औषधीय पौधों, जीवनदायी जड़ी बूटियों, जानवरों और खनिज के संरक्षण सहित अपनी स्वास्थ्य प्रथाओं को बनाये रखने का अधिकार है। आदिवासियों को बिना किसी भेदभाव के सभी सामाजिक और स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है ।
	24.2 : आदिवासियों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्त मापक का लाभ लेने का समान अधिकार है। इस अधिकार को पूर्ण रूप से साकार करने और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्यों को आवश्यक कदम उठाना है ।
3.6 : पूरे विश्व में 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं और चोटों में हुई मृत्यु को कम करना । **संकेतक : 3.6.1**	**7.1** : आदिवासियों को जीवन यापन करने, शारीरिक और मानसिक अखण्डता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है।

3.8 : सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कृत राशि प्राप्त करना, जिसमें वित्तीय जोखिम, संरक्षण गुणवत्ता, आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल, सेवाओं तक पहुँच बनाने के लिए सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और सस्ती आवश्यक दवाएँ और टीकाकरण को शामिल करना है ।	**24.1** : आदिवासियों की अपनी परम्परागत दवाइयों (जड़ी-बूटियों) और अपने महत्त्वपूर्ण औषधीय पौधो, जीवनदायी जड़ी बूटियों, जानवरों और खनिज के संरक्षण सहित अपनी स्वास्थ्य प्रथाओं को बनाये रखने का अधिकार है। आदिवासियों को बिना किसी भेदभाव के सभी सामाजिक और स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है।
	24.2 : आदिवासियों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्त मापक का लाभ लेने का समान अधिकार है। इस अधिकार को पूर्ण रूप से साकार करने और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रों को आवश्यक कदम उठाना है।
3.9 : 2030 तक खतरनाक रसायनों, वायु, जल और प्रदूषित मिट्टी और प्रदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या को काफी हद तक कम करना है। **संकेतक 3.9.3**	**7.1** : आदिवासियों को जीवन यापन करने, शारीरिक और मानसिक अखण्डता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है ।
	29.2 : राष्ट्रों को प्रभावशाली तरीके से यह सुनिश्चित करना है कि आदिवासियों के जमीनों और क्षेत्रों में उनके स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के बिना किसी भी प्रकार के खतरनाक सामग्रियों का कोई भंडारण या निष्पादन करने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए ।
	29.3 : राष्ट्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाना चाहिए कि आदिवासियों के स्वास्थ्य की निगरानी एवं रख रखाव को बनाये रखने और पुन: उसे स्थापित करने के लिए कार्यक्रम बनाना चाहिए, जैसे कि प्रभावित लोगों द्वारा विकसित और क्रियान्वित सामग्री का विधिवत कार्यान्वयन किया जाता है।
3.d : विशेष कर विकासशील देशों और सभी देशों की क्षमता को मजबूत करना और राष्ट्रीय और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाना शामिल है। संकेतक 3.क.1	**7.1** : आदिवासियों को जीवन यापन करने, शारीरिक और मानसिक अखण्डता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है ।

लक्ष्य 4 : समावेशी समाज का निमार्ण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी को आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना ।	
4.1 : 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी लड़कों और लड़कियों को मुफ्त, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को प्रासंगिक और प्रभावी शिक्षण परिणामों के लिए अग्रणी बनाना है ।	**14.1** : आदिवासियों को अपनी सांस्कृतिक भाषा के विकास हेतु उपयुक्त तरीके से अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करने वाली अपनी शैक्षिक प्रणालियों और संस्थानों को स्थापित करने और उसे नियंत्रण करने का अधिकार है। उन्हें शिक्षण, सीखने के तरीकों का उपयोग करने का अधिकार भी है ।
	14.2 : आदिवासियों, विशेषकर बच्चों को बिना किसी भेदभाव के राज्य में शिक्षा के सभी स्तरों और प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है ।
	14.3 : राष्ट्रों को आदिवासियों के साथ मिलकर आदिवासियों के लिए, विशेषकर बच्चों के लिए, अपनी भाषा में, अपनी संस्कृति में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अलावा उनके लिए भी जो अपने समुदायों के बाहर रहते हैं। उन्हें भी अपनी भाषा में शिक्षा की बेहतर व्यवस्था प्रदान करके संस्कृति के अनुरूप प्रभावशाली शिक्षा की व्यवस्था को सम्मिलित करना है ।
4.1 : 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी लड़कों और लड़कियों को मुफ्त, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को प्रासंगिक और प्रभावी शिक्षण परिणामों के लिए अग्रणी बनाना है ।	**15.1** : आदिवासियों को अपनी संस्कृतियों, परम्पराओं, इतिहासों और आकांक्षाओं की गरिमा और विविधता का अधिकार है, जो शिक्षा और सार्वजनिक जानकारियों/ सूचनाओं में उचित रूप से प्रतिबिम्बित होता है ।
4.2 : 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी लड़के और लड़कियों की बाल्यावस्था के विकास, देखभाल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच हो सके ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हों। **संकेतक : 4.2.1 4.2.2**	**14.1** : आदिवासियों को अपनी सांस्कृतिक भाषा के लिए उपयुक्त तरीके से अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करने वाली अपनी शैक्षिक प्रणालियों और संस्थानों को स्थापित करने और उसे नियंत्रण करने का अधिकार है। उन्हें शिक्षण, सीखने के तरीकों का उपयोग करने का अधिकार भी है ।

	14.2 : आदिवासियों, विशेषकर बच्चों को बिना किसी भेदभाव के राष्ट्र में शिक्षा के सभी स्तरों और प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है ।
	14.3 : राष्ट्रों को आदिवासियों के साथ मिलकर आदिवासियों के लिए विशेषकर बच्चों के लिए, अपनी भाषा में, अपनी संस्कृति में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अलावा उनके लिए भी जो अपने समुदायों के बाहर रहते हैं। उन्हें भी अपनी भाषा में शिक्षा की बेहतर व्यवस्था प्रदान करके संस्कृति के अनुरूप प्रभावशाली शिक्षा की व्यवस्था को सम्मिलित करना है ।
	15.1 : आदिवासियों को अपनी संस्कृतियों, परम्पराओं, इतिहासों और आकांक्षाओं की गरिमा और विविधता का अधिकार है, जो शिक्षा और सार्वजनिक जानकारियों/ सूचनाओं में उचित रूप से प्रतिबिम्बित होता है ।
4.3 : 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण वाली तकनीकि, व्यावसायिक और तृतीयक शिक्षा के लिए सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अवसर की पहुँच हो सके। **संकेतक 4.3.1**	**21.1 :** आदिवासियों को बिना किसी भेदभाव के आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार, शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण और व्यावसायिक, आवास, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है ।
4.4 : 2030 तक रोजगार, मर्यादित नौकरियों और उद्यमिता के लिए तकनीकि और व्यावहारिक कौशल सहित प्रासंगिक प्रवीण कौशल वाले युवाओं और वयस्कों की संख्या में बढ़ोतरी करना शामिल है। **संकेतक : 4.4.1**	**21.1 :** आदिवासियों को बिना किसी भेदभाव के आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार, शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण और व्यावसायिक, आवास, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है ।
4.5 : 2030 तक शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक असमानताओं को खत्म करना और कमजोर लोगों के लिए शिक्षा और व्यावसायिक	**14.1 :** आदिवासियों को अपनी सांस्कृतिक भाषा के लिए उपयुक्त तरीके से अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करने वाली अपनी शैक्षिक प्रणालियों और संस्थानों को स्थापित करने और उसे नियंत्रण करने का अधिकार है।

प्रशिक्षण के सभी स्तरों तक समान पहुँच सुनिश्चित करना, जिसमें विकलांगों, आदिवासियों और पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के आरक्षित परिस्थितियों के बच्चे शामिल हो सकें। **संकेतक 4.5.1**	उन्हें शिक्षण, सीखने के तरीकों का उपयोग करने का अधिकार भी है। **14.2 :** आदिवासियों, विशेषकर बच्चों को बिना किसी भेदभाव के राष्ट्र में शिक्षा के सभी स्तरों और प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। **14.3 :** राष्ट्रों को आदिवासियों के साथ मिलकर आदिवासियों के लिए विशेषकर बच्चों के लिए अपनी भाषा में, अपनी संस्कृति में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अलावा उनके लिए भी जो अपने समुदायों के बाहर रहते हैं। उन्हें भी अपनी भाषा में शिक्षा की बेहतर व्यवस्था प्रदान करके संस्कृति के अनुरूप प्रभावशाली शिक्षा की व्यवस्था को सम्मिलित करना है ।
4.7 : 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी शिक्षार्थी सतत विकास और सतत जीवन शैली, मानवाधिकारों, लैंगिक समानता, शांति और अहिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करें। इसमें वैश्विक नागरिकता और सांस्कृतिक विविधता की सराहना और स्थायी विकास के लिए संस्कृति का योगदान सम्मिलित है।	**15.1 :** आदिवासियों को अपनी संस्कृतियों, परम्पराओं, इतिहासों और आकांक्षाओं की गरिमा और विविधता का अधिकार है, जो शिक्षा और सार्वजनिक जानकारियों/ सूचनाओं में उचित रूप से प्रतिबिम्बित होता है ।
लक्ष्य 5 : लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और युवतियों का सशक्तिकरण करना	
5.1 : सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हर जगह होने वाले भेदभाव के सभी रूपों	**22.2 :** राष्ट्र को आदिवासियों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना है कि आदिवासी महिलाएँ, बच्चे, हिंसा

को समाप्त करना। **संकेतक 5.1.1**	और भेदभाव के सभी रूपों के खिलाफ पूर्ण सुरक्षा और गारंटी का आनंद लें।
5.2 : सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सभी महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध होने वाले सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करना, जिसमें मानव तस्करी, यौन-शोषण और अन्य प्रकार के शोषण भी शामिल हैं। **संकेतक : 5.2.1 5.2.2.**	**22.2** : राष्ट्र को आदिवासियों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना है कि आदिवासी महिलाएँ, बच्चे, हिंसा और भेदभाव के सभी रूपों के खिलाफ पूर्ण सुरक्षा और गारंटी का आनंद लें।
5.3 : सभी हानिकारक कुप्रथाओं को समाप्त करना, जैसे बाल विवाह, जबरदस्ती और कम उम्र में विवाह और महिला जननांग विकृति को मिटाना भी इसमें शामिल है। **संकेतक : 5.3.1 5.3.2**	**22.2** : राष्ट्र को आदिवासियों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना है कि आदिवासी महिलाएँ, बच्चे, हिंसा और भेदभाव के सभी रूपों के खिलाफ पूर्ण रूप से सुरक्षित और गारंटी का आनंद लें।
लक्ष्य 6 : सभी के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता की उपलब्धता एवं स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना।	
6.3 : 2030 तक कूड़े-कचरे की ढेर हटा कर प्रदूषण को कम करना, खतरनाक रसायनों और सामग्रियों की निकासी और असंसाधित गंदे पानी के अनुपात को कम करना और विश्व भर में पानी को दुबारा प्रयोग के लिए बढ़ाना और पानी का पुन: उपयोग करने की प्रक्रिया और गुणवत्ता में सुधार लाना। **संकेतक : 6.3.1 6.3.2**	**29.2** : राष्ट्रों को प्रभावशाली कदम उठाकर यह सुनिश्चित करना है कि आदिवासियों के जमीन, क्षेत्रों में उनके स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के बिना किसी भी प्रकार के खतरनाक सामग्रियों का कोई भंडारण या निष्पादन करने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

6.5 : 2030 तक सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को लागू करना और जहां तक संभव हो सके सीमा पार के प्रदेशों का भी सहयोग लेना शामिल है ।	**29.2 :** राष्ट्रों को प्रभावशाली कदम उठाकर यह सुनिश्चित करना है कि आदिवासियों के जमीन, क्षेत्रों में उनके स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के बिना किसी भी प्रकार के खतरनाक सामग्रियों का कोई भंडारण या निष्पादन करने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।
6.6 : 2020 तक पहाड़ों, जंगलों, नमी युक्त जमीनों, नदियों, जलीय स्तरों और झीलों सहित पानी से संबंधित पारिस्थितिक प्रणालियों की रक्षा करना और उन्हें पुन: स्थापित करना है। संकेतक : 6.6.1	**29.1 :** आदिवासियों को पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा तथा उनकी जमीन एवं क्षेत्रों और संसाधनों की उत्पादकता, क्षमता का बचाव करने का पूर्ण अधिकार है। राज्य बिना किसी भेदभाव के आदिवासियों के संरक्षण और बचाव के लिए उनसे संबंधित सहायता कार्यक्रम स्थापित करेंगे और उन्हें क्रियान्वित करेंगे।
6 a : 2030 तक विकासशील देशों में जल से संबंधित अन्तरराष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण सहायता और स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों और कार्यक्रमों का विस्तार करना। इसके अन्तर्गत जल संचयन, विलयनीकरण (नमक कम करने की प्रक्रिया), जल-प्रगुणता, गन्दे पानी का उपचार, दुबारा प्रयोग में लाये जाने की प्रक्रिया और पुन: उपयोग की तकनीक शामिल है। **संकेतक 6.a.1**	**39 :** इस घोषणा पत्र में निहित अधिकारों के उपयोग के लिए आदिवासियों को राज्यों से और अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आर्थिक और तकनीकी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है
6.b : जल और स्वच्छता प्रबंधन को बेहतर बनाने में स्थानीय समुदायों की सहभागिता को समर्थन देना और मजबूत बनाना है। **संकेतक : 6.b.1**	**19 :** राष्ट्रों को अपने स्वयं के प्रतिनिधि संस्थानों के माध्यम से संबंधित मुद्दों के बारे में आदिवासियों के साथ विश्वासपूर्ण परामर्श और सहयोग करना है, ताकि वे भी विधायिका, प्रशासनिक उपायों को अपनाने और लागू करने से पहले स्वतंत्र रूप से पूर्ण और सूचित सहमति प्राप्त करें, जिन कार्यक्रमों को लागू किए जाने पर आदिवासी लोग प्रभावित होते हैं ।

	23 : आदिवासियों को अपने विकास के लिए प्राथमिकताओं और रणनीतियों को निर्धारित करने और विकसित करने का पूर्ण अधिकार है। यह विशेष रूप से आदिवासियों के सक्रिय विकास के कार्य से जुड़े रहने, स्वास्थ्य, आवास और अन्य आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम जो उन्हें प्रभावित करते हैं, उसे सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार है।
	32.2 : राष्ट्रों को अपने स्वयं के प्रतिनिधि संस्थानों के माध्यम से आदिवासियों से संबंधित मुद्दों पर विश्वासपूर्ण परामर्श और सहयोग करना है, जो उन्हें प्रभावित करते हैं, ताकि वे विधयिका और संवैधानिक उपायों को अपनाने या लागू करने से पहले स्वतंत्र, पूर्ण और सूचित सहमति आदिवासियों से प्राप्त करेंगे, जो विशेष रूप से विकास से संबंधित, खनिज, जल और अन्य संसाधनों के उपयोग या शोषण से जुड़े हैं। इनके प्रयोग से आदिवासी लोग प्रभावित होते हैं ।
लक्ष्य 7: सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच को सुनिश्चित करना।	
7.1 : 2030 तक सस्ती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना।	**21.1** : आदिवासियों को बिना किसी भेदभाव के आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने का अधिकार है। इसके साथ-साथ शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण और व्यावसायिक एवं पुनः प्रशिक्षण, आवास, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है।
	22.2 : राष्ट्रों को यह सुनिश्चित करना है कि सभी आदिवासी महिलाओं और बच्चों को हर प्रकार की हिंसा और भेदभाव के सभी रूपों से पूर्ण सुरक्षा और गारंटी प्राप्त हो सके। आदिवासियों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर योजना बनाना होगा।

7.ब. : 2030 तक विकासशील देशों में सभी के लिए आधुनिक और स्थायी ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति के लिए आधारभूत ढांचा और तकनीकी का विस्तार और उनको लागू करना शामिल है।	**21.1** : आदिवासियों को बिना किसी भेदभाव के आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने का अधिकार है। इसके साथ-साथ शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण और व्यावसायिक एवं पुनः प्रशिक्षण, आवास, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है।
	32.2 : राष्ट्रों को अपने स्वयं के प्रतिनिधि संस्थानों के माध्यम से आदिवासियों से संबंधित मुद्दों पर विश्वासपूर्ण परामर्श और सहयोग करना है, जो उन्हें प्रभावित करते हैं, ताकि वे विधायिका और संवैधानिक उपायों को अपनाने या लागू करने से पहले आदिवासियों से स्वतंत्र, पूर्ण और सूचित सहमति प्राप्त करेंगे, जो विशेष रूप से विकास से संबंधित, खनिज, जल और अन्य संसाधनों के उपयोग या शोषण से जुड़े हैं। इनके प्रयोग से आदिवासी लोग प्रभावित होते हैं।
लक्ष्य 8 : सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत विकास/ टिकाऊ आर्थिक विकास दर और उत्पादक रोजगार और मर्यादित काम को बढ़ावा देना।	
8.5 : 2030 तक सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए पूर्ण और उत्पादक रोजगार और मर्यादित काम को बढ़ावा देना है, जिसमें युवाओं और विकलांगों को भी शामिल किया जाए। जिसमें काम के लिए समान मूल्य और समान वेतन भुगतान का प्रावधान हो। **संकेतक : 8.5.1 8.5.2**	**17.3** : आदिवासी लोगों को यह अधिकार है कि वे उनके श्रम, रोजगार और वेतन के संबंध में किसी भी प्रकार के भेदभाव का शिकार न हों।
8.6 : 2020 तक रोजगार, शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में युवाओं के अनुपात को काफी हद तक कम करना। **संकेतक 8.6.1**	**17.3** : आदिवासी लोगों को यह अधिकार है कि वे उनके श्रम, रोजगार और वेतन के संबंध में किसी भी प्रकार के भेदभाव का शिकार न हों।

8-7 : वर्ष 2025 तक बाल श्रम के सभी विकृत रूपों को समाप्त करना और तुरन्त प्रभावकारी उपायों को लागू करना। जिससे आधुनिक गुलामी और मानव तस्करी को समाप्त किया जायेगा। इसके साथ ही बाल सैनिकों की भर्ती और उपयोग सहित बाल श्रम के निषेध और उन्मूलन के निवारण के लिए कदम उठाना है। **संकेतक : 8.7.1**	**17.2** : राष्ट्रों को आदिवासियों के साथ विचार विमर्श करते हुए उनको सहयोग देना है, ताकि आदिवासी बच्चों को आर्थिक शोषण से बचाया जा सके। आदिवासी बच्चों को ऐसा काम करने से रोकना चाहिए, जो उनके लिए खतरनाक होने की संभावना रखता हो, बच्चों की शिक्षा में हस्तक्षेप कर सकती हो, बच्चों के स्वास्थ्य या शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक विकास के लिए हानिकारक हो सकता है। उनकी शिक्षा के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए उनकी संवेदनशीलता, उनके सशक्तिकरण और विकास के लिए विशेष उपाय करना है।
8.9 : 2030 तक स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीतियों के निर्धारण को लागू करना है, जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और स्थानीय संस्कृति और स्थानीय उत्पादकता को बढ़ावा दिया जा सकेगा।	**11.1** : आदिवासियों को अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं और रीति-रिवाजों को मानने और उन्हें पुनःजागृत करने का अधिकार है। इसमें पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थलों, कलाकृतियों, प्रागैतिहासिक दृश्य, डिजाइन, धार्मिक और पारिवारिक अनुष्ठान, तकनीक, दृश्य प्रदर्शित करने और साहित्य जैसे अपनी संस्कृतियों के अतीत वर्त्तमान और भविष्य की अभिव्यक्तियों को बनाये रखने एवं उनकी रक्षा करने और विकसित करने का पूर्ण अधिकार है।
	11.2 : राष्ट्र प्रभावशाली प्रक्रिया तंत्र के माध्यम से निवारण प्रदान करता है, जिसमें पुनर्स्थापना भी शामिल है। आदिवासियों के साथ संयोजन के रूप में विकसित करना और उनकी सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक, आध्यात्मिक स्वामित्व और सम्पत्ति से संबंधित कानूनों का उल्लंघन किए बिना उनके स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के साथ उनके नियमों, परम्परा और रीति रिवाज का पालन करना।
	12.1 : आदिवासियों को अपने आध्यात्मिक और धार्मिक परम्पराओं, रीति रिवाजों और धार्मिक क्रिया कलापों को प्रकट करने, अभ्यास करने, सिखाने और विकसित करने का अधिकार है। अपने धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की गोपनीयता बनाये रखने, उनकी

	सुरक्षा करने और उन्हें उपयोग करने का अधिकार है। इसके साथ ही अपने मानव अवशेषों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रत्यावर्तन का भी अधिकार है ।
	31.1: आदिवासियों को अपनी सांस्कृतिक विरासत, पारम्परिक ज्ञान और पारम्परिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को बनाये रखने और उसे नियंत्रित करने और विकसित करने का अधिकार है। इसके साथ-साथ मानव और आनुवांशिक संसाधनों, बीज, दवाईयों, ज्ञान सहित उनकी विज्ञान प्रौद्योगिकियों और सांस्कृतियों के अभिव्यक्ति का अधिकार है। जीव और वनस्पतियों, मौखिक परम्पराओं, साहित्य, डिजाइन, खेल, पारंपरिक खेल और प्रदर्शन कला के गुणों को दर्शाने का अधिकार है। उन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों पर अपनी बौद्धिक सम्पदा को बनाये रखने, नियंत्रित करने, संरक्षित करने और विकसित करने का अधिकार है।
लक्ष्य 9 : लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, समावेशी और टिकाऊ औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और नवीनीकरण को प्रोत्साहित करना ।	
9.1 : सभी के लिए सस्ती और समान पहुँच पर ध्यान देने के साथ आर्थिक विकास और मानव कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्रीय और सीमापार से आधारभूत संरचना सहित गुणवत्ता पूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियादी ढांचा विकसित करना शामिल है। **संकेतक 9.1.1, 9.1.2**	**32.2 :** राष्ट्रों को अपने स्वयं के प्रतिनिधि संस्थानों के माध्यम से आदिवासियों से संबंधित मुद्दों पर विश्वासपूर्ण परामर्श और सहयोग करना है, जो उन्हें प्रभावित करते हैं, ताकि वे विधायिका और संवैधानिक उपायों को अपनाने या लागू करने से पहले आदिवासियों से स्वतंत्र, पूर्ण और सूचित सहमति प्राप्त करेंगे, जो विशेष रूप से विकास से संबंधित, खनिज, जल और अन्य संसाधनों के उपयोग या शोषण से जुड़े हैं। इनके प्रयोग से आदिवासी लोग प्रभावित होते हैं ।

लक्ष्य 10 : देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना।	
10.1 : 2030 तक राष्ट्रीय औसत से 40 प्रतिशत अधिक जनसंख्या की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि दर को हासिल करना और उसे बनाये रखना है। **संकेतक 10.1.1**	**20.1** : आदिवासियों को अपने राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रणाली एवं संगठनों को बनाये रखने और विकसित करने के लिए। अपनी स्वयं की जीविका निर्वाह के साधनों को सुरक्षित रखने और पारम्परिक और अन्य आर्थिक गतिविधियों में स्वतंत्रतापूर्वक संलग्न होने का अधिकार है ।
	20.2 : आदिवासी जन अपनी आजीविका के साधनों और विकास से वंचित लोग हैं, जो न्यायपूर्ण और उचित निवारण के हकदार हैं।
	21.1 : आदिवासियों को बिना किसी भेदभाव के आर्थिक और सामाजिक स्थिति के सुधार, शिक्षा, रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण, मकान, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है ।
10.2 : 2030 तक उम्र, लिंग, विकलांगता, नस्ल, नृजातीयता, उत्पत्ति, धर्म, आर्थिक या अन्य स्थिति के बावजूद सभी के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समावेश को सक्षम करना और बढ़ावा देना है । **संकेतक : 10.2.1**	**3** : आदिवासियों को आत्मनिर्भरता का अधिकार है। उस अधिकार के आधार पर वे स्वतंत्रतापूर्वक अपनी राजनैतिक स्थिति का निर्धारण करें और स्वतंत्रता पूर्वक अपनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को आगे बढ़ायें।
	5 : आदिवासियों को राष्ट्र के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने को बनाये रखते हुए अपनी विशिष्ट राजनैतिक, कानूनी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को बनाये रखने और मजबूत करने का अधिकार है। यदि वे चाहें तो राष्ट्र के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी सहभागी हो सकते हैं ।

10.2 : 2030 तक उम्र, लिंग, विकलांगता, नस्ल, नृजातीयता, उत्पत्ति, धर्म, आर्थिक या अन्य स्थिति के बावजूद सभी के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समावेश को सक्षम करना और बढ़ावा देना। **संकेतक : 10.2.1**	**15.2 :** राष्ट्र प्रभावशाली कदम उठाने के लिए संबंधित आदिवासियों के साथ परामर्श और सहयोग करना, पूर्वाग्रह से निबटने और भेदभाव को समाप्त करने के लिए आदिवासी लोगों और समाज के अन्य सभी क्षेत्रों में सहिष्णुता, समझ और अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने का अधिकार है।
	20.1 आदिवासियों को अपने राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रणाली या संगठनों को बनाये रखने और विकसित करने, अपनी स्वयं की जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने और अपने खुद के पारम्परिक और अन्य आर्थिक गतिविधियों में स्वतंत्रतापूर्वक संलग्न होने का अधिकार है।
	20.2: जो आदिवासी अपनी जीविका के साधनों और विकास से वंचित कर दिए गये हैं, वे पूरी तरह से न्यायसंगत क्षतिपूर्ति के हकदार हैं।
	21.1 : आदिवासियों को बिना किसी भेदभाव के आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार, शिक्षा, रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुन: प्रशिक्षण, मकान, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है ।
	21.2: राष्ट्र अपने आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के लगातार सुधार, (उन्नति) को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली कदम उठायेंगे। आदिवासी बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और विकलांगों के अधिकार और विशिष्ट आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
10.3 : समान कानूनों को सुनिश्चित करना और परिणाम की असमानताओं को कम करना, जिसमें भेदभावपूर्ण कानूनों, नीतियों और प्रथाओं को समाप्त करना। इस संदर्भ में उपयुक्त विधि निर्माण, नीतियों और कार्यवाही को बढ़ावा देने का समान अवसर सुनिश्चित करना । **संकेतक : 10.3.1**	**3 :** आदिवासियों को आत्मनिर्भरता का अधिकार है। उस अधिकार के आधाार पर वे स्वतंत्रता पूर्वक अपनी राजनैतिक स्थिति का निर्धारण करें और अपनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को आगे बढ़ायें।
	5 : आदिवासियों को राष्ट्र के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने के अधिकार को बनाये रखे हुए हैं। उन्हें अपनी विशिष्ट राजनैतिक, कानूनी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को बनाये रखने और उसे मजबूत

	करने का अधिकार है। यदि वे चाहें तो राज्य के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी सहभागी हो सकते हैं।
10.4 : नीतियों के संदर्भ में विशेषकर वित्तीय, वेतन और सामाजिक सुरक्षा नीतियों को अपनाएं और उत्तरोत्तर अधिक से अधिक समानता प्राप्त करें। **संकेतक : 10.4.1**	**15.2** : राष्ट्रों प्रभावशाली कदम उठाने के लिए संबंधित आदिवासियों के साथ परामर्श और सहयोग करेंगे, इसके अलावा पूर्वाग्रह से निपटने और भेदभाव को समाप्त करने के लिए आदिवासी लोगों को समाज के अन्य सभी क्षेत्रें में सहिष्णुता, समझ और अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने का अधिकार है।
	17.3 : आदिवासी लोगों को यह अधिकार है कि वे उनके श्रम, रोजगार और वेतन के संबंध में किसी भी प्रकार के भेदभाव का शिकार न हों।
10.4 : नीतियों के संदर्भ में विशेषकर वित्तीय, वेतन और सामाजिक सुरक्षा नीतियों को अपनाएं और उत्तरोत्तर अधिक से अधिक समानता प्राप्त करें। **संकेतक : 10.4.1**	**20.1** : आदिवासियों को अपने राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रणाली या संगठनों को बनाये रखने और विकसित करने, अपनी स्वयं की जीविका के साधनों को प्राप्त करने और आनन्द लेने और उसे सुरक्षित रखने के साथ-साथ पारम्परिक और अन्य आर्थिक क्रियाकलापों के स्वतंत्रता पूर्वक अपने को व्यस्त रखने का अधिकार है।
	21.1 : आदिवासियों को बिना किसी भेदभाव के आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार, शिक्षा, रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुन:प्रशिक्षण, मकान, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है।
10.7 : नियोजित और अच्छी तरह से प्रबंधित प्रवासी स्थानान्तरण गतिशीलता नीतियों के कार्यान्वयन के माध्यम से लोगों की क्रमबद्ध, सुरक्षित, नियमित और जिम्मेदार प्रवासन और गतिशीलता को सुगम बनाना।	**7.1** : आदिवासियों को जीवन यापन करने, शारीरिक और मानसिक अखण्डता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है।
	17.2 : राष्ट्रों को आदिवासियों के साथ विचार विमर्श करते हुए उन्हें सहयोग देना है, ताकि आदिवासी बच्चों का आर्थिक शोषण से रक्षा किया जा सके। ऐसा काम करने से रोकना चाहिए, जो खतरनाक होने की संभावना रखता है और यह बच्चों की शिक्षा में हस्तक्षेप कर

	सकती है या बच्चों के स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक विकास के लिए हानिकारक हो सकता है। उनकी शिक्षा के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए उनकी संवेदनशीलता, उनके सशक्तिकरण और विकास के लिए विशेष उपाय करना शामिल है।
लक्ष्य 11 : शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना।	
11.1 : 2030 तक सभी के लिए पर्याप्त सुरक्षित और किफायती आवास और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच निश्चित करना और झुग्गी झोपड़ी बस्तियों का उन्नयन सुनिश्चित करना। **संकेतक 11.1**	**21.1** : आदिवासियों को बिना किसी भेदभाव के आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के साथ-साथ, शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण, आवास, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है।
11.4 : दुनिया की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखने और बचाने के प्रयासों को मजबूत करना।	**11.1** : आदिवासियों को अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं और रीति रिवाजों को अभ्यास करने और उन्हें पुनर्जीवित करने का अधिकार है। इसमें पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थलों, कलाकृतियों, प्रागैतिहासिक दृश्य, डिजाइन, समारोहों, प्रौद्योगिकों, प्रदर्शन कला, साहित्य और उनकी संस्कृतियों के अतीत, वर्त्तमान और भविष्य की अभिव्यक्तियों को बनाये रखने एवं उनकी रक्षा करने और विकास करने का अधिकार है।
	11.2 : राष्ट्र प्रभावी तंत्रों के माध्यम से निवारण प्रदान करेंगे, जिसमें पुनर्स्थापना शामिल हो सकता है। इसे आदिवासियों के साथ मिलकर विकसित किया जा सकता है। उनकी सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक, आध्यात्मिक स्वामित्व को स्वतंत्र रूप से पूर्व और सूचित सहमति के बिना सम्पत्ति से संबंधित कानूनों का उल्लंघन किए बिना उनके स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के साथ उनके नियमों, परम्परा और रीति रिवाजों को पालन करना शामिल है।

	12.1 : आदिवासियों को अपने आध्यात्मिक, धार्मिक परम्पराओं, रीति रिवाजों, धार्मिक क्रिया कलापों को प्रकट करने, अभ्यास करने, सिखाने और विकसित करने का अधिकार है। आदिवासियों को धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की गोपनीयता बनाये रखने, उनकी सुरक्षा करने और उनका उपयोग करने का अधिकार है। इसके साथ ही अपने मानव अवशेषों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रत्यावर्तन का भी अधिकार है।
	12.2 : राष्ट्रों अपने प्रभावी तंत्र के माध्यम से आदिवासियों के साथ मिलकर उनसे संबंधित मुद्दों और रीति रिवाजों (परम्पराओं) को विकसित करने के लिए निष्पन, पारदर्शी और औपचारिक रूप से पहुँच या प्रत्यार्पण के लिए सक्षम बनाने की कोशिश करना शामिल है।
	31.1 : आदिवासियों को अपनी सांस्कृतिक विरासत, पारम्परिक ज्ञान और पारम्परिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को बनाये रखने, नियंत्रित करने और विकसित करने का अधिकार है। इसके साथ-साथ मानव और आनुवांशिक संसाधनों, बीज, दवाईयों, ज्ञान सहित उनकी विज्ञान प्रौद्योगिकियाँ और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ को सम्मिलित करना हैं। जीव और वनस्पतियों, मौखिक परम्पराओं, साहित्य, डिजाइन, खेल, पारंपरिक खेल और प्रदर्शन कला के गुणों से परिपूर्ण है। इन्हें इस तरह की सांस्कृतिक विरासत, पारंपारिक ज्ञान और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों पर अपनी बौद्धिक सम्पदा को बनाये रखने, नियंत्रित करने, संरक्षित करने और विकसित करने का अधिकार है।
11.5 : 2030 तक मौतों की संख्या को काफी कम करना और प्रभावित लोगों की संख्या को कम करना। इसमें पानी से संबंधित आपदाओं सहित सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष आर्थिक नुकसान को काफी कम करना शामिल है, गरीबों और कमजोर स्थितियों में लोगों की सुरक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना।	**7.1 :** आदिवासियों को जीवन यापन करने, शारीरिक और मानसिक अखण्डता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है।

11.6 : 2030 तक शहरों में प्रति व्यक्ति प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना, जिसमें वायु गुणवत्ता और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना शामिल है। **संकेतक 11.6.1, 11.6.2**	**29.2** : आदिवासियों को जमीन और क्षेत्रों में स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के बिना किसी भी प्रकार के खतरनाक सामग्रियों का कोई भंडारण या निष्पादन करने की व्यवस्था न हो, इसके लिए राज्य को प्रभावकारी कदम उठाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा।
लक्ष्य 12 : स्थायी खपत और उत्पादन व्यवस्था सुनिश्चित करना	
12.2 : 2030 तक प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी प्रबंधन और सफल उपयोग का समुचित व्यवस्था करना।	**25** : आदिवासियों को अपने पारम्परिक रूप से स्वामित्व वाले अथवा कब्जा किए गए और उपयोग किए गए भूमि, क्षेत्रों, पानी और तटीय समुद्र और अन्य संसाधनों के साथ अपने विशिष्ट आध्यात्मिक संबंध को बनाये रखने और उसे मजबूत करने का अधिकार है। इस संबंध में आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी जिम्मेदारियों को बनाए रखने का अधिकार है।
	26.1: आदिवासियों को जमीन, क्षेत्र और संसाधनों पर अधिकार है, जो परम्परागत रूप से प्राप्त हुई है, जिस पर उनका स्वामित्व है तथा उनके द्वारा अधिकृत है। वे इन संसाधनों का उपयोग करेंगे।
	26.2 : आदिवासियों के पास भूमि, क्षेत्र और संसाधनों के स्वामित्व, उपयोग, विकास और नियंत्रण का अधिकार है, जो पारम्परिक स्वामित्व या अन्य पारम्परिक व्यवसाय का उपयोग करते है, आदिवासियों ने जिन्हें हासिल किया है, उस पर भी उनका अधिकार है।
12.4 : 2020 तक मानव जीवन और पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए सहमत अन्तरराष्ट्रीय रूप रेखाओं के अनुसार, मानव जीवन चक्र	**29.2** : आदिवासियों के जमीनों और क्षेत्रों में स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के बिना किसी भी प्रकार के खतरनाक सामग्रियों का कोई भंडारण या निष्पादन करने की व्यवस्था न हो। इसके लिए राष्ट्रों को प्रभावकारी कदम उठाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा।

में रसायनों और सभी अपशिष्टों के पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन को सार्थक बनाना और उनके विपरीत प्रभाव को कम करना। **संकेतक 11.4.1**	**29.3 :** राष्ट्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाना चाहिए कि आदिवासियों के स्वास्थ्य की निगरानी, रख रखाव बनाये रखने और पुन: स्थापना के लिए कार्यक्रम जैसे कि प्रभावित लोगों द्वारा विकसित और क्रियान्वित सामग्री का विधिवत कार्यान्वयन हो सके।
12.5 : 2030 तक रोकथाम, कटौती, पुनर्चक्र और पुन: उपयोग के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना। **संकेतक : 12.5.1**	**29.2 :** आदिवासियों के जमीनों और क्षेत्रों में स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के बिना किसी भी प्रकार के खतरनाक सामग्रियों का कोई भंडारण या निष्पादन करने की व्यवस्था न हो इसके लिए राष्ट्रों को प्रभावकारी कदम उठाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा । **29.3 :** राष्ट्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाना चाहिए कि आदिवासियों के स्वास्थ्य की निगरानी, रख रखाव बनाये रखने और पुन: स्थापना के लिए कार्यक्रम जैसे कि प्रभावित लोगों द्वारा विकसित और क्रियान्वित सामग्री का विधिवत् कार्यान्वयन हो सके।
12.8 : 2030 तक, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर जगह लोगों को प्रकृति के साथ सद्भाव में स्थायी विकास और जीवन शैली जीने के लिए प्रासंगिक जानकारी और जागरूकता हो।	**15.1 :** आदिवासियों को अपनी संस्कृतियों, परम्पराओं, इतिहासों और आकांक्षाओं की गरिमा और विविधता का अधिकार है, जो शिक्षा और सार्वजनिक जानकारियों/ सूचनाओं में उचित रूप से प्रतिबिम्बित होता है।
12ब : स्थायी पर्यटन के लिए सतत विकास प्रभावों की निगरानी करने के लिए उपकरणों को विकसित करना और कार्यान्वित करना और रोजगार पैदा करना है।	**11.1 :** आदिवासियों को अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं और रीति रिवाजों को मानने और उन्हें पुनर्जागरित करने का अधिकार है। इसमें पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थलों, कलाकृतियों, प्रागैतिहासिक दृश्य, डिजाइन, धार्मिक और पारिवारिक अनुष्ठान, तकनीक, दृश्य प्रदर्शित करने और साहित्य जैसे अपनी संस्कृतियों के अतीत, वर्त्तमान और भविष्य की अभिव्यक्तियों को बनाये रखने, उनकी रक्षा और विकास करने का पूर्ण अधिकार है।

	11.2 : राष्ट्र प्रभावशाली प्रक्रिया तंत्र के माध्यम से निवारण प्रदान करता है, जिसमें पुनर्स्थापना भी शामिल है। आदिवासियों के साथ संयोजन के रूप में विकसित किया जा सकता है। उनकी सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक, आध्यत्मिक स्वामित्व और सम्पत्ति से संबंधित कानूनों का उल्लंघन किए बिना उनके स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के साथ उनके नियमों, परम्परा और रीति रिवाज का पालन करना।
12ब : स्थायी पर्यटन के लिए सतत विकास प्रभावों की निगरानी करने के लिए उपकरणों को विकसित करना और कार्यान्वित करना और रोजगार पैदा करना है।	**12.1 :** आदिवासियों के अपने आध्यात्मिक और धार्मिक परम्पराओं, रीति रिवाजों और धार्मिक क्रिया कलापों को प्रकट करने, अभ्यास करने, सिखाने और विकसित करने का अधिकार है। अपने धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की गोपनीयता बनाये रखने, उनकी सुरक्षा करने और उनका उपयोग करने का अधिकार है। इसके साथ ही अपने मानव अवशेषों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रत्यावर्तन का अधिकार भी है।
	31.1 : आदिवासियों को अपनी सांस्कृतिक विरासत, पारम्परिक ज्ञान और पारम्परिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को बनाये रखने, नियंत्रित करने और विकसित करने का अधिकार है। इसके साथ-साथ मानव और आनुवांशिक संसाधनों, बीज, दवाईयों, ज्ञान सहित उनको विज्ञान प्रौद्योगिकियाँ और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ सम्मिलित हैं। जीव और वनस्पतियों, मौखिक परम्पराओं, साहित्य, डिजाइन, खेल, पारंपरिक खेल और प्रदर्शन कला के गुणों से परिपूर्ण है। उन्हें इस तरह की सांस्कृतिक विरासत,पारंपारिक ज्ञान और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों पर अपनी बौद्धिक सम्पदा को बनाये रखने, नियंत्रित करने, संरक्षित करने और विकसित करने का अधि कार है।
लक्ष्य 13 : जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों का सामना करने के लिए तत्काल कार्रवाई करना।	

13.1 : सभी देशों में जलवायु से सम्बद्ध संकटों और प्राकृतिक आपदाओं के लचीलेपन और अनुकूली क्षमता को मजबूत करना ।	**7.1** : आदिवासियों को जीवन, शारीरिक और मानसिक अखण्डता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है।
13.3 : शिक्षा में सुधार, जागरूकता और जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण, अनुकूलन, प्रभाव में कमी करने और प्रारम्भिक चेतावनी पर मानव और संस्थागत की क्षमता को बढ़ाना है।	**5** : आदिवासियों को राष्ट्र के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने एवं उसे बनाये रखते हुए, अपनी विशिष्ट राजनैतिक, कानूनी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को बनाये रखने और मजबूत करने का अधिकार है। यदि वे चाहें तो राज्य के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी सहभागी हो सकते हैं।
	15.1 : आदिवासियों को अपनी संस्कृतियों, परम्पराओं, इतिहासों और आकांक्षाओं की गरिमा और विविधता का अधिकार है, जो शिक्षा और सार्वजनिक जानकारियों/ सूचनाओं में उचित रूप से प्रतिबिम्बित होता है।
13.3 : शिक्षा में सुधार, जागरूकता और जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण, अनुकूलन, प्रभाव में कमी करने और प्रारम्भिक चेतावनी पर मानव और संस्थागत की क्षमता को बढ़ाना है।	**18** : आदिवासियों को उन मामलों में भाग लेने का अधिकार है, जो उनके अधिकारों को प्रभावित करते हैं, अपने स्वयं की प्रक्रियाओं के अनुसार चुने गये प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने निर्णय लेने वाली संस्थाओं को बनाये रखने और विकसित करने का अधिकार है।
13 ब : महिलाओं, युवाओं और स्थानीय पिछड़े समुदायों पर ध्यान केन्द्रित करने सहित बहुत कम विकसित देशों में प्रभावशाली जलवायु परिवर्तन से संबंधित योजना और प्रबंधन के लिए क्षमता बढ़ाने के लिए तंत्र क्रियाविधि को बढ़ावा देना है।	**5** : आदिवासियों को राष्ट्र के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने एवं बनाये रखते हुए अपनी विशिष्ट राजनैतिक, कानूनी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को बनाये रखने और मजबूत करने का अधिकार है। यदि वे चाहें तो राज्य के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी सहभागी हो सकते हैं।
	18 : आदिवासियों को उन मामलों में भाग लेने का अधिकार है, जो उनके अधिकारों को प्रभावित करते हैं, वे अपने स्वयं की प्रक्रियाओं के अनुसार चुने गये प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने निर्णय लेने वाली संस्थाओं को बनाये रखने और विकसित करने का अधिकार रखते हैं।

लक्ष्य 14 : सतत विकास के लिए जल, समुद्र, सागर, झीलों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और निरंतर उपयोग करना शामिल है।	
14.2 : 2020 तक समुद्री और तट्टीय पारिस्थितिक तंत्र का प्रबंधन और सुरक्षा करना, ताकि महत्त्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभावों से बचने और उनके लचीलेपन को मजबूती प्रदान करते हुए महासागरों से प्राप्त स्वास्थ्य और उत्पादक प्राप्त करना शामिल है।	**25** : आदिवासियों को अपने पारम्परिक रूप से स्वामित्व वाले अथवा कब्जा किए गए और उपयोग किए गए भूमि, क्षेत्रों, पानी और तटीय समुद्र और अन्य संसाधनों के साथ अपने विशिष्ट आध्यात्मिक संबंध को बनाये रखने और उसे मजबूत करने का अधिकार है। इस संबंध में आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी जिम्मेदारियों को बनाए रखने का अधिकार है।
	26.1: आदिवासियों को जमीन, क्षेत्र और संसाधनों पर अधिकार है, जो परम्परागत रूप से प्राप्त हुई है, जिस पर उनका स्वामित्व है तथा उनके द्वारा अधिकृत है। वे इन संसाधनों का उपयोग करेंगे।
	26.2 : आदिवासियों के पास भूमि, क्षेत्र और संसाधनों के स्वामित्व, उपयोग, विकास और नियंत्रण करने का अधिकार है, जो उनके पास पारम्परिक स्वामित्व या अन्य पारम्परिक व्यवसाय या उपयोग के कारण है, इसके साथ ही जो उन्होंने हासिल किया है, उस पर भी उनका अधिकार है।
14.5 : 2020 तक राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप और सर्वोत्तम वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर तट्टीय और समुद्री क्षेत्रों को कम से कम 10 प्रतिशत संरक्षित रखना है। **संकेतक : 14.5.1**	**29.1** : आदिवासियों को पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा तथा उनकी भूमि या क्षेत्रों ओर संसाधनों की उत्पादकता, क्षमता का बचाव करने का अधिकार है। राष्ट्र बिना किसी भेदभाव के ऐसे संरक्षण के लिए आदिवासियों की सहायता करेंगे और कार्यक्रम को स्थापित करेंगे और उन्हें क्रियान्वित करेंगे।
14 ब : समुद्री संसाधनों और बाजारों के लिए लघु कारीगर मछुआरों के लिए पहुँच प्रदान करना ।	**26.2** : आदिवासियों के पास भूमि, क्षेत्र और संसाधनों के स्वामित्व, उपयोग, विकास और नियंत्रण का अधिकार है, जो उनके पास पारम्परिक स्वामित्व या अन्य पारम्परिक व्यवसाय एवं उपयोग के कारण है, जो उन्होंने हासिल किया है, उस पर भी उनका अधिकार है।

	29.1 : आदिवासियों को पर्यावरण के संरक्षण, सुरक्षा तथा भूमि या क्षेत्रों ओर संसाधनों की उत्पादकता, क्षमता के बचाव करने का अधिकार है। राष्ट्रों बिना किसी भेदभाव के ऐसे संरक्षण के लिए आदिवासियों की सहायता कार्यक्रम स्थापित करेंगे और उन्हें क्रियान्वित करेंगे।
लक्ष्य 15 : स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के स्थायी उपयोग की रक्षा करना, पुनः स्थापित करना और बढ़ावा देना, जंगलों का स्थायी प्रबंधन करना, मरुस्थलीय पड़ाव और भूमि की गिरावट तथा पड़ाव और जैव विविधता के नुकसान को रोकना।	
15.1 : 2020 तक अन्तरराष्ट्रीय समझौतों के तहत दायित्वों के अनुसार विशेष रूप से जंगलों, आर्द्रभूमि, पहाड़ों और शुष्क क्षेत्रों में स्थलीय और अन्तर्देशीय मीठे पानी की पारिस्थिकी प्रणालियों और उनकी सेवाओं के संरक्षण, बहाली और टिकाऊ उपयोग को सुनिश्चित करना होगा।	**26.1**: आदिवासियों को जमीन, क्षेत्र और संसाधनों पर अधिकार है, जो परम्परागत रूप से प्राप्त हुई है, जिस पर उनका स्वामित्व हैं तथा उनके द्वारा अधिकृत हैं। वे इन संसाधनों का उपयोग करेंगे।
	26.2 : आदिवासियों के पास भूमि, क्षेत्र और संसाधनों के स्वामित्व, उपयोग, विकास और नियंत्रण का अधिकार है, जो उनके पास पारम्परिक स्वामित्व या अन्य पारम्परिक व्यवसाय एवं उपयोग के कारण है, जो उन्होंने हासिल किया है, उस पर भी उनका अधिकार है।
	29.1 : आदिवासियों को पर्यावरण के संरक्षण, सुरक्षा, भूमि, क्षेत्रों के संसाधनों की उत्पादकता की क्षमता को बचाव करने का अधिकार है। राष्ट्रों बिना किसी भेदभाव के ऐसे संरक्षण के लिए आदिवासियों की सहायता कार्यक्रम स्थापित करेंगे और उन्हें क्रियान्वित करेंगे।
15.1 : 2020 तक अन्तरराष्ट्रीय समझौतों के तहत दायित्वों के अनुसार विशेष रूप से जंगलों, आर्द्रभूमि, पहाड़ों और शुष्क क्षेत्रों में स्थलीय और अन्तर्देशीय मीठे पानी की पारिस्थिकी प्रणालियों और उनकी सेवाओं के संरक्षण, बहाली और टिकाऊ उपयोग को सुनिश्चित करना होगा।	**29.2** : आदिवासियों की जमीन, क्षेत्रों में उनके स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के बिना किसी भी प्रकार के खतरनाक सामग्रियों का कोई भंडारण या निष्पादन करने की व्यवस्था न हो इसके लिए राष्ट्रों को प्रभावकारी कदम उठाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा।

15.2 : 2020 तक सभी प्रकार के वनों के सतत प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना, पतित वनों को बहाल करना और विश्व स्तर पर वनीकरण और नवीनीकरण को बढ़ाना। **संकेतक : 15.2.2**	**26.1:** आदिवासियों को जमीन, क्षेत्र और संसाधनों पर अधिकार है, जो परम्परागत रूप से प्राप्त हुई है, जिस पर उनका स्वामित्व है तथा उनके द्वारा अधिकृत है। वे इन संसाधनों का उपयोग करेंगे।
	26.2 : आदिवासियों के पास भूमि, क्षेत्र और संसाधनों के स्वामित्व, उपयोग, विकास और नियंत्रण का अधिकार है, जो उनके पास पारम्परिक स्वामित्व या अन्य पारम्परिक व्यवसाय या उपयोग के कारण है, जो उन्होंने हासिल किया है, उस पर भी उनका अधिकार है।
	29.1 : आदिवासियों को पर्यावरण के संरक्षण, सुरक्षा, भूमि, क्षेत्रों ओर संसाधनों की उत्पादकता, क्षमता को बचाव करने का अधिकार है। राष्ट्रों बिना किसी भेदभाव के ऐसे संरक्षण के लिए आदिवासियों की सहायता कार्यक्रम स्थापित करेंगे और उन्हें क्रियान्वित करेंगे।
	29.2 : आदिवासियों की जमीन, क्षेत्रों में स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के बिना किसी भी प्रकार के खतरनाक सामग्रियों का कोई भंडारण या निष्पादन करने की व्यवस्था न हो इसके लिए राज्य को प्रभावकारी कदम उठाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा।
15.3 : 2020 तक मरुस्थलीकरण, सूखे और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित मरुस्थलीकरण का सामना करना। सूखाग्रस्त और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों, भूमि और मिट्टी को बहाल करना और भूस्खलन से संबंधित तटस्थ दुनिया को प्राप्त करने का प्रयास करना।	**26.1:** आदिवासियों को जमीन, क्षेत्र और संसाधानों पर अधिकार है, जो परम्परागत रूप से प्राप्त हुई है, जिस पर उनका स्वामित्व है तथा उनके द्वारा अधिकृत है। वे इन संसाधनों का उपयोग करेंगे।
	26.2 : आदिवासियों के पास भूमि, क्षेत्र और संसाधनों के स्वामित्व, उपयोग, विकास और नियंत्रण का अधिकार है, जो उनके पास पारम्परिक स्वामित्व या अन्य पारम्परिक व्यवसाय या उपयोग के कारण है, जो उन्होंने हासिल किया है, उस पर भी उनका अधिकार है।
15.3 : 2020 तक मरुस्थलीकरण, सूखे और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित मरुस्थलीकरण का सामना करना। सूखाग्रस्त और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों, भूमि और मिट्टी	**29.1 :** आदिवासियों को पर्यावरण के संरक्षण, सुरक्षा, भूमि, क्षेत्रों ओर संसाधनों की उत्पादकता, क्षमता को बचाव करने का अधिकार है। राज्य बिना किसी भेदभाव के ऐसे संरक्षण के लिए आदिवासियों की सहायता कार्यक्रम स्थापित करेंगे और उन्हें क्रियान्वित करेंगे।

को बहाल करना और भूस्खलन तटस्थ दुनिया को प्राप्त करने का प्रयास करना।	**29.2** : आदिवासियों की जमीन, क्षेत्रों में स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के बिना किसी भी प्रकार के खतरनाक सामग्रियों का कोई भंडारण या निष्पादन करने की व्यवस्था न हो इसके लिए राष्ट्रों को प्रभावकारी कदम उठाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा।
15.4 : 2030 तक, सतत विकास के लिए आवश्यक लाभ प्रदान करने की अपनी क्षमता को बढ़ाना और जैव विविधता एवं पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण एवं पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण को सुनिश्चित करना। **संकेतक : 15.4.1 15.4.2**	**26.1**: आदिवासियों को जमीन, क्षेत्र और संसाधनों पर अधिकार है, जो परम्परागत रूप से प्राप्त हुई है, जिस पर उनका स्वामित्व है तथा उनके द्वारा अधिकृत है। वे इन संसाधनों का उपयोग करेंगे।
	26.2 : आदिवासियों के पास भूमि, क्षेत्र और संसाधनों के स्वामित्व, उपयोग, विकास और नियंत्रण का अधिकार है, जो उनके पास पारम्परिक स्वामित्व या अन्य पारम्परिक व्यवसाय या उपयोग के कारण है, जो उन्होंने हासिल किया है, उस पर भी उनका अधिकार है।
	29.1 : आदिवासियों को पर्यावरण के संरक्षण, सुरक्षा, भूमि, क्षेत्रों ओर संसाधनों की उत्पादकता, क्षमता को बचाव करने का अधिकार है। राज्य बिना किसी भेदभाव के ऐसे संरक्षण के लिए आदिवासियों की सहायता कार्यक्रम स्थापित करेंगे और उन्हें क्रियान्वित करेंगे।
	29.2 : आदिवासियों की जमीन, क्षेत्रों में स्वतंत्र, और पूर्व सूचित सहमति के बिना किसी भी प्रकार के खतरनाक सामग्रियों का कोई भंडारण या निष्पादन करने की व्यवस्था न हो इसके लिए राष्ट्रों को प्रभावकारी कदम उठाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा।
15.5 : प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करने के लिए तत्काल और महत्त्वपूर्ण कार्यवाही करना और जैव विविधता के नुकसान को रोकना और 2020 तक खतरे वाली प्रजातियों के विलुप्त होने से बचाव की रोकथाम करना। **संकेतक : 15.5.1**	**26.1**: आदिवासियों को जमीन, क्षेत्र और संसाधनों पर अधिकार है, जो परम्परागत रूप से प्राप्त हुई है, जिस पर उनका स्वामित्व हैं तथा उनके द्वारा अधिकृत है। वे इन संसाधनों का उपयोग करेंगे।
	26.2 : आदिवासियों के पास भूमि, क्षेत्र और संसाधनों के स्वामित्व, उपयोग, विकास और नियंत्रण का अधिकार है, जो उनके पास पारम्परिक स्वामित्व या अन्य पारम्परिक व्यवसाय या उपयोग के कारण है, जो उन्होंने हासिल किया है, उस पर भी उनका अधिकार है।

15.5 : प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करने के लिए तत्काल और महत्त्वपूर्ण कार्यवाही करना और जैव विविधता के नुकसान को रोकना और 2020 तक खतरे वाली प्रजातियों के विलुप्त होने से बचाव की रोकथाम करना। **संकेतक : 15.5.1**	**29.1** : आदिवासियों को पर्यावरण के संरक्षण, सुरक्षा, भूमि, क्षेत्रों ओर संसाधनों की उत्पादकता, क्षमता को बचाव करने का अधिकार है। राष्ट्रों बिना किसी भेदभाव के ऐसे संरक्षण के लिए आदिवासियों की सहायता कार्यक्रम स्थापित करेंगे और उन्हें क्रियान्वित करेंगे।
	29.2 : आदिवासियों की जमीन, क्षेत्रों में स्वतंत्र और पूर्व सूचित सहमति के बिना किसी भी प्रकार के खतरनाक सामग्रियों का कोई भंडारण या निष्पादन करने की व्यवस्था न हो इसके लिए राज्य को प्रभावकारी कदम उठाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा।
15.6 : आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों से उचित और न्यायसंगत साझा करने को बढ़ावा देना और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सहमति के अनुसार ऐसे संसाधनों तक उचित पहुँच को बढ़ावा देना।	**31.1** : आदिवासियों को अपनी सांस्कृतिक विरासत, पारम्परिक ज्ञान और पारम्परिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को बनाये रखने, नियंत्रित करने और विकसित करने का अधिकार है। मानव और आनुवांशिक संसाधनों, बीज, दवाईयों, ज्ञान सहित उनकी विज्ञान प्रौद्योगिकियाँ और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ सम्मिलित हैं। जीव और वनस्पतियों, मौखिक परम्पराओं, साहित्य, डिजाइन, खेल, पारंपरिक खेल और प्रदर्शन कला के गुणों से परिपूर्ण है। इस तरह की सांस्कृतिक विरासत, पारंपारिक ज्ञान और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों पर अपनी बौद्धिक सम्पदा को बनाये रखने, नियंत्रित करने, संरक्षित करने और विकसित करने का अधिकार है।
15.ए : सभी स्रोतों से जैव संसाधनों और पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाना और उन्हें बढ़ावा देना।	**39** : इस घोषणा पत्र में निहित अधिकारों के उपयोग के लिए आदिवासियों को राष्ट्रों से एवं अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आर्थिक और तकनीकी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।
15.ब : टिकाऊ वन प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता हेतु सभी स्रोतों से और सभी स्तरों से महत्त्वपूर्ण संसाधन जुटाना और विकासशील देशों के संरक्षण और पुनर्वितरण सहित इस तरह के प्रबंधन को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करना।	**39** : इस घोषणा पत्र में निहित अधिकारों के उपयोग के लिए आदिवासियों को राष्ट्रों एवं अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आर्थिक और तकनीकी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।

15.स : स्थायी आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय समुदायों की क्षमता बढ़ाने सहित संरक्षित प्रजातियों के अवैध शिकार और तस्करी से निपटने के प्रयासों के लिए वैश्विक समर्थन को बढ़ावा देना।	**20.1** : आदिवासियों को अपनी राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों या संगठनों को बनाये रखने और विकसित करने, अपनी स्वयं की जीविका के साधनों में सुरक्षित रखने और अपने स्वयं के पारम्परिक और अन्य आर्थिक गतिविधियों में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेने का अधिकार है।
	20.2 : आदिवासियों की आजीविका के साधनों और विकास से वंचितों को न्यायपूर्ण और उचित निवारण दिए जाने के हकदार हैं।
लक्ष्य 16 : टिकाऊ विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना और सभी को न्याय प्रदान करना। इसके साथ-साथ सभी स्तरों पर प्रभावी जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना।	
16.1 : हर जगह हिंसा और संबंधित मृत्यु दर के सभी रूपों को महत्त्वपूर्ण रूप से कम करना। **संकेतक : 16.1.1 16.1.3**	**7.1** : आदिवासियों को जीवन यापन, शारीरिक और मानसिक अखण्डता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है।
	7.2 : आदिवासियों को अलग-अलग लोगों के रूप में स्वतंत्रता, शांति और सुरक्षात्मक ढंग से जीने का सामूहिक अधिकार है। उन्हें नरसंहार या किसी अन्य अधिनियम के अधीन नहीं किया जाएगा, जिसमें किसी समूह के बच्चों को जबरदस्ती एक समूह से दूसरे समूह में शामिल करना है।
	22.2 : राष्ट्रों आदिवासियों के साथ मिलकर, उपाय करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आदिवासी महिलाओं और बच्चों को पूरी सुरक्षा और हिंसा के सभी प्रकारों के खिलाफ गारंटी लेगीं
16.2 : बच्चों के खिलाफ अत्याचार, शोषण, मानव तस्करी और हिंसा के सभी प्रकारों को समाप्त करना। **संकेतक : 16.2.1 16.2.2**	**7.1** : आदिवासियों को जीवन यापन, शारीरिक और मानसिक अखण्डता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है।

	7.2 : आदिवासियों को अलग-अलग लोगों के रूप में स्वतंत्रता, शांति और सुरक्षात्मक ढंग से जीने का सामूहिक अधिकार है। उन्हें नरसंहार या किसी अन्य अधिनियम के अधीन नहीं किया जाएगा, जिसमें किसी समूह के बच्चों को जबरदस्ती एक समूह से दूसरे समूह में शामिल नहीं करना है ।
16.2 : बच्चों के खिलाफ अत्याचार, शोषण, मानव तस्करी और हिंसा के सभी प्रकारों को समाप्त करना। **संकेतक : 16.2.1 16.2.2**	**17.2** : राष्ट्रों को आदिवासियों के साथ विचार विमर्श करते हुए उनको सहयोग देना है, ताकि आदिवासी बच्चों का आर्थिक शोषण से रक्षा करना एवं ऐसा काम करने से रोकना जो खतरनाक होने की संभावना रखता है। यह बच्चों की शिक्षा में हस्तक्षेप कर सकती है या बच्चों के स्वास्थ्य या शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक विकास के लिए हानिकारक हो सकता है। उनकी शिक्षा के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए उनकी संवेदनशीलता, उनके सशक्तिकरण और विकास के लिए विशेष उपाय करना शामिल है।
	22.2 : राष्ट्रों आदिवासियों के साथ मिलकर उपाय करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आदिवासी महिलाओं और बच्चों को पूरी सुरक्षा और हिंसा के सभी प्रकारों के खिलाफ गारंटी लेंगे ।
16.7 : सभी स्तरों पर उत्तरदायी, समावेशी, भागीदारी और प्रतिनिधिक निर्णय लेने की क्षमता को सुनिश्चित करना । **संकेतक 16.7.1**	**5** : आदिवासियों को राष्ट्र के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने एवं बनाये रखते हुए, अपनी विशिष्ट राजनैतिक, कानूनी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को बनाये रखने और मजबूत करने का अधिकार है। यदि वे चाहें तो राज्य के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी सहभागी हो सकते हैं।
	18 : आदिवासियों को उन मामलों में भाग लेने का अधिकार है, जो उनके अधिकारों को प्रभावित करते हैं, उन्हें स्वयं की प्रक्रियाओं के अनुसार चुने गये प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्णय लेने वाली संस्थाओं को बनाये रखने और विकसित करने का अधिकार है ।

16.9 : 2030 तक जन्म पंजीयन सहित सभी के लिए कानूनी पहचान प्रदान करना। **संकेतक : 16.9.1**	**6** : आदिवासियों को एक राष्ट्रीयता का अधिकार है।
	33.1 : आदिवासियों को अपने रिवाजों और परम्पराओं के अनुसार अपनी पहचान, सदस्यता निर्धारित करने का अधिकार है। आदिवासियों को उन राष्ट्रों की नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार से नहीं रोकता जहाँ वे रहते हैं।
16.10 : राष्ट्रीय कानून और अन्तरराष्ट्रीय समझौतों के अनुसार सूचनाओं तक सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करना और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करना।	**7.1** : आदिवासियों के पास जीवन यापन, शारीरिक और मानसिक अखण्डता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है।
	16.1 : आदिवासियों को अपनी भाषा में अपनी मीडिया स्थापित करने का और बिना किसी भेदभाव या पक्षपात के गैर आदिवासियों की मीडिया तक पहुंचने का अधिकार है।
16.10 : राष्ट्रीय कानून और अन्तरराष्ट्रीय समझौतों के अनुसार सूचनाओं तक सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करना और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करना।	**16.2** : राष्ट्र यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करें कि सरकारी स्वामित्व प्राप्त मीडिया आदिवासियों की सांस्कृतिक विविधता को प्रतिबिम्बित करती है। राष्ट्रों को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता सुनश्चित करने के लिए पक्षपात के बिना, निजी स्वामित्व वाली मीडिया को आदिवासी सांस्कृतिक विविधता को पर्याप्त रूप से प्रतिबिम्बित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
16.ब : सतत विकास के लिए गैर भेदभावकारी कानूनों और नीतियों को बढ़ावा देना और लागू करना।	**3** : आदिवासियों को आत्मनिर्भरता का अधिकार है। उस अधिकार के आधाार पर वे स्वतंत्रता पूर्वक अपनी राजनैतिक स्थिति का निर्धारण करें और स्वतंत्रता पूर्वक अपनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को आगे बढ़ायें।
	5 : आदिवासियों को राष्ट्र के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने को बनाये रखते हुए अपनी विशिष्ट राजनैतिक, कानूनी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को बनाये रखने और मजबूत करने का अधिकार है। यदि वे चाहें तो राज्य के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी सहभागी हो सकते हैं।

16.ब : सतत विकास के लिए गैर भेदभावकारी कानूनों और नीतियों को बढ़ावा देना और लागू करना।	**15.2** : राष्ट्रों प्रभावशाली कदम उठाने के लिए संबंधित आदिवासियों के साथ परामर्श और सहयोग करेंगे, पूर्वाग्रह से निपटने और भेदभाव को समाप्त करने के लिए आदिवासी लोगों और समाज के अन्य सभी क्षेत्रों में सहिष्णुता, समझ और अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने का अधिकार है।
	20.1 : आदिवासियों को अपनी राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों या संगठनों को बनाये रखने और विकसित करने, अपनी स्वयं की जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने और अपने स्वयं के पारम्परिक और अन्य आर्थिक गतिविधियों में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेने का अधिकार है।
	20.2 : आदिवासियों की आजीविका के साधनों और विकास से वंचितों को न्यायपूर्ण और उचित निवारण दिये जाने के हकदार हैं।
	21.1 : आदिवासियों को बिना किसी भेदभाव के आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधाार, शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण व्यावसायिक, आवास, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है।
16.ब : सतत विकास के लिए गैर भेदभावकारी कानूनों और नीतियों को बढ़ावा देना और लागू करना।	**21.2** : राष्ट्रों प्रभावशाली उपाय करेंगे, जहाँ उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों में निरन्तर सुधाार सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त और विशेष उपाय करता है। विशेषकर आदिवासी बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, बच्चों और विकलांगों के अधिकारों एवं विशेष जरूरतों पर ध्यान दिया जाएगा।
लक्ष्य 17 : कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना, और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना।	
17.3 : कई स्रोतों से विकासशील देशों के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाना।	**39** : इस घोषणा पत्र में निहित अधिकारों के उपयोग के लिए राष्ट्रों से और अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से वित्तीय और तकनीकी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है ।

एशिया इंडिजेनस पीपल्स पैक्ट (AIPP) एक नजर में

AIPP एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 1988 में आदवासियों के आन्दोलनों द्वारा एकजुटता और सहयोग के लिए इस मंच की स्थापना की गई है। AIPP आदिवासियों के अधिकारों, मानव अधिकार, सतत विकास और संसाधनों तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रबंधन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है और उसका बचाव कर रहा है। वर्षों से AIPP ने जमीनी स्तर में क्षमता निर्माण, वकालत और स्थानीय से विश्व स्तर पर नेटवर्किंग और आदिवासी संगठनों के साथ साझेदारी को मजबूत करने, गैर सरकारी संगठनों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और अन्य संस्थाओं का सहयोग करने के लिए अपनी विशेषज्ञता विकसित की है। AIPP वर्त्तमान में एशिया के 14 देशों के 48 सदस्य हैं, जिनमें 18 आदिवासियों के राष्ट्रीय गठबंधन/ नेटवर्क और 30 स्थानीय और उप-राष्ट्रीय संगठन, छह आदिवासी महिलाओं का संगठन, चार आदिवासी युवाओं का संगठन और एक विकलांगों का संगठन शामिल है।

आदिवासी महिलाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से, AIPP आदिवासी महिलाओं को नेटवर्किंग, शिक्षा, और क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से विकसित करता है। आदिवासी जन और आदिवासी महिला होने के नाते, उनके अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने जैसे कार्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करती है।

विजन

एशिया में निवास कर रहे आदिवासी लोगों को गरिमापूर्ण जीवन में जीने और अपने अधिकारों, विशिष्ट संस्कृतियों और पहचान का उपयोग करने और शांति, न्याय और समानता के वातावरण को भविष्य में बढ़ाने हेतु विकास के लिए भूमि, क्षेत्रों और संसाधनों पर अपने स्थायी प्रबंधन प्रणालियों को बढ़ावा देना है।

मिशन

AIPP अपने अधिकारों, संस्कृतियों और पहचानों को बढ़ावा देने के साथ उनके विकास, आत्मनिर्णय एवं स्थायी संसाधन प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए एशिया में आदिवासियों की एकजुटता, सहयोग और क्षमताओं को मजबूत करता है।

AIPP के कार्यक्रम

मानवाधिकार अभियान और नीति वकालत, संवाद, संचार और विकास क्षेत्रीय क्षमता निर्माण, पर्यावरण और आदिवासी महिलाएं शामिल हैं।

AIPP एक गैर सरकारी संगठन के रूप संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के द्वारा विशेष परामर्शदात्री के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC), जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) और विश्व बौद्धिक सम्पदा (WIPO) के पर्यवेक्षक संगठनों के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। इसके साथ-साथ AIPP को अन्तरराष्ट्रीय भूमि गठबंधन (ILC) वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) NGO नेटवर्क, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए अन्तरराष्ट्रीय नेटवर्क (ESCR-Net) का सदस्य भी है, इस संस्था को राइट्स एंड रिसोर्सस इनिशियेटिव (RRI) का एक नेटवर्क के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

अंतरराज्यीय आदिवासी महिला नेटवर्क के बारे में:

अंतरराज्यीय आदिवासी महिला नेटवर्क (ISAWN), भारत के आदिवासी महिलाओं, सामाजिक संगठनों और समूहों का एक नेटवर्क है, जो आदिवासी समुदायों के अधिकारों, विशेष कर महिलाओं, लड़कियों और बच्चों के मानव अधिकार की उन्नति के लिए काम कर रहा है। आदिवासी महिला होने के नाते भेद्यता के सामान्य अनुभवों, और मानव अधिकारों के उल्लंघन में वृद्धि के जवाब में इस नेटवर्क के माध्यम से अपने मुद्दों, चुनौतियों, अच्छी प्रथाओं को साझा करने और आपस में एकजुटता बनाने, नारीवादी नेतृत्व को मजबूत करने के लिए इस मंच का गठन किया गया है।